



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012021-224197
CG-DL-E-05012021-224197

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3
PART I—Section 3

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/ पौष 9, 1942
No. 6] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

नियम

सं. बी/59501/147/आरटीजी/एनडीए एनट्री/17(2)/2020/ डीएमए (एजी II).—दिनांक 02 जनवरी 2022 से प्रारंभ होने वाले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों के 147 वें कोर्स तथा 109 वें भारतीय नौसेना अकादमी कोर्स (आईएनएसी) में प्रवेश हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 18 अप्रैल 2021 को आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा (I) 2021 के नियम प्रकाशित किए जाते हैं।

आयोग यदि चाहे तो उपर्युक्त परीक्षा की तारीख में परिवर्तन कर सकता है।

इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या इस प्रकार होगी:-

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी	: 370 जिनमें से 208 थल सेना के लिए, 42 नौसेना के लिए और 120 वायु सेना के लिए है। (इसमें ग्राउंड ज्यूरटियों के लिए 28 रिक्तियां शामिल हैं)
भारतीय नौसेना अकादमी (10+2 कैडेट एंट्री स्कीम)	: 30

योग : 400

आयोग के परीक्षा नोटिस में दी गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा भारतीय नौ सेना अकादमी कोर्स की प्रशिक्षण क्षमतानुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

2. पात्रता की शर्तें:

(क) राष्ट्रीयता : अभ्यर्थी अविवाहित पुरुष हो और :

(i) भारत का नागरिक हो, या

(ii) नेपाल की प्रजा हो, या

(iii) भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, युगाण्डा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य, जायरे, जांबिया, मलावी तथा इथियोपिया या वियतनाम से आकर भारत में बस गए हो।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग (ii), और (iii), के अंतर्गत आने वाला अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो, पर नेपाल के गोरखा अभ्यर्थियों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति:

केवल ऐसे अविवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनका जन्म 02 जुलाई, 2002 से पहले न हुआ हो तथा 01 जुलाई, 2005 के बाद न हुआ हो, पात्र हैं।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर से लिए गए उद्धरण में दर्ज की गई हो और यह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा माध्यमिक स्कूल परीक्षा या समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्रों से प्रमाणित हो। ये प्रमाण पत्र परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के बाद ही प्रस्तुत करने होंगे। आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथ पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुदेशों के इस भाग में आए हुए “मैट्रिकुलेशन/ माध्यमिक स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र” वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-1: अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि आयोग अभ्यर्थी की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/ माध्यमिक स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-2: अभ्यर्थी यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या बाद की किसी अन्य परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति किसी भी आधार पर नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-3: अभ्यर्थियों को ऑन लाइन आवेदन-प्रपत्र के संबंधित कालम में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी-4: उम्मीदवार यह भी नोट कर ले कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवम नौसेना अकादमी परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा कर लेने के पश्चात, उसमें कोई भी जानकारी जोड़ने/हटाने/उसमें परिवर्तन करने की अनुमति, किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी।

टिप्पणी-5: अभ्यर्थियों को इस बात का वचन देना है कि जब तक उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो अभ्यर्थी अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है उसको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा, चाहे वह उस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल हो। जो अभ्यर्थी प्रशिक्षण काल में शादी कर लेगा उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वह सब उसे वापस करना होगा।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं:

(i) **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना स्कंध के लिए:** स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ii) **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वायु सेना और नौ सेना स्कंधों तथा भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए:**— स्कूल शिक्षा के 10 + 2 पैटर्न के भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा।

स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा भौतिकी और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।

जो अभ्यर्थी स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 के अन्तर्गत 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठ रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे अभ्यर्थी जो एसएसबी साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं लेकिन एसएसबी साक्षात्कार के समय मैट्रिक/ 10 + 2 या समकक्ष प्रमाणपत्र मूल रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते, उन्हें विधिवत स्वः अनुप्रमाणित फोटोप्रति “भर्ती महानिदेशालय, सेना मुख्यालय, वैस्ट ब्लॉक-III, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 को तथा नौ सेना अकादमी के अभ्यर्थियों के मामले में “नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर, ओआई एण्ड आर अनुभाग, कमरा सं. 204, ‘सी’ स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली – 110011” को 24 दिसम्बर, 2021 तक भेजना होगा। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अन्य वे सभी अभ्यर्थी जो मूल रूप में अपने मैट्रिक और 10 + 2 पास या समकक्ष प्रमाणपत्र एसएसबी साक्षात्कार के समय प्रस्तुत कर चुके हैं तथा एसएसबी प्राधिकारियों द्वारा उनका सत्यापन करवा चुके हैं उन्हें सेना मुख्यालय या नौसेना मुख्यालय, जैसा भी मामला हो, में इन्हें फिर से प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में जहां बोर्ड/विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हों, शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्य के द्वारा दिये गये मूल प्रमाणपत्र भी स्वीकार्य होंगे, लेकिन ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रमाणित की गई सही प्रतिलिपियां/फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार नहीं की जायेंगी।

आपवादिक मामलों में आयोग किसी ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उनके पास ऐसी योग्यताएं हों, जिनका स्तर आयोग के विचार से, उसे इस परीक्षा में प्रवेश देना उचित ठहराता हो।

टिप्पणी-1: जो अभ्यर्थी 11वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं, इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं।

टिप्पणी-2: वे अभ्यर्थी, जिन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अभी अर्हता प्राप्त करनी है और जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, नोट कर लें कि उनको दी गई यह विशेष छूट है। उन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख यानि की 24 दिसम्बर, 2021 तक प्रस्तुत करना होगा और बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के देर से आयोजित किये जाने, परिणाम घोषणा में विलंब या अन्य किसी कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने से संबंधित किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी-3: जिन पर रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन के संबंध में रोक लगाई गई हो, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, अगर प्रवेश दे दिया गया हो तो भी उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-4: जो अभ्यर्थी सीपीएसएस/पीएबीटी में पहले असफल हो चुके हैं, वे वायु सेना में ग्राउंड ज्यूटी शाखाओं के लिए पात्र होंगे यदि वे इस संबंध में आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी इच्छुकता (Willingness) भरते हैं।

(घ) शारीरिक मानदंड:

(क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2021 में प्रवेश पाने हेतु परिशिष्ट-II में दिए गए शारीरिक मानदंडों से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप अभ्यर्थी अवश्य ही शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

(ख) सशस्त्र बल के किसी भी प्रशिक्षण संस्थान से अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत यदि किसी अभ्यर्थी ने इस्तीफा दे दिया है या उसे निकाल दिया गया हो, आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

3. शुल्क:

अभ्यर्थियों को (अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों/ जे.सी.ओ./ एन.सी.ओ./ कमीशन के नोटिस में विनिर्दिष्ट/ओ आर के बच्चों को छोड़कर) भुगतान करना होगा।

आयोग के परीक्षा नोटिस में विनिर्दिष्ट शुल्क का थल सेना में सेवारत/भूतपूर्व जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/गैर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों तथा भारतीय नौसेना/ भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के अफसरों के बच्चों को भी निर्धारित शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी यदि वे मिलिट्री स्कूल (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल के नाम से जाना जाता था)/सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं।

ऐसे सभी अभ्यर्थियों को स्वयं अपने संबद्ध प्रधानाचार्यों से शुल्क में छूट हेतु उनकी पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और एस.एस.बी. परीक्षा/साक्षात्कार के लिए अर्हक घोषित किए गए अभ्यर्थियों द्वारा एस. एस. बी. परीक्षा/साक्षात्कार के समय इसे सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

4. सभी अभ्यर्थियों को चाहे वे पहले से सरकारी सेवा में हों, जिनमें सशस्त्र सेना बलों के अभ्यर्थी भी शामिल हैं और भारतीय नौसेना के नौसैनिक [बॉयज (Boys) व आर्टिफिसर अप्रेंटिस सहित], राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल, देहरादून कहा जाता था) के कैडेट्स, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (जिन्हें पहले मिलिट्री स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों के छात्रों, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों अथवा निजी रोजगार में कार्यरत अभ्यर्थियों को आयोग को सीधे ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

5. जो व्यक्ति पहले से ही स्थायी या अस्थायी हैसियत से सरकारी सेवा में हों या अनियत या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर कार्य प्रभारित कर्मचारी या जो लोक उद्यमों में सेवारत हैं, (ख) सशस्त्र सेना बलों में कार्यरत अभ्यर्थी, भारतीय नौसेना के नौसैनिक [बॉयज (Boys) व आर्टिफिसर अप्रेंटिस सहित], और (ग) राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल, देहरादून कहा जाता था) के कैडेट्स, मिलिट्री स्कूलों (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों को छात्रों को अपने कार्यालय/विभाग अध्यक्ष, कमांडिंग अफसर, संबंधित कॉलेज/स्कूल के प्रिंसिपल, जैसा भी मामला हो, को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

नोट: अभ्यर्थी नोट करें कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता/संबंधित प्राधिकारी से इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले/बैठने वाले अभ्यर्थियों की अनुमति रोकने संबंधी कोई पत्राचार प्राप्त होता है तो उनके आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे/उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

6. परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता व अपात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने की पात्रता से संबंधित सभी शर्तें पूरी करते हों। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश अनंतिम ही माना जाएगा जब तक वे निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी न कर लें। परीक्षा के किसी भी चरण से पहले या बाद में सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि वे पात्रता की कोई शर्त पूरी नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

7. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

8. लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को भर्ती महानिदेशालय की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। www.joinindianarmy.nic.in पर पंजीकरण करते हुए अनिवार्यतः उसी ई-मेल आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो आई डी संघ लोक सेवा आयोग का ऑनलाइन आवेदन भरते समय संघ लोक सेवा आयोग को प्रदान की गई है। अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई ई-मेल आई डी सही है और चालू है। इसके बाद इन अभ्यर्थियों को पूर्वोक्त वेबसाइट के माध्यम से चयन केन्द्रों का आबंटन किया जाएगा। किसी समस्या/स्पष्टीकरण के मामले में अभ्यर्थी, भर्ती महानिदेशालय की वेबसाइट पर दिए गए टेलीफोन नंबरों पर या अपने प्रोफाइल पर लॉगइन करके फीडबैक/क्वेरी मॉड्यूल के जरिए भर्ती महानिदेशक से संपर्क कर सकते हैं।

जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है, उन्हें आयु और शैक्षिक योग्यता संबंधी अपने मूल प्रमाण-पत्र भर्ती महानिदेशालय, सेना मुख्यालय, वेस्ट ब्लॉक-III, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 अथवा नौसेना

मुख्यालय, डीएमपीआर, ओआईएंडआर अनुभाग, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

साक्षात्कार के लिये बुलाये गये सभी सेना चयन बोर्ड (एसएसबी) के समक्ष अभ्यर्थियों को मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के मूल प्रमाणपत्र अवश्य अपने साथ लाने हैं। जो अभ्यर्थी सेना चयन बोर्ड के साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें साक्षात्कार के तुरंत बाद मूल प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना होगा। सत्यापन के बाद मूल प्रमाणपत्र लौटा दिए जाएंगे। जो अभ्यर्थी पहले ही 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं वे सेना चयन बोर्ड में साक्षात्कार हेतु अपना 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण करने का मूल प्रमाणपत्र या अंक सूची अवश्य लाएं।

यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

9. यदि आयोग किसी भी अभ्यर्थी को निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित करता है या कर चुका है:

(i) निम्नलिखित माध्यमों से अपनी उम्मीदवारी हेतु समर्थन प्राप्त करना:-

(क) परीक्षा के संचालन कार्य से जुड़े किसी व्यक्ति को अवैध रूप से मदद प्रदान करके; या

(ख) उस पर दबाव डालकर; या

(ग) ब्लैकमेल करके या ब्लैकमेल करने की धमकी देकर; या

(ii) प्रतिरूपधारण ; या

(iii) किसी व्यक्ति को प्रतिरूपधारी बनाना ; या

(iv) जाली दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज जमा करना जिनके साथ छेड़छाड़ की गई हो; या

(v) आवेदन-पत्र में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना।

(vi) गलत या झूठे वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना; या

(vii) परीक्षा हेतु अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित तरीके अपनाना, नामतः

(क) अनुचित माध्यम से प्रश्न-पत्र की प्रति हासिल करना;

(ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्तियों का विवरण हासिल करना;

(ग) परीक्षकों को प्रभावित करना; या

(viii) परीक्षा के समय अपने पास अनुचित सामग्री रखना या अनुचित तरीके अपनाना; या

(ix) उत्तर-पुस्तिकाओं में अश्लील सामग्री लिखना या अश्लील रेखाचित्र बनाना या असंगत सामग्री लिखना; या

(x) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जैसे उत्तर-पुस्तिकाएं फाड़ना, अन्य परीक्षार्थियों को उकसाना कि वे परीक्षा का बहिष्कार करें, अव्यवस्था फैलाना या इसी प्रकार की हरकतें करना; या

(xi) परीक्षा के संचालन कार्य हेतु आयोग द्वारा तैनात कार्मिकों को परेशान करना या शारीरिक क्षति पहुंचाना; या

(xii) कोई मोबाइल फोन (स्विच ऑफ मोड में भी नहीं), पेजर या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्रामेबल उपकरण या स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव, स्मार्ट घड़ी आदि या कोई कैमरा या ब्लूटूथ उपकरण या कोई अन्य उपकरण या संबंधित एक्सेसरी, चालू या स्विच ऑफ मोड में भी अपने पास रखना, जिसका इस्तेमाल परीक्षा के दौरान संचार उपकरण के रूप में किया जा सके; या

(xiii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित उनके प्रवेश प्रमाणपत्रों के साथ जारी सभी या किसी भी अनुदेश का उल्लंघन करना; या

(xiv) ऊपर खण्डों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने के लिए उकसाना;

वह अपने को दण्ड अभियोजना का शिकार बनाने के अतिरिक्त

(क) आयोग की जिस परीक्षा का उम्मीदवार है उसके लिए आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है; और/या

(ख) उसे निम्नलिखित के लिए स्थायी रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जा सकता है:

- (i) आयोग द्वारा उसकी किसी परीक्षा या चयन के लिए;
- (ii) केन्द्र सरकार द्वारा उसके अधीन किसी नियुक्ति के लिए; और

(ग) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो तो उसे विरुद्ध समुचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वशर्ते कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं लगाई जाएगी जब तक कि

- (i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो; और
- (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न कर लिया गया हो।

9.1 कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उप नियम/खंड (i) से (xiii) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में कि किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उप नियम/खंड (xiv) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

10. यात्रा भत्ता:

किसी विशेष प्रकार के कमीशन अर्थात् स्थायी अथवा अल्पकालिक सेवा के लिए एसएसबी साक्षात्कार हेतु प्रथम बार उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी भारतीय सीमाओं के अंदर आरक्षण एवं स्लीपर प्रभागों सहित एसी-3 टीयर से आने-जाने के रेल के किराए अथवा बस के किराए के हकदार होंगे। जो अभ्यर्थी उसी कमीशन के लिए पुनः आवेदन करते हैं, वे बाद के किसी प्रयोजन के लिए यात्रा भत्ता के हकदार नहीं होंगे।

11. **थल सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार:** थल सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ किए गए किसी भी पत्र-व्यवहार में निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए:-

1. परीक्षा का नाम और वर्ष
2. रजिस्ट्रेशन आई डी (आर आई डी)
3. अनुक्रमांक (यदि मिला हो)
4. अभ्यर्थी का नाम (पूरा और स्पष्ट)
5. पत्र व्यवहार का पता, जो आवेदन पत्र में दिया है।

विशेष ध्यान दें (i): जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

विशेष ध्यान दें (ii): यदि परीक्षा हो जाने के बाद किसी अभ्यर्थी का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है, जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और न ही उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। सेना चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद, यदि अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित होते ही अपने नये पते की सूचना तत्काल निम्नलिखित को भी दें-

सेना को प्रथम वरीयता देने वाले अभ्यर्थियों के लिए - सेना मुख्यालय, ए.जी. ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खंड III, स्कंध-1, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 26175473।

नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले अभ्यर्थियों के लिये - नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, ओ आई एण्ड आर अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010097/23011282।

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले अभ्यर्थियों के लिए वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, पी. ओ. 3(ए), कमरा नं. 17, 'जे' ब्लॉक, वायु सेना भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110106, दूरभाष सं. 23010231 एक्सटेंशन 7645/7646/7610।

जो अभ्यर्थी इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेना चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये बुलावा-पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के किसी भी प्रकार के दावे से वंचित रह जाएगा।

लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने एसएसबी केन्द्र और साक्षात्कार की तारीख के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर लागू-आन करना चाहिए:-

www.joinindianarmy.nic.in

www.joinindiannavy.gov.in

www.careerindianairforce.cdac.in

जिन अभ्यर्थियों के नाम सेना चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने के लिए अनुशंसित हैं वह अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी पूछताछ और अनुरोध के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा से 20 दिन के पश्चात् सम्बन्धित सर्विस हेडक्वार्टर्स के निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें या वेबसाइट को देखें:-

सेना को प्रथम वरीयता देने वाले अभ्यर्थियों के लिए - सेना मुख्यालय, ए. जी. ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खण्ड-III, स्कंध-I, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 26175473, या www.joinindianarmy.nic.in

नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले अभ्यर्थियों के लिए नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, ओ.आई. एण्ड आर. अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010097/या ईमेल: officer-navy@nic.in या www.joinindiannavy.gov.in

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले अभ्यर्थियों के लिए—वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, पी. ओ. 3 (ए), कमरा नं. 17, 'जे' ब्लॉक, वायु सेना भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110106, दूरभाष सं. 23010231 एक्सटेंशन 7645/7646/7610 या www.careerindianairforce.cdac.in

अभ्यर्थी को भेजे गए कॉल-अप लेटर द्वारा सूचित तारीख को सेना चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए पहुंचना होगा। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबंधित अनुरोध पर केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जायेगा जिसके लिए निर्णय लेने के अधिकार केवल सेना मुख्यालय का होगा। इस प्रकार के अनुरोध उस चयन केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी को संबोधित होने चाहिए जहां से साक्षात्कार हेतु कॉल-अप लेटर प्राप्त हुआ है। सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय में प्राप्त पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के सेना चयन बोर्ड के साक्षात्कार जुलाई 2021 से सितम्बर 2021 में अथवा भर्ती निदेशालय की सुविधानुसार लिए जाएंगे। योग्यताक्रम सूची कार्यभार ग्रहण अनुदेशों और चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in देखें।

12. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार, अन्तिम परिणामों की घोषणा और अन्तिम रूप से अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश:

संघ लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा अपने विवेकाधिकार के आधार पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा। ये अभ्यर्थी बुद्धिमत्ता परीक्षा तथा व्यक्तित्व परीक्षा के लिए सेना चयन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होंगे, जहां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की थल सेना/नौसेना शाखाओं और भारतीय नौसेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के अभ्यर्थियों की अधिकारी क्षमता का मूल्यांकन होगा। वायु सेना के अभ्यर्थियों को उपरोक्त के अतिरिक्त कंप्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) में भी अर्हता प्राप्त करनी होगी। वायु सेना को

एक विकल्प के रूप में चुनने वाले और एसएसबी में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को भी सीपीएसएस परीक्षा देनी होगी, यदि वे इसके इच्छुक हों।

13. दो चरणों की चयन प्रक्रिया

मनोवैज्ञानिक अभिरूचि परीक्षा और बुद्धिमत्ता परीक्षा पर आधारित दो चरणों की चयन-प्रक्रिया चयन केन्द्रों/वायुसेना चयन बोर्ड/नौसेना चयन बोर्ड में रिपोर्टिंग के कर दी गई है। सभी अभ्यर्थियों को चयन केन्द्रों/वायु सेना चयन बोर्ड/नौसेना चयन बोर्ड पर पहुंचने से पहले दिन प्रथम चरण परीक्षा में रखा जाएगा। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण/शेष परीक्षाओं के लिए प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने पहले चरण की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होगी। वे अभ्यर्थी जो चरण-II की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे उन्हें (i) अपनी जन्मतिथि के प्रमाण के लिए मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र; और (ii) शैक्षिक योग्यता के प्रमाण के लिए 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ-साथ इनकी एक-एक फोटो प्रति भी जमा करनी होगी।

जो अभ्यर्थी सेना चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर वहां परीक्षा देंगे वे अपने ही जोखिम पर इस टेस्ट में शामिल होंगे और सेना चयन बोर्ड में उनका जो टेस्ट होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको किसी व्यक्ति की लापरवाही से या अन्यथा कोई चोट पहुंचती है उसके लिए वे सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के हकदार नहीं होंगे। अभ्यर्थियों के माता-पिता या अभिभावकों को इस आशय के एक प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वीकार्यता हेतु थल सेना/नौ सेना/नौ सेना अकादमी और वायुसेना के अभ्यर्थियों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) अधिकारी क्षमता परीक्षा में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे, जो क्रमशः आयोग तथा सेना चयन बोर्ड द्वारा उनके स्वनिर्णय के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। वायु सेना के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सेना चयन बोर्ड में अर्हता प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को उनकी इच्छुकता (Willingness) पात्रता और वायु सेना की उड़ान शाखा वरीयता के रूप में देने पर सीपीएसएस में अलग अर्हता प्राप्त करनी होगी।

अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों यदि इन शर्तों को पूरा करते हैं तो उनके द्वारा लिखित परीक्षा तथा सेना चयन बोर्ड की परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उन्हें एकल संयुक्त सूची में रखा जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की थल सेना, नौ सेना, वायु सेना में और भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम में प्रवेश के लिए अंतिम रूप से नियतन/चयन, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को देखते हुए अभ्यर्थियों की पात्रता, शारीरिक स्वस्थता और योग्यता- सह-वरीयता के अनुसार होगा। वे अभ्यर्थी जो एक से अधिक सेनाओं/ पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के पात्र हैं, उनके नियतन/चयन पर, उनके द्वारा दिए गए वरीयता-क्रम के संदर्भ में विचार किया जाएगा और किसी एक सेना/ पाठ्यक्रम में उनके अंतिम रूप से नियतन/चुन लिए जाने पर, अन्य सेनाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

विशेष टिप्पणी : वायु सेना की उड़ान शाखा के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी कंप्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) (पायलट अभिरूचि टेस्ट) में केवल एक बार शामिल हो सकेगा। अतः उसके द्वारा प्रथम टेस्ट में प्राप्त ग्रेड ही उसके द्वारा बाद में दिए जाने वाले वायु सेना चयन बोर्ड के प्रत्येक साक्षात्कार में लागू होंगे। सीपीएसएस में अनुत्तीर्ण होने वाला अभ्यर्थी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा की वायु सेना की उड़ान शाखा या जनरल ड्यूटी (पायलट) शाखा या नौसेना वायु आयुध शाखा (नेवल एयर आर्मामेंट) में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सकता।

जिन अभ्यर्थियों का किसी पिछले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पाठ्यक्रम में कंप्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) की परीक्षा हो चुकी हो, उन्हें इस परीक्षा में वायु सेना विंग के लिए केवल तभी आवेदन करना चाहिए, यदि उन्हें सीपीएसएस में अर्हक घोषित कर दिया गया हो। यदि कोई अभ्यर्थी सी पी एस एस में फेल हो गया हो या एच डब्लू जी होने के कारण उस की सी पी एस एस के लिए परीक्षा न ली गई हो तो उस अभ्यर्थी पर भारतीय वायु सेना, नौ सेना, थल सेना व एन ए वी ए सी की ग्रांडड ड्यूटी शाखा के लिए सर्विस विकल्प के अनुसार विचार किया जाएगा।

अलग-अलग अभ्यर्थियों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किए जाएं इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में अभ्यर्थियों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

परीक्षा में सफल होने मात्र से अकादमी में प्रवेश पाने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी को अपनी योग्यताओं के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि वह अकादमी में प्रवेश पाने के लिए सभी तरह से उपयुक्त है।

14. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए अनर्हताएं:

जो अभ्यर्थी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अथवा भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के किसी पूर्व कोर्स में प्रवेश पा चुके थे पर अधिकारी सुलभ विशेषताओं के अभाव के कारण या अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिये गये थे, उनको अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

किंतु जिन अभ्यर्थियों को अस्वस्थता के आधार पर पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय नौ सेना अकादमी से वापस ले लिया गया था या जिन्होंने अपनी इच्छा से उक्त अकादमी छोड़ दी हो उन्हें अकादमी में प्रवेश के लिए पात्र माना जाएगा बशर्ते कि वे स्वास्थ्य संबंधी तथा अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

15. (क) परीक्षा की योजना और पाठ्य क्रम (ख) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी व नौ सेना अकादमी में प्रवेश हेतु शारीरिक मानदंड और (ग) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की सेवा आदि का संक्षिप्त विवरण क्रमशः परिशिष्ट I, II और III में दिया गया है।

मेजर जनरल के. नारायणन, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम)

(क) परीक्षा की योजना:

1. लिखित परीक्षा के विषय, नियत समय तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्न प्रकार से होंगे:-

विषय	कोड	अवधि	अधिकतम अंक
गणित	01	2-1/2 घंटे	300
सामान्य योग्यता टेस्ट	02	2-1/2 घंटे	600
		कुल	900
सेना चयन बोर्ड टेस्ट / साक्षात्कार			900

2. सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होंगे। गणित का प्रश्न पत्र (परीक्षा पुस्तिकाएं) और सामान्य योग्यता परीक्षा के भाग-ख के प्रश्न-पत्र (परीक्षा पुस्तिकाएं) द्विभाषी रूप में हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किये जाएंगे।

3. प्रश्न-पत्रों में, जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटर प्रणाली से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

4. अभ्यर्थियों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें प्रश्न पत्र के उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की मदद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. परीक्षा के किसी भी अथवा सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग के विवेक के अनुसार होगा।

6. अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों (प्रश्न-पुस्तिकाओं) के उत्तर लिखने के लिये केलकुलेटर अथवा गणितीय अथवा लघुगणकीय सारणियां प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अतः ये उन्हें परीक्षा भवन में नहीं लाएं।

(ख) परीक्षा का पाठ्यक्रम :

प्रश्न—पत्र-I

गणित

(कोड संख्या 01)

(अधिकतम अंक 300)

1. बीज गणित:

समुच्चय की अवधारणा, समुच्चयों पर संक्रिया, वेन आरेख। द-मारगन नियम, कार्तीय गुणन, संबंध, तुल्यता-संबंध।

वास्तविक संख्याओं का एक रेखा पर निरूपण। संमिश्र संख्याएं- आधारभूत गुणधर्म, मापक, कोणांक, इकाई का घनमूल। संख्याओं की द्विआधारी प्रणाली। दशमलव प्रणाली की एक संख्या का द्विआधारी प्रणाली में परिवर्तन तथा विलोमतः परिवर्तन। अंकगणितीय, ज्यामितीय तथा हरात्मक श्रेणी, वास्तविक गुणांकों सहित द्विघात समीकरण। ग्राफों द्वारा दो चरों वाले रैखिक असमिका का हल। क्रमचय तथा संचय। द्विपद प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग लघुगणक तथा उनके अनुप्रयोग।

2. आव्यूह तथा सारणिक:

आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों पर संक्रिया। आव्यूह के सारणिक, सारणिकों के आधारभूत गुणधर्म, वर्ग आव्यूह के सहखंडन तथा व्युत्क्रम, अनुप्रयोग-दो या तीन अज्ञातों में रैखिक समीकरणों के तंत्र का कैमर के नियम तथा आव्यूह पद्धति द्वारा हल।

3. त्रिकोणमिति:

कोण तथा डिग्रियों तथा रेडियन में उनका मापन। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय सर्वसमिका योग तथा अंतर सूत्र। बहुल तथा अपवर्तक कोण। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। अनुप्रयोग-ऊँचाई तथा दूरी, त्रिकोणों के गुणधर्म।

4. दो तथा तीन विमाओं की विश्लेषिक ज्यामिति:

आयतीय कार्तीय निर्देशक पद्धति, दूरी सूत्र, एक रेखा का विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण। एक रेखा से एक बिन्दु की दूरी। मानक तथा सामान्य प्रकार में एक वृत्त का समीकरण। परवलय, दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय के मानक प्रकार। एक शांकव की उत्केन्द्रता तथा अक्ष त्रिविम आकाश में बिन्दु, दो बिन्दुओं के मध्य दूरी। दिक्-को साइन तथा दिक्-अनुपात। समतल तथा रेखा के विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण तथा दो तलों के मध्य कोण। गोले का समीकरण।

5. अवकल गणित:

वास्तविक मान फलन की अवधारणा-फलन का प्रांत, रेंज व ग्राफ। संयुक्त फलन, एकैकी, आच्छादक तथा व्युत्क्रम फलन, सीमांत की धारणा, मानक सीमांत-उदाहरण। फलनों के सांतत्य-उदाहरण, सांतत्य फलनों पर बीज गणितीय संक्रिया। एक बिन्दु पर एक फलन का अवकलन एक अवकलन के ज्यामितीय तथा भौतिक निर्वचन-अनुप्रयोग। योग के अवकलज, गुणनफल और फलनों के भागफल, एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलज, संयुक्त फलन का अवकलज। द्वितीय श्रेणी अवकलज, वर्धमान तथा ह्रास फलन। उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ की समस्याओं में अवकलजों का अनुप्रयोग।

6. समाकलन गणित तथा अवकलन समीकरण:

अवकलन के प्रतिलोम के रूप में समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन तथा खंडशः समाकलन, बीजीय व्यंजकों सहित मानक समाकल, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा अतिपरवलयिक फलन निश्चित समाकलनों का मानांकन वक्ररेखाओं द्वारा घिरे समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का निर्धारण -अनुप्रयोग।

अवकलन समीकरण की डिग्री तथा कोटि की परिभाषा, उदाहर उदाहरणों द्वारा अवकलन समीकरण की रचना। अवकलन समीकरण का सामान्य तथा विशेष हल। विभिन्न प्रकार के प्रथम कोटि तथा प्रथम डिग्री अवकलन समीकरणों का हल-उदाहरण। वृद्धि तथा क्षय की समस्याओं में अनुप्रयोग।

7. सदिश बीजगणित:

दो तथा तीन विमाओं में सदिश, सदिश का परिमाण तथा दिशा, इकाई तथा शून्य सदिश, सदिशों का योग, एक सदिश का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणनफल या बिन्दुगुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रास गुणनफल, अनुप्रयोग-बल तथा बल के आघूर्ण तथा किया गया कार्य तथा ज्यामितीय समस्याओं में अनुप्रयोग।

8. सांख्यिकी तथा प्रायिकता:

सांख्यिकी: आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता-बंटन, संचयी बारंबारता-बंटन-उदाहरण, ग्राफीय निरूपण-आयत चित्र, पाई चार्ट, बारंबारता बहुभुज-उदाहरण केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन-माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। प्रसरण तथा मानक विचलन-निर्धारण तथा तुलना। सहसंबंध तथा समाश्रयण।

प्रायिकता: यादृच्छिक प्रयोग, परिणाम तथा सहचारी प्रतिदर्श समष्टि घटना, परस्पर परवर्जित तथा निशेष घटनाएं-असंभव तथा निश्चित घटनाएं, घटनाओं का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ, पूरक, प्रारंभिक तथा संयुक्त घटनाएं। प्रायिकता पर प्रारंभिक प्रमेय-साधारण प्रश्न। प्रतिदर्श समाविष्ट पर फलन के रूप में यादृच्छिक चरद्वि आधारी बंटन, द्विआधारी बंटन को उत्पन्न करने वाले यादृच्छिक प्रयोगों के उदाहरण।

प्रश्न पत्र-II

सामान्य योग्यता परीक्षा

(कोड संख्या 02)

(अधिकतम अंक-600)

भाग (क) अंग्रेजी:

(अधिकतम अंक 200)

अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र इस प्रकार का होगा जिससे अभ्यर्थी की अंग्रेजी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जांच हो सके। पाठ्यक्रम में विभिन्न पहलू समाहित हैं जैसे व्याकरण और उसका प्रयोग, शब्दावली तथा अंग्रेजी में अभ्यर्थी की प्रवीणता की परख हेतु विस्तारित पाठ की समझ तथा उसमें संबद्धता।

भाग (ख) सामान्य ज्ञान:

(अधिकतम अंक 400)

सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों में मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल तथा सम-सामायिक घटनाक्रम शामिल होंगे। इस प्रश्न-पत्र में शामिल किए गए विषयों का क्षेत्र दर्शाने के लिए निम्न पाठ्य-क्रम तैयार किया गया है। उल्लिखित विषयों को सर्वांग पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए तथा इसी प्रकार के उन उप-विषयों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका इस पाठ्य क्रम में उल्लेख नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा दिये गये उत्तरों से यह पता चलना चाहिये कि उसे संबंधित विषय की जानकारी है और वह इसे पूरी तरह समझता है।

खंड-क (भौतिकी):

द्रव्य के भौतिक गुणधर्म तथा स्थितियां, संहति, भार, आयतन, घनत्व तथा विशिष्ट घनत्व, आर्कमिडिज का सिद्धांत, वायु दाब मापी, बिम्ब की गति, वेग और त्वरण, न्यूटन के गति नियम, बल और संवेग, बल समान्तर चतुर्भुज, पिण्ड का स्थायित्व और संतुलन, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, शक्ति और ऊर्जा का प्रारंभिक ज्ञान।

ऊष्मा का प्रभाव, तापमान का माप और ऊष्मा, स्थिति परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा अभिगमन की विधियां।

ध्वनि तरंग और उनके गुण-धर्म, सरल वाद्य यंत्र, प्रकाश का ऋतुरेखीय चरण, परावर्तन और अपवर्तन, गोलीय दर्पण और लेन्सेज, मानव नेत्र, प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुम्बक, चुम्बक के गुण धर्म। पृथ्वी चुम्बक के रूप में स्थैतिक तथा धारा विद्युत। चालक और अचालक, ओहम नियम, साधारण विद्युत परिपथ। धारा के मापन, प्रकाश तथा चुम्बकीय प्रभाव, विद्युत शक्ति का माप। प्राथमिक और गौण सेल। एक्स-रे के उपयोग। निम्नलिखित के कार्य के संचालन के सिद्धान्त: सरल लोलक, सरल घिरनी, साइफन, उत्तोलक, गुब्बारा, पंप, हाईड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मस फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, नाविक दिक्सूचक, तडित चालक, सुरक्षा फ्यूज।

खंड-ख (रसायन शास्त्र):

भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, तत्व मिश्रण तथा यौगिक, प्रतीक सूत्र और सरल रासायनिक समीकरण रासायनिक संयोग के नियम (समस्याओं को छोड़कर) वायु तथा जल के रासायनिक गुण धर्म।

हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाई-आक्साइड की रचना और गुण धर्म, आक्सीकरण और अपचयन।

अम्ल, क्षारक और लवण।

कार्बन-भिन्न रूप

उर्वरक-प्राकृतिक और कृत्रिम।

साबुन, कांच, स्याही, कागज, सीमेंट, पेंट, दियासलाई और गनपाउडर जैसे पदार्थों को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री।

परमाणु की रचना, परमाणु तुल्यमान और अणुभार, संयोजकता का प्रारंभिक ज्ञान।

खंड-ग (सामान्य विज्ञान):

जड़ और चेतन में अंतर।

जीव कोशिकाओं, जीव द्रव्य और ऊतकों का आधार।

वनस्पति और प्राणियों में वृद्धि और जनन।

मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारंभिक ज्ञान।

सामान्य महामारियों और उनके कारण तथा रोकने के उपाय।

खाद्य-मनुष्य के लिए ऊर्जा का स्रोत। खाद्य के अवयव। संतुलित आहार, सौर परिवार, उल्का और धूमकेतु, ग्रहण।

प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की उपलब्धियां

खंड-घ (इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन आदि):

भारतीय इतिहास का व्यापक सर्वेक्षण जिसमें संस्कृति और सभ्यता पर विशेष बल हो

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन।

भारतीय संविधान और प्रशासन का बुनियादी अध्ययन।

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं।

पंचायती राज, सहकारी समितियां और सामुदायिक विकास की बुनियादी जानकारी।

भूदान, सर्वोदय, राष्ट्रीय एकता और कल्याणकारी राज्य, महात्मा गांधी के मूल उपदेश।

आधुनिक विश्व निर्माण करने वाली ताकतें, पुनर्जागरण, अन्वेषण और खोज, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और रूसी क्रांति, समाज पर विज्ञान और औद्योगिकी का प्रभाव। एक विश्व की संकल्पना, संयुक्त राष्ट्र, पंचशील, लोकतंत्र, समाजवाद तथा साम्यवाद, वर्तमान विश्व में भारत का योगदान।

खंड-ङ (भूगोल):

पृथ्वी, इसकी आकृति और आकार, अक्षांश और रेखांश, समय संकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा, पृथ्वी की गतियां और उनके प्रभाव।

पृथ्वी का उद्भव, चट्टानें और उनका वर्गीकरण, अपक्षय-यांत्रिक और रासायनिक, भूचाल तथा ज्वालामुखी।

महासागर धाराएं और ज्वार भाटे।

वायुमण्डल और इसका संगठन, तापमान और वायुमण्डलीय दाब, भूमण्डलीय पवन, चक्रवात और प्रति चक्रवात, आर्द्रता, द्रव्यण और घर्षण जलवायु के प्रकार, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र।

भारत का क्षेत्रीय भूगोल-जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि और औद्योगिक कार्यकलापों के स्थान और वितरण।

भारत के महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन, मुख्य समुद्री, भू और वायु मार्ग, उनके लिए स्थान। भारत के आयात और निर्यात की मुख्य मर्दे।

खंड-च (सम-सामयिक घटनाएं):

हाल ही के वर्षों में भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी।

पूरे विश्व में होने वाली सम-सामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं।

प्रतिष्ठित व्यक्ति-भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय, इनमें सांस्कृतिक क्रियाकलापों और खेलकूद से संबंधित व्यक्ति भी शामिल हैं।

टिप्पणी: इस प्रश्न-पत्र के भाग (ख) के लिए नियत अधिकतम अंकों में से खण्ड क, ख, ग, घ, च तथा छ प्रश्नों के क्रमशः लगभग 25%, 15%, 10%, 20%, 20% तथा 10% अंक होंगे।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व संबंधी टेस्ट:

सेना चयन बोर्ड (एसएसबी) प्रक्रिया के अंतर्गत चयन प्रक्रिया के दो चरण होते हैं चरण-I व चरण-II। चरण-II में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को बैठने की अनुमति दी जाती है जो चरण-I में सफल रहते हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है:

(क) चरण-1 के अंतर्गत अधिकारी बुद्धिमत्ता रेटिंग (ओआईआर) टेस्ट व चित्र बोध (पिक्चर परसेप्शन)* व विवरण टेस्ट (पीपी एवं डीटी) होते हैं। अभ्यर्थियों को ओआईआर टेस्ट तथा पीपी एवं डीटी दोनों में संयुक्त रूप से उनकी क्षमता प्रदर्शन के आधार पर शार्टलिस्ट किया जाएगा।

(ख) चरण-2 के अंतर्गत साक्षात्कार, ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी टास्क, सायकोलोजी टेस्ट तथा कांफ्रेंस शामिल होता है। ये टेस्ट 4 दिनों तक लिए जाते हैं। इन परीक्षाओं का विवरण वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है।

किसी अभ्यर्थी के व्यक्तित्व का आकलन तीन विभिन्न आकलनकर्ताओं नामतः साक्षात्कार अधिकारी (आईओ), ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी (जीटीओ) तथा मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाता है। प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग अलग अंक (वेटेज) नहीं हैं। आकलनकर्ताओं द्वारा अभ्यर्थियों को अंकों का आबंटन सभी परीक्षाओं में उनके समग्र कार्यनिष्पादन पर विचार करने के पश्चात ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त कांफ्रेंस हेतु अंकों का आबंटन भी तीनों तकनीकों में अभ्यर्थी के आरंभिक क्षमता प्रदर्शन तथा बोर्ड के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इन सभी के अंक (वेटेज) समान हैं।

आईओ, जीटीओ तथा मनोविज्ञान की विभिन्न परीक्षाएं इस प्रकार तैयार की गई हैं जिससे अभ्यर्थी में अधिकारी सम्मत गुणों (आफिसर लाइक क्वालिटीज) के होने/नहीं होने तथा प्रशिक्षित किए जाने की उसकी क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तदनुसार, एसएसबी में उम्मीदवारों की अनुशंसा की जाती है।

परिशिष्ट-2

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के शारीरिक मानदंडों से संबंधित दिशा निर्देश

टिप्पणी: अभ्यर्थियों को निर्धारित शारीरिक मानदंडों के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। नीचे दिए गए चिकित्सा स्वस्थता मानदंड प्रकाशन की तारीख पर विद्यमान दिशा निर्देशों के अनुरूप हैं और इन दिशा निर्देशों में संशोधन किया जा सकता है।

बाद में परीक्षा में हूता प्राप्त कई अभ्यर्थियों को चिकित्सा आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अपनी चिकित्सा जांच करवाना उनके हित में होगा जिससे परीक्षा के अंतिम चरण में पहुंच कर उन्हें निराशा न हो।

1. अभ्यर्थियों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि सेना चयन बोर्ड द्वारा उनके नाम की सिफारिश किए जाने के बाद चिकित्सा संबंधी अपने छोटे मोटे दोष/बीमारियों का इलाज करवा लें ताकि सैनिक अस्पताल में की जाने वाली चिकित्सा जांच का निर्णय शीघ्र हो सके।

2. ऐसे कुछ दोष/बीमारियां नीचे दर्शाई गई हैं:-

- (क) कान का मैल
- (ख) डेवियेटिड नेजल सेप्टम
- (ग) हाइड्रोसिल/फीमोसिस
- (घ) अधिक वजन/कम वजन
- (ङ) छाती कम चौड़ी होना
- (च) बवासीर
- (छ) गाइनि कोमेस्टिया

- (ज) टांसिल
(झ) वेरिकोसिल

नोट: केवल अग्र बाजू के भीतर की तरफ अर्थात् कुहनी के भीतर से कलाई तक और हथेली के ऊपरी भाग/हाथ के पिछले हिस्से की तरफ स्थायी बॉडी टैटू बनवाने की अनुमति है। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर स्थायी बॉडी टैटू स्वीकार्य नहीं है और अभ्यर्थी को आगे की चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। जनजातियों को उनके मौजूदा रीति रिवाजों एवं परंपराओं के अनुसार मामला दर मामला के आधार पर उनके चेहरे या शरीर पर टैटू के निशान की अनुमति होगी। ऐसे मामलों में मंजूरी प्रदान करने के लिए कमांडेंट चयन केन्द्र सक्षम प्राधिकारी होगा।

3. सशस्त्र सेना में सभी प्रकार के कमीशन के लिए परीक्षा देने वाले असैनिक अभ्यर्थी चयन बोर्ड द्वारा अपनी जांच के दौरान किसी प्रकार की चोट या संक्रमित रोग होने पर सेना के स्रोतों से सरकारी खर्च पर बाह्य-रोगी चिकित्सा के हकदार होंगे। वे अस्पताल के अधिकारी-वार्ड में सरकारी खर्च पर अंतरंग रोगी चिकित्सा के भी हकदार होंगे, बशर्ते कि

(क) चोट टेस्ट के दौरान लगी हो, अथवा

(ख) चयन बोर्ड द्वारा की गई जांच के दौरान रोग का संक्रमण हुआ हो और स्थानीय सिविल अस्पताल में उपयुक्त जगह नहीं हो या रोगी को सिविल अस्पताल में ले जाना मुश्किल हो; अथवा

(ग) यदि चिकित्सा बोर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए अभ्यर्थी को भर्ती करना अपेक्षित समझे।

नोट: वे विशेष सेवा के लिए प्राधिकृत नहीं हैं।

4. **चिकित्सा प्रक्रिया:** सेना चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी को सेना चिकित्सा अफसर बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जांच करानी होगी। अकादमी में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाएंगे। चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही गोपनीय होती है, जिसके बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा। किन्तु चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की जानकारी चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी तथा अभ्यर्थियों को अपील चिकित्सा बोर्ड से अनुरोध करने की प्रक्रिया भी बता दी जाएगी।

5. अपील चिकित्सा बोर्ड द्वारा की गई जांच के दौरान अयोग्य घोषित अभ्यर्थियों को समीक्षा चिकित्सा बोर्ड संबंधी प्रावधान के बारे में सूचित किया जायेगा।

6. थल सेना, वायु सेना (उड़ान और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं) एवम नौ सेना के लिये चिकित्सा मानक और चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया क्रमशः परिशिष्ट 'क', 'ख', 'ग' में दी गई है जो कि निम्नलिखित वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

(क) सेना में अधिकारियों के प्रवेश के लिए : चिकित्सा मानकों और चिकित्सा प्रक्रिया www.joinindianarmy.nic.in

(ख) वायु सेना (उड़ान और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं) में अधिकारियों के प्रवेश के लिए: चिकित्सा मानकों और चिकित्सा प्रक्रिया www.careerindianairforce.cdac.in

(ग) नौसेना में अधिकारियों के प्रवेश के लिए : चिकित्सा मानकों और चिकित्सा प्रक्रिया www.joinindiannavy.gov.in

नोट : मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही गोपनीय है, किसी को भी नहीं दी जाएगी। भर्ती महानिदेशक की किसी मेडिकल बोर्ड में भूमिका नहीं है और सक्षम चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाएगा।

संलग्नक 'क'

थल सेना में अफसर पदों पर भर्ती के लिए चिकित्सा मानक और मेडिकल परीक्षा की प्रक्रिया

1. परिचय

(क) सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख उत्तरदायित्व देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है और इसीलिए सशस्त्र सेनाओं को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखा जाता है। युद्ध की तैयारी के लिए सैन्यकर्मियों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इसके साथ-साथ जब भी जरूरत हो जैसे कि आपदाओं के समय, सशस्त्र सेनाएं सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए भी उपलब्ध रहती हैं। इस प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए सशस्त्र सेनाओं में शारीरिक

सौष्ठव और सुदृढ़ मानसिक संतुलन वाले जवानों की जरूरत होती है। ऐसे उम्मीदवार दुर्गम क्षेत्रों और विषम परिस्थितियों में बगैर मेडिकल सुविधाओं के भी अपने सैन्य दायित्वों के निर्वाह में सक्षम होने चाहिए जो उन परिस्थितियों में कठोर तनाव को झेल सकें। किसी रोग/अपंगता के कारण चिकित्सीय रूप से अयोग्य कार्मिक न केवल कीमती संसाधनों की बरबादी करेगा बल्कि सैन्य ऑपरेशनों के दौरान अपने दल के अन्य सदस्यों के लिए भी मुसीबत और खतरे का सबब बन सकता है। इसलिए केवल चिकित्सीय रूप से योग्य अथवा फिट उम्मीदवारों का ही चयन किया जाता है जो युद्ध प्रशिक्षण के लिए योग्य हों।

(ख) सशस्त्र सेनाओं में 'चिकित्सीय रूप से योग्य' कार्मिकों का चयन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस का होता है।

(ग) अपनी पेशेवर विशिष्टता यूनिट में सौंपा गया कार्य, आयु अथवा लिंग से परे हटकर हर सशस्त्र सेना कार्मिक के लिए सेना में शामिल होने के समय आधारभूत 'मेडिकल फिटनेस' होना अनिवार्य है। फिटनेस के इसी आधारभूत स्तर को उनकी भावी पेशेवर विशिष्टताओं अथवा यूनिट कार्यों के लिए प्रशिक्षण के बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे युद्ध में उनकी तैनाती की तत्परता में भी वृद्धि होगी।

(घ) सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस के मेडिकल अफसरों द्वारा चिकित्सा जांच का कार्य अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाता है। बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के बाद ये मेडिकल अफसर सशस्त्र सेनाओं की विशिष्ट कार्य परिस्थितियों में काम करने के लिए भली-भांति तैयार होते हैं। एक मेडिकल अफसर बोर्ड द्वारा इन चिकित्सा जांचों का अंतिम निर्णय लिया जाता है। गौरतलब है कि मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। उम्मीदवार के नामांकन/कमीशन के दौरान किसी रोग/अपंगता/चोट/आनुवांशिक रोग अथवा विकार के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न हो तो संदेह का लाभ प्राधिकारी को दिया जाएगा।

चिकित्सा मानक

2. निम्नलिखित पैराग्राफों में विर्णित चिकित्सा मानक सामान्य दिशानिर्देश हैं जो रोगों से संबंधित अथाह ज्ञान के संदर्भ में संपूर्ण नहीं हैं। वैज्ञानिक ज्ञान में प्रगति और नए उपकरणों/ट्रेड के प्रवेश के साथ सशस्त्र सेनाओं में काम करने के तरीकों में परिवर्तनों के चलते यह मानक भी परिवर्तनशील होते हैं। ये परिवर्तन समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के नीति पत्रों द्वारा लागू किए जाते हैं। इन दिशानिर्देशों व सिद्धांतों के आधार पर मेडिकल अफसरों, विशेष मेडिकल अफसरों तथा मेडिकल बोर्ड द्वारा उपयुक्त निर्णय लिए जाते हैं।

3. 'चिकित्सीय रूप से फिट अथवा योग्य करार दिए जाने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार की शारीरिक व मानसिक दशा सही हो तथा वह ऐसे किसी भी रोग/अपंगता/लक्षणों से मुक्त हो जो समुद्र व हवाई भूभागों सहित दुर्गम क्षेत्रों में तथा विषम परिस्थितियों में मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता के बगैर उसके सैन्य दायित्वों के निर्वहन में बाधक हों। उम्मीदवार ऐसी किसी भी चिकित्सीय परिस्थितियों से मुक्त होना चाहिए जिसमें नियमित रूप से दवाओं अथवा चिकित्सा सुविधाओं के उपयोग की जरूरत हो।

- (क) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उम्मीदवार स्वस्थ हो तथा उसके शरीर के किसी अंग अथवा प्रणाली में खराबी, जन्मजात विकृति/बीमारी के लक्षण न हों।
- (ख) ट्यूमर/सिस्ट/लिम्फ नोड्स में सूजन सहित शरीर के किसी भी भाग में कोई सूजन न हो तथा शरीर में कहीं साइनस अथवा नासूर की शिकायत न हो।
- (ग) शरीर की त्वचा पर कहीं हाइपर या हाइपो पिगमेंटेशन अथवा किसी अन्य प्रकार की बीमारी के लक्षण/अपंगता न हो।
- (घ) शरीर में हार्निया की शिकायत न हो।
- (च) शरीर पर ऐसे कोई निशान न हो, जो कामकाज को बाधित करते हों या विकलांगता अथवा अक्षमता उत्पन्न करते हों।
- (छ) शरीर में कहीं भी धमनी व शिराओं से संबंधित खराबी न हो।

- (ज) सिर और चेहरे में किसी प्रकार की खराबी जिसमें एकरूपता न हो, अस्थिभंग अथवा खोपड़ी की हड्डियों के दबाव से बनी विकृतियाँ, अथवा पूर्व में किए गए किसी मेडिकल ऑपरेशन के निशान तथा साइनस व नासूर इत्यादि जैसी खराबियाँ शामिल हैं, न हों।
- (झ) रंगों की पहचान करने में खराबी तथा दृष्टि क्षेत्र में खराबी सहित किसी प्रकार की दृष्टिबाधिता न हो।
- (ट) सुनने में किसी प्रकार की अक्षमता, कानों के प्रकोष्ठ-कर्णावर्त प्रणाली में किसी प्रकार की खराबी/अक्षमता न हो।
- (ठ) किसी बीमारी के कारणवश बोलने में किसी प्रकार की बाधा न हो।
- (ड) नाक अथवा जिह्वा की हड्डियों अथवा उपास्थि में किसी प्रकार की बीमारी/अक्षमता/जन्मजात विकृति/लक्षण न हों अथवा तालू, नाक में पॉलिप्स अथवा नाक व गले की कोई बीमारी न हो। नाक में कोई विकृति अथवा टॉन्सिलाइटिस की शिकायत न हो।
- (ढ) गले, तालू टॉन्सिल अथवा मसूड़ों की कोई बीमारी/लक्षण/अक्षमता न हो अथवा दोनों जबड़ों के जोड़ों के काम को बाधित करने वाली कोई बीमारी अथवा चोट न हो।
- (त) जन्मजात, आनुवांशिक, रक्तचाप और चालन विकारों सहित दिल तथा रक्त वाहिकाओं संबंधी कोई रोग/लक्षण/अक्षमता न हो।
- (थ) पलमोनरी टी बी अथवा इस रोग से संबंधित पुराने लक्षण अथवा फेफड़ों व छाती संबंधी कोई अन्य बीमारी/लक्षण/अक्षमता जिसमें किसी प्रकार की एलर्जी/प्रतिरक्षा स्थितियाँ, संयोजी ऊतक विकार तथा छाती के मस्क्युलोस्केलेटल विकार शामिल हैं, न हों।
- (द) पाचन तंत्र संबंधी कोई बीमारी जिसमें असामान्य लिवर तथा लिवर रोग तथा अग्न्याशय की जन्मजात, आनुवांशिक बीमारियाँ/लक्षण तथा अक्षमताएं शामिल हैं, न हों।
- (ध) एंडोक्राइन सिस्टम अथवा प्रणाली तथा रेटिक्युलोएंडोथीलियल सिस्टम संबंधी किसी प्रकार का रोग/लक्षण /अक्षमता न हो।
- (न) जेनिटो-यूरीनरी सिस्टम संबंधी कोई रोग/लक्षण /अक्षमता जिसमें किसी अंग अथवा ग्रंथि की विकलांगता, एट्रोफी/हाइपरट्रोफी शामिल हैं, न हो।
- (प) किसी प्रकार का सक्रिय, अव्यक्त या छिपा हुआ अथवा जन्मजात यौन रोग न हो।
- (फ) किसी प्रकार के मानसिक रोग, मिर्गी, मूत्र नियंत्रण संबंधी अक्षमता न हो अथवा उसका इतिहास न हो।
- (ब) मस्क्युलोस्केलेटल सिस्टम तथा खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी व अन्य अंगों सहित जोड़ों से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी/अक्षमता/लक्षण न हों।
- (भ) कोई जन्मजात अथवा आनुवांशिक रोग/लक्षण /अक्षमता न हों।

4. एस एस बी चयन प्रक्रिया के दौरान मनोवैज्ञानिक परीक्षा आयोजित की जाएगी मगर चिकित्सीय जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो वह उम्मीदवार के चयन की अस्वीकृति का कारण हो सकता है।

5. उपर्युक्त दिशानिर्देशों के आधार पर सामान्यतः जिन चिकित्सीय जांच अनियमितताओं, कमियों या अक्षमताओं के कारण किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को अस्वीकृत किया जाता है, वे निम्नलिखित हैं :-

- (क) रीढ़ की हड्डी, छाती व कूल्हे तथा अन्य अंगों से संबंधित मस्क्युलो-स्केलेटल विकलांगता जैसे, स्कोलियोसिस, टॉरटीकॉलिस, कायफॉसिस, मेरूदण्ड, पसलियों, वक्ष-अस्थि तथा अस्थि पिंजर की अन्य विकलांगताएं, विकृत अंग, उंगलियाँ, पैरो की उंगलियाँ तथा रीढ़ की हड्डी के जन्मजात विकार।
- (ख) अंगों की विकलांगता: विकृत अंग, हाथों व पैरों की उंगलियाँ, विकृत जोड़ जैसे कि क्यूबिटस वलगस, क्यूबिटस, वॉरस, नॉक नीज, बो लेग, हाइपरमोबाइल जोड़, हाथ व पैरों की विच्छेदित उंगलियाँ तथा शरीर के अंग, जो वास्तविक आकार से छोटे हों।
- (ग) नेत्र व नेत्रज्योति : मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग, कॉर्निया, लेंस, रेटिना में चोट, आंखों में भैगापन एवं टॉसिस।

(घ) सुनने की क्षमता, कान, नाक व गला : सुनने की क्षमता अथवा श्रवण शक्ति कम होना, बाह्य कर्ण, कान की पट्टी की झिल्लियों, कान का भीतरी हिस्सा, नाक का सेक्टम मुड़ा हुआ होना एवं होंठ, तालू, पेरी-ऑरिग्युलर साइनस तथा लिम्फेडिनाइटिस/एडीनोपैथी ऑफ नेक। दानों कानों के लिए बातचीत तथा फुसफुसाहट को सुनने की क्षमता 610 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

(च) **दंतचिकित्सा की स्थिति :**

- (i) जबड़ों की प्रारंभिक रोगात्मक स्थिति जो बड़ भी सकता है और बार-बार भी हो सकता है।
- (ii) ऊपरी और निचले जबड़े के बीच विसंगति होना जिससे खाना चबाने में और बोलने में दिक्कत होती है जो उम्मीदवारी रद्द करता है।
- (iii) रोगसूचक टेम्पोरो-मैंडीबुलर जोड़ एवं उसमें सूजन होना। मुंह का किनारों पर 30 सेंटीमीटर से कम खुलना तथा मुंह ज्यादा खोलने पर टेम्पोरो-मैंडीबुलर जोड़ अपने स्थान से हटना।
- (iv) कैंसर की सभी संभावित स्थितियां।
- (v) मुंह खोलने के प्रतिबंध के साथ तथा उसके बगैर सब-म्यूक्स फाइब्रोसिस की नैदानिक पहचान।
- (vi) दंतसंरचना में खराबी तथा/अथवा मसूड़ों से खून निकलना जिसके कारण दंत-स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।
- (vii) दांत ढीले होना, दो से अधिक दांत हिलने पर या कमजोर होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द होगी।
- (viii) कॉस्मेटिक अथवा मैक्सिलोफैथियल सर्जरी/ट्रामा के बाद उम्मीदवार सर्जरी/चोट लगने की तारीख से, जो भी बाद में हो, कम से कम 24 सप्ताह तक उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी के अयोग्य ठहराया जाएगा।
- (ix) यदि दांतों के रखरखाव में कमी के कारण भोजन चबाने, दंत-स्वास्थ्य एवं मुंह की स्वस्थता को बनाए रखने अथवा सामान्य पोषण को कायम रखने में दिक्कत हो अथवा उम्मीदवार के कर्तव्यों के निर्वहन में दिक्कत हो तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

(छ) **छाती :** तपेदिक रोग अथवा तपेदिक होने के प्रमाण हों, दिल या फेफड़ों में घाव, छाती की दीवार पर मस्क्यूलो-स्केलेटल घाव हों।

(ज) **पेट तथा जेनिटर-मूत्र प्रणाली :** हर्निया, अन-डिसेंडेड टेस्टीस, बेरिकोसील, ऑर्गेनोमिगैली, सॉलिटरी किडनी, हॉर्सशू किडनी, तथा किडनी/लिवर में सिस्ट होना, गॉल ब्लेडर में पथरी, रीनल एवं यूरेट्रिक पथरी, यूरोजिनाइटल अंगों में अपंगता अथवा घाव होना, बवासीर रोग तथा लिम्फेडिनाइटिस रोग होना।

(झ) **तंत्रिका तंत्र :** झटके/दौरे पड़ना, बोलने में दिक्कत होना या असंतुलन होना।

(ट) **त्वचा :** विटिलिगो, हीमैजियोमास, मस्से होना, कॉर्न की समस्या होना, त्वचा रोग, त्वचा संक्रमण, त्वचा पर कहीं वृद्धि तथा हाइपरहाइड्रॉसिस होना।

6. **लम्बाई एवं वजन**

सेना में प्रवेश की शाखा के आधार पर वांछित लम्बाई भिन्न-भिन्न होती है। शरीर का वजन शरीर की लम्बाई के अनुपात में होना चाहिए जैसा कि निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है :-

आयु (वर्ष में)	सभी आयु के लिए न्यूनतम वजन	आयु वर्ग: 17 से 20 वर्ष	आयु वर्ग: 20+01दिन 30 वर्ष	आयु वर्ग: 30+01दिन से 40 वर्ष	आयु 40 वर्ष से अधिक
लंबाई (से.मी.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)
140	35.3	43.1	45.1	47.0	49.0

141	35.8	43.7	45.7	47.7	49.7
142	36.3	44.4	46.4	48.4	50.4
143	36.8	45.0	47.0	49.1	51.1
144	37.3	45.6	47.7	49.8	51.8
145	37.8	46.3	48.4	50.5	52.6
146	38.4	46.9	49.0	51.2	53.3
147	38.9	47.5	49.7	51.9	54.0
148	39.4	48.2	50.4	52.6	54.8
149	40.0	48.8	51.1	53.3	55.5
150	40.5	49.5	51.8	54.0	56.3
151	41.0	50.2	52.4	54.7	57.0
152	41.6	50.8	53.1	55.4	57.8
153	42.1	51.5	53.8	56.2	58.5
154	42.7	52.2	54.5	56.9	59.3
155	43.2	52.9	55.3	57.7	60.1
156	43.8	53.5	56.0	58.4	60.8
157	44.4	54.2	56.7	59.2	61.6
158	44.9	54.9	57.4	59.9	62.4
159	45.5	55.6	58.1	60.7	63.2
160	46.1	56.3	58.9	61.4	64.0
161	46.7	57.0	59.6	62.2	64.8
162	47.2	57.7	60.4	63.0	65.6
163	47.8	58.5	61.1	63.8	66.4
164	48.4	59.2	61.9	64.6	67.2
165	49.0	59.9	62.6	65.3	68.1
166	49.6	60.6	63.4	66.1	68.9
167	50.2	61.4	64.1	66.9	69.7
168	50.8	62.1	64.9	67.7	70.6
169	51.4	62.8	65.7	68.5	71.4
170	52.0	63.6	66.5	69.4	72.3

171	52.6	64.3	67.3	70.2	73.1
172	53.3	65.1	68.0	71.0	74.0
173	53.9	65.8	68.8	71.8	74.8
174	54.5	66.6	69.6	72.7	75.7
175	55.1	67.4	70.4	73.5	76.6
176	55.8	68.1	71.2	74.3	77.4
177	56.4	68.9	72.1	75.2	78.3
178	57.0	69.7	72.9	76.0	79.2
179	57.7	70.5	73.7	76.9	80.1
180	58.3	71.3	74.5	77.8	81.0
181	59.0	72.1	75.4	78.6	81.9
182	59.6	72.9	76.2	79.5	82.8
183	60.3	73.7	77.0	80.4	83.7
184	60.9	74.5	77.9	81.3	84.6
185	61.6	75.3	78.7	82.1	85.6
186	62.3	76.1	79.6	83.0	86.5
187	62.9	76.9	80.4	83.9	87.4
188	63.6	77.8	81.3	84.8	88.4
189	64.3	78.6	82.2	85.7	89.3
190	65.0	79.4	83.0	86.6	90.3
191	65.7	80.3	83.9	87.6	91.2
192	66.4	81.1	84.8	88.5	92.2
193	67.0	81.9	85.7	89.4	93.1
194	67.7	82.8	86.6	90.3	94.1
195	68.4	83.7	87.5	91.3	95.1
196	69.1	84.5	88.4	92.2	96.0
197	69.9	85.4	89.3	93.1	97.0
198	70.6	86.2	90.2	94.1	98.0
199	71.3	87.1	91.1	95.0	99.0
200	72.0	88.0	92.0	96.0	100.0

201	72.7	88.9	92.9	97.0	101.0
202	73.4	89.8	93.8	97.9	102.0
203	74.2	90.7	94.8	98.9	103.0
204	74.9	91.6	95.7	99.9	104.0
205	75.6	92.5	96.7	100.9	105.1
206	76.4	93.4	97.6	101.8	106.1
207	77.1	94.3	98.6	102.8	107.1
208	77.9	95.2	99.5	103.8	108.2
209	78.6	96.1	100.5	104.8	109.2
210	79.4	97.0	101.4	105.8	110.3

(क) ऊपर दिया गया लंबाई-वजन चार्ट सभी वर्गों के कार्मिकों के लिए है। यह चार्ट बी एम आई के आधार पर बनाया गया है। इस चार्ट में किसी लंबाई विशेष के उम्मीदवार का न्यूनतम स्वीकृत वजन दिया गया है। किसी भी मामले में न्यूनतम स्वीकृत वजन से कम वजन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दी गई लंबाई के अनुसार अधिकतम स्वीकृत वजन को विभिन्न आयु-वर्ग में विभाजित किया गया है। अधिकतम स्वीकृत वजन सीमा से अधिक वजन वाले उम्मीदवारों को केवल उन मामलों में स्वीकार किया जाएगा। जहाँ वे राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती, बॉडी-बिल्डिंग एवं बॉक्सिंग खेलों में शामिल होने का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में निम्नलिखित मानक होंगे :-

- (i) बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम होना चाहिए।
- (ii) कमर और कूल्हे का अनुपात पुरुषों के लिए 0.9 तथा महिलाओं के लिए 0.8 होगा।
- (iii) कमर का घेरा पुरुषों के लिए 90 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 80 सेंटीमीटर से कम होगा।
- (iv) सभी बायोकेमिकल मेटाबॉलिक मानक सामान्य सीमाओं में होंगे।

नोट : 17 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवारों के लिए लंबाई तथा वजन का मापदंड '05 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए इंडियन एकेडेमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के लंबाई, वजन बी एम आई विकास चार्ट' के दिशानिर्देशानुसार होगा।

7. सभी अफसर प्रवेश और प्री-कमीशन प्रशिक्षण अकादमियों में निम्नलिखित जांच की जाएंगी परंतु यदि मेडिकल अफसर/मेडिकल बोर्ड चाहे या ठीक समझे तो इसके अलावा अन्य किसी बिन्दु पर भी जांच कर सकते हैं।

- (क) संपूर्ण हीमोग्राम
- (ख) यूरिन आर ई (रूटीन)
- (ग) चेस्ट एक्सरे
- (घ) अल्ट्रासाउंड (यू एस जी) पेट व पेडू

8. आयु वर्ग एवं भर्ती या प्रवेश के प्रकार के आधार पर नेत्र ज्योति संबंधी कुछ मानक भिन्न हो सकते हैं जैसा कि निम्नलिखित है :-

मानदण्ड	स्टैंडर्ड : 10+2 प्रवेश एन डी	स्नातक एवं समकक्ष प्रवेश	स्नातकोत्तर एवं समकक्ष
	ए(सेना), टी ई एस	सी डी एस ई, आई एम ए, ओ टी ए, यू ई एस, एन सी सी, टी जी सी एवं समकक्ष	प्रवेश : जैग, ए ई सी, ए पी एस, टी ए, ए एम सी, ए डी सी, एस एल एवं समकक्ष

असंशोधित दृष्टि (अधिकतम स्वीकृत)	6/36 एवं 6/36	6/60 एवं 6/60	3/60 एवं 3/60
बी सी बी ए	दायां 6/6 तथा बायां 6/6	दायां 6/6 तथा बायां 6/6	दायां 6/6 तथा बायां 6/6
मायोपिया	≤ -2.5 डी स्फ (अधिकतम द्रष्टिवैषम्य सहित $\leq +/ - 2.0$ डी साईल)	≤ -3.50 डी स्फ (अधिकतम द्रष्टिवैषम्य सहित $\leq +/ - 2.0$ डी साईल)	≤ -5.50 डी स्फ (अधिकतम द्रष्टिवैषम्य सहित $\leq +/ - 2.0$ डी साईल)
हाइपरमेट्रोपिया	$\leq +2.5$ डी स्फ (अधिकतम द्रष्टिवैषम्य सहित $\leq +/ - 2.0$ डी साईल)	$\leq +3.50$ डी स्फ (अधिकतम द्रष्टिवैषम्य सहित $\leq +/ - 2.0$ डी साईल)	$\leq +3.50$ डी स्फ (अधिकतम द्रष्टिवैषम्य सहित $\leq +/ - 2.0$ डी साईल)
लौसिक/समकक्ष सर्जरी	अनुमति नहीं है	अनुमति*	अनुमति*
रंग धारणा	सी पी - II	सी पी - II	सी पी - II

* लौसिक अथवा समकक्ष केराटो-रिफ्रेक्टिव प्रक्रिया

(क) यदि कोई उम्मीदवार केराटो-रिफ्रेक्टिव प्रक्रिया करवाता है तो उसे प्रक्रिया तारीख व सर्जरी किस प्रकार की है, इस बात का उल्लेख करते हुए उस मेडिकल सेंटर से इस आशय का एक प्रमाण पत्र/ऑपरेटिव नोट्स प्रस्तुत करने होंगे जहां यह काम किया गया है।

नोट: इस तरह के प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति के लिये नेत्र रोग विशेषज्ञ को “अप्रतिबंधित दृश्य तीक्ष्णता सुधारात्मक प्रक्रिया के कारण अनफिट” के विशिष्ट समर्थन के साथ उम्मीदवार को अस्वीकार करने का निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

(ख) इस संबंध में ‘योग्य’ अथवा ‘फिट’ करार देने के लिए निम्नलिखित का ध्यान रखा जाएगा।

- (i) सर्जरी के समय उम्मीदवार की आयु 20 वर्ष से अधिक हो।
- (ii) लासिक सर्जरी के बाद न्यूनतम 12 माह का समय हो गया हो।
- (iii) केन्द्र में कॉर्निया की मोटाई 450ड के बराबर या उससे अधिक हो।
- (iv) आई ओ एल मास्टर द्वारा अक्षीय लंबाई 26 मिमी के बराबर या उससे अधिक हो।
- (v) ± 1.0 डी एवं सिलिंडर से कम या उसके बराबर अवशिष्ट अपवर्तन हो, बशर्ते वह उस वर्ग में मान्य हो जिसमें उम्मीदवार द्वारा आवेदन किया गया हो।
- (vi) सामान्य स्वस्थ रेटिना।
- (vii) अतिरिक्त मापदंड के रूप में कॉर्निया की स्थलाकृति और एक्टेथिया मार्कर को भी शामिल किया जा सकता है।

वे उम्मीदवार जिन्होंने रेडियल कॉर्निया (केराटोटॉमी) करवा रखी है, वे स्थायी रूप से अयोग्य माने जाएंगे।

9. मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही के लिए प्रयुक्त फॉर्म ए एफ एम एस एफ-2 ए है।

10. **चिकित्सा जांच बोर्ड की कार्यवाही :** अफसरों के चयन और प्री-कमीशनिंग प्रशिक्षण अकादमियों के लिए चिकित्सा जांच बोर्ड का आयोजन सर्विस चयन बोर्ड (एस एस बी) के निकट नियत सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस अस्पतालों में किया जाता है। इन मेडिकल बोर्ड को ‘विशेष मेडिकल बोर्ड’ (एस एम बी) कहा जाता है। एस एस बी साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को पहचान दस्तावेजों सहित सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस अस्पताल के पास भेजा जाता है। अस्पताल के स्टॉफ सर्जन उम्मीदवार की पहचान कर उसे ए एफ एम एस एफ-2 में संबंधित भाग भरने के लिए मार्गदर्शन देते हैं,

मेडिकल, सर्जिकल, नेत्र रोग, ई एन टी तथा डेंटल विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सा जांच आयोजित करवाते हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ भी महिला उम्मीदवारों की जांच करते हैं। इन विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद उम्मीदवार मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की जांच से संतुष्ट होने के बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की मेडिकल फिटनेस संबंधी घोषणा की जाती है। यदि विशेष मेडिकल बोर्ड (एस एम बी) द्वारा किसी उम्मीदवार को 'अयोग्य' या 'अनफिट' घोषित किया जाता है, तो उसे उम्मीदवार 'अपील मेडिकल बोर्ड' (ए एम बी) के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ए एम बी से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख अध्यक्ष एस एम बी द्वारा किया जाएगा।

11. विविध पहलू :

- (क) परीक्षण अथवा जांच के नैदानिक तरीक डी जी ए एफ एम एस कार्यालय द्वारा स्थापित किए जाते हैं।
- (ख) महिला उम्मीदवारों की मेडिकल जांच महिला मेडिकल अफसरों द्वारा की जाएगी परंतु यदि महिला डॉक्टर मौजूद न हों तो यह काम महिला परिचारिकाओं की उपस्थिति में पुरुष डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा।
- (ग) सर्जरी के बाद फिटनेस देना :

सर्जरी के बाद उम्मीदवार को फिट घोषित किया जाएगा परंतु सर्जरी में किसी प्रकार की जटिलता या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घाव भर गए हों और उस अंग विशेष की शक्ति पर्याप्त रूप से मिल गई हो, यह आवश्यक होगा। हर्निया की ओपन/लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 01 वर्ष बाद तथा कॉलसिस्टेक्टमी की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 12 सप्ताह बाद किसी उम्मीदवार को फिट घोषित किया जाएगा। किसी अन्य सर्जरी के मामले में भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 12 सप्ताह बाद और ओपन सर्जरी के 12 माह बाद ही फिटनेस दी जाएगी। चोट लगने, मांस फटने और जोड़ों में किसी प्रकार की चोट लगने पर सर्जरी की अवधि को ध्यान में न रखते हुए उम्मीदवार को 'अयोग्य' घोषित किया जाएगा।

संलग्नक 'ख'

नौसेना में अफसरों के प्रवेश के लिए चिकित्सा जांच के चिकित्सा मानक और प्रक्रिया

मेडिकल बोर्ड के संचालन की प्रक्रिया

1. सैन्य सेवा चयन बोर्ड (एस एस बी) द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी को सेना मेडिकल अफसरों के एक बोर्ड द्वारा संचालित चिकित्सीय जांच (स्पेशल मेडिकल बोर्ड) से होकर गुजरना होगा। केवल मेडिकल बोर्ड द्वारा योग्य (फिट) घोषित अभ्यर्थियों को ही अकादमी में प्रवेश दिया जाएगा। तथापि मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष अनफिट घोषित हुए अभ्यर्थी को उनके परिणामों की जानकारी देंगे और अपील मेडिकल बोर्ड की प्रक्रिया बताएंगे जिसे विशेष मेडिकल बोर्ड के 42 दिनों के भीतर कमान अस्पताल या समकक्ष में अभ्यर्थी द्वारा पूरा करना होगा।
2. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अपील मेडिकल बोर्ड (ए एम बी) द्वारा अनफिट घोषित किया जाता है, वे अपील मेडिकल बोर्ड पूरा होने के एक दिन के भीतर रीव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ए एम बी के अध्यक्ष अभ्यर्थियों को ए एमबी के जांच-परिणामों को चुनौती देने की प्रक्रिया की जानकारी देंगे। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाएगा कि रीव्यू मेडिकल बोर्ड (आर एम बी) के संचालन के लिए मंजूरी डी जी ए एफ एम एस द्वारा मामले की मेरिट के आधार पर ही प्रदान की जाएगी इसे अभ्यर्थी का अधिकार नहीं माना जाएगा। यदि अभ्यर्थी आर एम बी के लिए अनुरोध करना चाहता/चाहती है तो उसे डी एम पी आर, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), सेना भवन, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली-110011- को लिखना होगा एवं उसकी एक प्रति ए एम बी के अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। डी जी ए एफ एम एस का कार्यालय अभ्यर्थी को आर एम बी के लिए उपस्थित होने की तारीख एवं स्थान (केवल दिल्ली और पूना) के विषय में सूचित करेगा।
3. स्पेशल मेडिकल बोर्ड के दौरान, निम्नलिखित जांच अनिवार्य रूप से की जाएंगी। तथापि अभ्यर्थी की जांच करने वाले मेडिकल अफसर/मेडिकल बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर या सूचित किए जाने पर कोई अन्य जांच करवाने को कह सकते हैं:-

- (क) कम्प्लीट हीमोग्राम

- (ख) यूरिन आर ई/एम ई
 (ग) एक्स-रे चेस्ट पी ए व्यू
 (घ) यू एस जी एंडोमन और पेल्विस

एन्ट्री के समय अफसरों (पुरुष/महिला) के लिए शारीरिक मानदंड

4. अभ्यर्थी को विनिर्दिष्ट शारीरिक मानदंडों के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ (फिट) होना चाहिए:-

(क) अभ्यर्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसी किसी भी बीमारी/अक्षमता से मुक्त होना चाहिए जो तट और समुद्री ज्यूटी पर विश्व के किसी भी हिस्से में शांति एवं युद्ध परिस्थितियों में सक्षम कार्य निष्पादन में बाधा डाल सकती है, ।

(ख) अभ्यर्थी में किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी, शारीरिक दोष अथवा कम वजन के लक्षण नहीं होने चाहिए। अभ्यर्थी को अधिक वजन का या मोटा नहीं होना चाहिए।

5. वजन

कद-वजन तालिका: नौसेना

कद (मीटर में)	17 वर्ष तक		17 वर्ष + 1 दिन से 18 वर्ष तक		18 वर्ष + 1 दिन से 20 वर्ष तक		20 वर्ष + 1 दिन से 30 वर्ष तक		30 वर्ष तक	
	न्यूनतम वजन (किग्रा में)	अधिकतम वजन (किग्रा में)	न्यूनतम वजन (किग्रा में)	अधिकतम वजन (किग्रा में)	न्यूनतम वजन (किग्रा में)	अधिकतम वजन (किग्रा में)	न्यूनतम वजन (किग्रा में)	अधिकतम वजन (किग्रा में)	न्यूनतम वजन (किग्रा में)	अधिकतम वजन (किग्रा में)
1.47	37	45	40	45	40	48	40	50	40	52
1.48	37	46	41	46	41	48	41	50	41	53
1.49	38	47	41	47	41	49	41	51	41	53
1.5	38	47	42	47	42	50	42	52	42	54
1.51	39	48	42	48	42	50	42	52	42	55
1.52	39	49	43	49	43	51	43	53	43	55
1.53	40	49	43	49	43	51	43	54	43	56
1.54	40	50	44	50	44	52	44	55	44	57
1.55	41	50	44	50	44	53	44	55	44	58
1.56	41	51	45	51	45	54	45	56	45	58
1.57	42	52	46	52	46	54	46	57	46	59
1.58	42	52	46	52	46	55	46	57	46	60
1.59	43	53	47	53	47	56	47	58	47	61
1.6	44	54	47	54	47	56	47	59	47	61
1.61	44	54	48	54	48	57	48	60	48	62

1.62	45	55	49	55	49	58	49	60	49	63
1.63	45	56	49	56	49	58	49	61	49	64
1.64	46	56	50	56	50	59	50	62	50	65
1.65	46	57	50	57	50	60	50	63	50	65
1.66	47	58	51	58	51	61	51	63	51	66
1.67	47	59	52	59	52	61	52	64	52	67
1.68	48	59	52	59	52	62	52	65	52	68
1.69	49	60	53	60	53	63	53	66	53	69
1.7	49	61	53	61	53	64	53	66	53	69
1.71	50	61	54	61	54	64	54	67	54	70
1.72	50	62	55	62	55	65	55	68	55	71
1.73	51	63	55	63	55	66	55	69	55	72
1.74	51	64	56	64	56	67	56	70	56	73
1.75	52	64	57	64	57	67	57	70	57	74
1.76	53	65	57	65	57	68	57	71	57	74
1.77	53	66	58	66	58	69	58	72	58	75
1.78	54	67	59	67	59	70	59	73	59	76
1.79	54	67	59	67	59	70	59	74	59	77
1.8	55	68	60	68	60	71	60	75	60	78
1.81	56	69	61	69	61	72	61	75	61	79
1.82	56	70	61	70	61	73	61	76	61	79
1.83	57	70	62	70	62	74	62	77	62	80
1.84	58	71	63	71	63	74	63	78	63	81
1.85	58	72	63	72	63	75	63	79	63	82
1.86	59	73	64	73	64	76	64	80	64	83
1.87	59	73	65	73	65	77	65	80	65	84
1.88	60	74	65	74	65	78	65	81	65	85
1.89	61	75	66	75	66	79	66	82	66	86
1.9	61	76	67	76	67	79	67	83	67	87
1.91	62	77	67	77	67	80	67	84	67	88

1.92	63	77	68	77	68	81	68	85	68	88
1.93	63	78	69	78	69	82	69	86	69	89
1.94	64	79	70	79	70	83	70	87	70	90
1.95	65	80	70	80	70	84	70	87	70	91

नोट:-

(क) कद के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम वजन सभी वर्गों के कार्मिकों के लिए एक समान होगा। निर्धारित न्यूनतम वजन से कम वजन वाले अभ्यर्थियों को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(ख) निर्धारित वजन से अधिक वजन वाले पुरुष अभ्यर्थी आपवादिक स्थिति में केवल तभी स्वीकार्य होंगे जब वे बाँड़ी बिल्डिंग, कुश्ती, मुक्केबाजी अथवा मसक्यूलर बिल्ड के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में, निम्नलिखित मानदंड का पालन किया जाता है।

(i) शरीर द्रव्यमान सूचकांक 25 से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) कमर तथा कूल्हे का अनुपात 0.9 से कम हो।

(iii) ब्लड शुगर फास्टिंग और पी पी ब्लड यूरिया, क्रिटिनाइन, कोलेस्ट्रॉल, HbA1C% आदि जैसे सभी बायोकेमिकल पैरामीटर सामान्य रेंज में हों।

(ग) केवल चिकित्सा विशेषज्ञ ही किसी अभ्यर्थी को स्वस्थ (फिट) घोषित कर सकते हैं।

(घ) न्यूनतम स्वीकार्य ऊंचाई 157 सेमी है हालांकि, ऊंचाई में छूट नीचे बताए गए क्षेत्रों की अधिवास रखने वाले अभियार्थी के लिए स्वीकार है

क्रमांक संख्या	श्रेणी	पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई
i.	लद्दाख क्षेत्र के आदिवासी	155 Cm
ii.	अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप	155 Cm
iii.	गोरखा, नेपाली, असमिया, गढ़वाली, कुमाऊँनी और उत्तराखंड	152 Cm
iv.	भूटान, सिक्किम और उत्तर पूर्व क्षेत्र	152 Cm

6. अभ्यर्थी की चिकित्सीय जांच के दौरान, निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं को सुनिश्चित किया जाएगा:-

(क) अभ्यर्थी पर्याप्त रूप से बुद्धिमान हो।

(ख) श्रवण-शक्ति अच्छी हो और कान, नाक अथवा गले की किसी भी बीमारी के लक्षण न हों।

(ग) दोनों नेत्रों की दृष्टि क्षमता अपेक्षित मानदंडों के अनुरूप हो। उनके नेत्र चमकदार, स्पष्ट हों और भेंगापन अथवा असामान्यता से रहित हो। आंखों की पुतलियों की गति सभी दिशाओं में पूरी और निर्बाध हों।

(घ) बोलने की क्षमता बाधा रहित हो।

(च) ग्रन्थियों में किसी प्रकार की सूजन न हो।

(छ) वक्ष की बनावट अच्छी हो और हृदय एवं फेफड़े स्वस्थ हों।

(ज) अभ्यर्थियों के सभी अंग सुगठित एवं सुविकसित हों।

(झ) किसी भी प्रकार की हर्निया के लक्षण न हों।

- (ट) सभी जोड़ों के कार्य निर्बाध एवं त्रुटि रहित हों।
- (ठ) पैर एवं पंजे सुविकसित हों।
- (ड) किसी भी प्रकार की जन्मजात विकृति अथवा गड़बड़ी न हो।
- (ढ) किसी भी प्रकार के पूर्व काल की गंभीर एवं लंबी बीमारी के लक्षण जो कि शारीरिक अपंगता को दर्शाता/दर्शाते हों, न हों।
- (त) भली-भांति चबाने के लिए पर्याप्त संख्या में मजबूत दांत हों।
- (थ) जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई भी बीमारी न हो।

7. अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:-

- (क) कमजोर शारीरिक रचना, अपूर्ण विकास, जन्मजात विकृति, मांसपेशी क्षय।
- (ख) सिर की विकृति जिसमें फ्रैक्चर से उत्पन्न विकृति अथवा खोपड़ी की हड्डियों के संकुचन से उत्पन्न विकृति शामिल है।
- (ग) मेरूदंड संबंधी रोग अथवा उनकी असामान्य वक्रता, कॉब्स मेथड के अनुसार 25 वर्ष की आयु से नीचे 10 डिग्री से अधिक और 25 वर्ष की आयु से अधिक की आयु वाले अभ्यर्थियों में 15 डिग्री से अधिक का स्कोलिओसिस।

नोट:- मेरूदंड का एक्सरे सामान्यतः नहीं किया जाएगा। तथापि, शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ के परामर्श पर जहां पर आवश्यकता हो, करवाया जाएगा।

- (घ) आनुवांशिक अथवा गैर-आनुवांशिक अस्थि पंजर संबंधी विकृति और अस्थियों या संधियों की बीमारी या अक्षमता।

नोट:- रूडीमेंटरी सरवाइकल रिब जिसमें कोई भी संकेत या लक्षण न दिखाई देते हो, स्वीकार्य है।

- (च) धड़ एवं अंगों की असममिति, अंग-छेदन सहित गतिशीलता में असमान्यता।
- (छ) पैरों एवं पंजों की विकृति।

8. आंख

- (क) आंख या पलकों की विकृति या रोग ग्रस्त स्थिति जिसके अधिक बढ़ने या दुबारा होने की संभावना हो।
- (ख) किसी भी स्तर का प्रत्यक्ष दिखाने वाला भेंगापन।
- (ग) सक्रिय ट्रेकोमा या उसकी पेचीदगी या रोगोत्तर लक्षण।
- (घ) निर्धारित मानदंडों से कम दृष्टि तीक्ष्णता।

नोट:-

1. सी डी एस ई (CDSE) अफसरों की एंट्री हेतु दृष्टि संबंधी मानदंड निम्नलिखित हैं:-

मानदंड	सी डी एस ई/एन सी सी
असंशोधित दृष्टि	6/126/12
संशोधित दृष्टि	6/6 6/6
निकट दृष्टि (Myopia) संबंधी सीमाएं	-1.5D Sph
दीर्घ दृष्टि संबंधी (hypermetropia) सीमाएं	+1.5 D Cyl
अबिंदुकता (निकट दृष्टि तथा दीर्घ दृष्टि सीमा के भीतर)	± 0.75 D Sph/Cyl

दोनों आंखों की दृष्टि	III
रंगों की समझ	I

2. **कैराटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी** जिन अभ्यर्थियों ने किसी भी प्रकार की कैराटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी (PRK, LASIK, SMILE) करवाई हो उन्हें सभी शाखाओं में एंट्री के लिए फिट माना जाएगा (सबमरीन, डाइविंग और MARCO काडर को छोड़कर) और उन पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

- (क) 20 वर्ष की आयु से पहले कोई शल्यचिकित्सा न हुई हो।
- (ख) जांच के कम से कम 12 महीने पूर्व हुई अनकॉम्प्लीकेटेड सर्जरी। (अभ्यर्थी इस आशय का एक सर्टिफिकेट जिसमें सर्जरी की तारीख तथा ऑपरेशन पूर्वसंबंधित नेत्र में रिफ्रैक्टिव दोष में कितना था इसका उल्लेख किया गया हो, अभ्यर्थी यह सर्टिफिकेट रिफ्रैक्टिव मेडिकल एक्जामिनेशन के समय प्रस्तुत करेगा)।
- (ग) आई ओ एल मास्टर या ए स्कैन द्वारा एक्सियल लंबाई 25.0 मि मी या उससे कम।
- (घ) लैसिक के बाद पैकीमीटर द्वारा मापे गए कॉर्नियल की मोटाई 450 माइक्रोन्स से कम नहीं होनी चाहिए।
- (च) रेजिडुअल रिफ्रैक्शन ± 1.0 डी स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल (Sph or Cyl) से कम हो या बराबर हो बशर्ते जिस वर्ग (कैटेगरी) के लिए आवेदन किया गया हो यह उसकी अनुज्ञेय सीमा के अंदर हो। लेकिन पायलट तथा ऑब्जर्वर एंट्री के लिए यह शून्य (Nil) होना चाहिए।
- (छ) प्री-ऑपरेटिव एरर ± 6.0 डी से अधिन नहीं होना चाहिए।
- (ज) रेटिना संबंधी सामान्य जांच।

3. कैराटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी (PRK, LASIK, SMILE) सबमरीन, डाइविंग एवं MARCO जैसे विशिष्ट संवर्गों के लिए स्वीकार्य नहीं है। जिन अभ्यर्थियों ने रेडियल केराटोमी करवाई हो वे भर्ती के लिए स्थायी रूप से अनफिट माने जाएंगे।

9. **कान, नाक तथा गला**

(क) **कान** बार-बार कान में दर्द होना या इसका कोई इतिहास हो, कम सुनाई देना, टिनीटस हो या चक्कर आते हों। ट्रेथिया, एक्सोस्टोसिस या नियोप्लाज्म सहित बाह्य मीटस के रोग जो ड्रम की पूर्ण जांच को रोकते हैं। टिम्पैनिक मैम्ब्रेन के असाध्य छिद्रण, कान का बहना, अक्यूट या क्रोनिक सुपरेटिव ऑटिटिस मीडिया के लक्षण, रेडिकल या मोडिफाइड रेडिकल मैस्टॉयड ऑपरेशन के प्रमाण।

टिप्पणी:-

- (1) अभ्यर्थी अलग-अलग दोनों कानों से 610 से मी की दूरी सेफोर्ड फुसफुसाहट (हिवस्पर) सुनपाता हो। सुनने के समय उसकी पीठ परीक्षक की तरफ होनी चाहिए।
- (2) टिम्पैनिक मैम्ब्रेन के ड्राई सेंट्रल परफोरेशन के लिए कोर्टिकल मेस्टॉयटेक्टोमी के साथ या सहित टिम्पेनोप्लास्टी का ऑपरेशन तब सफल माना जाता है जब ग्राफ्ट सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर देता है, बशर्ते मैम्ब्रेन सही-सलामत हो तथा प्रत्येक कान से, गतिशील रहते हुए, 610 से मी की फ्री फील्ड हायरिंग हो तथा प्योर टोन ऑडियोमेट्री पर नॉर्मल हियरिंग थ्रेशोल्ड हो। फिटनेस के लिए, अभ्यर्थी को टिम्पेनोमैट्री पर नार्मल कम्प्लायेंस को दर्शाना चाहिए।
- (ख) **नाक** नाक की उपास्थि या अस्थि के रोग, मार्कड नेजल एलर्जी, नेजल पोलिप्स, एट्रोफिक रायनाइटिस, एक्सेसरी साइनस के रोग तथा नैसोफैरिक्स।

टिप्पणी:- नाक की सामान्य विकृति जिससे नाक का आकार बिगड़े नहीं, साधारण सेप्टल डेविएशन जिससे नेजल एयरवे (Airway) में कोई दिक्कत न हों तथा छोटा-सा ट्रौमेटिक सेप्टल परफोरेशन जो लक्षण रहित हो स्वीकार्य हैं।

(ग) **गला** श्रोत पैलेट, जीभ, टॉसिल, मसूड़े के रोग या दोनों मेंडिब्यूलर के सामान्य क्रिया को प्रभावित करने वाले रोग।

(घ) **लैरिंग्स के रोग वाक् अवरोध (बोलने में कठिनाई)-** आवाज सामान्य होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से हकलाने वाले अभ्यर्थी को भर्ती नहीं किया जाएगा।

10. **दांतों की स्थिति:-** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चबाने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वस्थ दांत हों।

(क) एक अभ्यर्थी के 14 डेंटल प्वाइंट्स (Points) होने चाहिए ताकि उस व्यक्ति के दांतों की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके। 14 से कम डेंटल प्वाइंट्स वाले अभ्यर्थी की भर्ती नहीं की जाएगी। दूसरे जबड़े में संगत दांतों के साथ अच्छी अवस्था वाले दांतों के प्वाइंट के बारे में नीचे बताया जा रहा है:-

(i) सेंट्रल इनसाइजर, लेटरल इनसाइजर, केनाइन, प्रथम प्रीमोलर, द्वितीय प्रीमोलर तथा प्रत्येक प्वाइंट के साथ अंडर डेवलेपमेंट तृतीय मोलर।

(ii) प्रथम मोलर, द्वितीय मोलर तथा पूरी तरह विकसित तृतीय मोलर। प्रत्येक में दो प्वाइंट होंगे।

(iii) जब सभी 32 दांत मौजूद हों तो 22 या 20 प्वाइंट की कुल गिनती होगी और उनके अनुसार यह कहा जाएगा कि तीसरे मोलर विकसित हैं या नहीं।

(ख) प्रत्येक जबड़े में सही ढंग से काम करने वाले दांत होने चाहिए।

(i) 6 एंटेरियर में से कोई 4

(ii) 10 पोस्टरियर में कोई 6

ये सभी दांत स्वस्थ/दुरुस्त करने योग्य होने चाहिए।

(ग) गंभीर रूप से पायरिया ग्रस्त अभ्यर्थियों की भर्ती नहीं की जाएगी। यदि डेंटल अफसर की राय हो कि पायरिया को बिना दांत निकाले ही ठीक किया जा सकता है तो अभ्यर्थी की भर्ती कर ली जाएगी। इस बाबते मेडिकल/डेंटल अफसर चिकित्सकीय दस्तावेज में टिप्पणी लिखेंगे।

(घ) डेंटल प्वाइंट की गिनती करते समय कृत्रिम दांतों को शामिल नहीं किया जाएगा।

11. **गर्दन**

(क) बड़े हुए ग्लैंड, ट्यूबरक्यूलर या गर्दन या शरीर के अन्य भाग में अन्य रोगों के कारण।

टिप्पणी:- ट्यूबरक्यूलर ग्लैंड को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन के कारण आए दागों के कारण उम्मीदवारी समाप्त नहीं की जाएगी बशर्ते पिछले पांच वर्षों के अंदर कोई सक्रिय रोग न हो तथा सीना नैदानिक (Clinically) दृष्टि से तथा रेडियोलॉजी के हिसाब से दोषरहित हो।

(ख) थायराइड ग्लैंड के रोग।

12. **त्वचा तथा यौन संक्रमण (एस टी आई)**

(क) त्वचा रोग जब तक अस्थायी या मामूली न हो।

(ख) अपने आकार या अपनी सीमा के कारण ऐसे दाग जो बड़ी विकृति उत्पन्न कर रहे हों या भविष्य में उत्पन्न कर देंगे।

(ग) हाइपरहाइड्रोसिस-पैल्मर, प्लांटर या एक्सीलेरी।

(घ) जन्मजात, सक्रिय या गुप्त, यौन-संचारित रोग (Sexually transmitted diseases)।

नोट:- ऊसन्धि (गोइन) या पुरुष जननांग/स्त्री जननांग के ऊपर अतीत के यौन संचारित संक्रमण के कारण पुराने घाव का निशान होने की स्थिति में, गुप्त यौन संचारित रोग को वर्जित करने के लिए यौन संचारित संक्रमण (जिसमें एच आई वी भी शामिल है) हेतु रक्त की जांच की जाएगी।

13. श्वसन तंत्र

(क) चिरकालिक खांसी या श्वास दमा का इतिहास।

(ख) फेफड़े के क्षयरोग का प्रमाण।

(ग) छाती की रेडियोलॉजिकल जांच किए जाने पर ब्रांकाई, फेफड़े या फुफ्फुस आवरणों जैसी बीमारियों के प्रमाण पाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी अयोग्य होंगे।

नोट:- छाती की एक्स-रे जांच की जाएगी।

14. हृदय तंत्र हृदय-वाहिका तंत्र (हार्ट-वस्कुलर सिस्टम)

(क) हृदय या धमनियों का कार्यात्मक या जैविक रोग, वक्ष परीक्षण (थ्रडकन) में सरसराहट या क्लिक की उपस्थिति।

(ख) क्षिप्रहृदयता (विश्रामावस्था में स्पंदन दर हमेशा 96 प्रति मिनट से अधिक रहना), मंदस्पंदन (विश्रामावस्था में स्पंदन दर हमेशा 40 प्रति मिनट से कम रहना), कोई असामान्य परिधीय स्पंदन (नाड़ी)।

(ग) रक्तचाप 140 मि मी पारा सिस्टोलिक या 90 मि मी पारा डायस्टोलिक से अधिक होना।

15. उदर

(क) गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट संबंधी किसी रोग का प्रमाण, यकृत, पित्ताशय या तिल्ली में वृद्धि, उदर परिस्पर्शन कोमलता, पेप्टिक अल्सर का इतिहास/प्रमाण या बड़ी उदर शल्य चिकित्सा का पूर्व विवरण। सभी अफसर एंट्री अभ्यर्थी आंतरिक अंगों में किसी प्रकार की असामान्यता का पता लगाने के लिए उदर तथा श्रेणी की अल्ट्रा साउंड जांच करवाएंगे।

(ख) वंक्षणीय या कोई अन्य हर्निया या वैसी प्रवृत्ति।

नोट:- ऐसा अभ्यर्थी, जिसकी हर्निया/हाइड्रोसिल, वैरिकॉज-वेंस, वृषण-शिरापस्फीति (वेरिकोसिल) का ऑपरेशन हुआ है उन्हें निम्न शर्तों पर योग्य (फिट) घोषित किया जा सकता है:-

(i) हर्निया की शल्य चिकित्सा को छः महीने तथा अन्य लघु शल्य चिकित्सा को कराए छः सप्ताह बीत चुके हों। इस कार्य का लिखित प्रमाण अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

(ii) उदर की मासंपेशियों की दशा सामान्य हो।

(iii) हर्निया या शल्य चिकित्सा (ऑपरेशन) से संबंधित किसी अन्य जटिलता की पुनरावृत्ति न रही हो।

(ग) फिसटूला इन एनो, एनल फिशर और बवासीर का जब तक उचित उपचार न किया गया हो।

16. मूत्र-तंत्र (जेनिटो-न्यूरिनरी सिस्टम)

(क) जननांगों संबंधी रोग का कोई प्रमाण।

(ख) द्विपक्षीय अनवतीर्ण वृषण (बाइलाटरल अनडिसेंडड टेस्टिस), एकपक्षीय अनवतीर्ण (यूनीलाटरल अनडिसेंडड टेस्टिस), वृषण का वंक्षण नाल (इनग्वनाल केनाल) में या बाह्य उदर (अबडोमिनल) रिंग में होना, जब तक कि ऑपरेशन से सही किया जाए।

नोट:- एक वृषण (टेस्टिस) की अनुपस्थिति तब तक अस्वीकृति का कारण नहीं है जब तक कि किसी रोग के कारण वृषण (टेस्टिस) को निकाल दिया गया हो या इसकी अनुपस्थिति अभ्यर्थी के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती हो।

(ग) किडनी या मूत्रमार्ग (यूरेथ्रा) का रोग या इसकी बनावट में विकार।

(घ) मूत्र या रात्रि की शय्या मूत्रण असंयतता।

(च) मूत्र की जांच करने पर कोई अन्य असामान्यता जिसमें पेशाब में अन्नसार जाना या पेशाब में शर्करा शामिल है।

17. केन्द्रीय स्नायुतंत्र

- (क) केन्द्रीय स्नायुतंत्र का जैविक रोग।
- (ख) स्पंदन
- (ग) दौरा (मिरगी) तथा सिर दर्द/माइग्रेन का बार-बार दौरा पड़ने वाले अभ्यर्थी स्वीकार्य नहीं होंगे।

18. मानसिक विकार अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार में मानसिक रोग या तंत्रिकात्मक अस्थिरता (नरवस इनस्टेबिलिटी) का इतिहास या प्रमाण।

संलग्नक 'ग'

भारतीय वायु सेना एन डी ए (उड़ान और ग्राउंड ड्यूटी शाखाएं) में भर्ती के लिए शारीरिक मानदंड संबंधी दिशा-निर्देश

सामान्य अनुदेश

1. इस खण्ड में एन डी ए द्वारा भारतीय वायु सेना की उड़ान और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में कमीषन प्रदान करने के लिए अभ्यर्थी का आकलन किया जाता है।
2. चिकित्सीय रूप से स्वस्थता की मूल आवश्यकता सभी शाखाओं के लिए अनिवार्यतः एकसमान होगी, केवल उन एयरक्रू को छोड़कर जिनके लिए पैनी नज़र के पैरामीटर, एन्थ्रोपोमेट्री और कुछ अन्य पारिरीक मानक अधिक सख्त होते हैं किसी अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से तब तक पूरी तरह फिट नहीं माना जाएगा जब तक कि पूरी तरह जांच करने के बाद यह पाया जाए कि वह विश्व के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार के मौसम में लंबी अवधि तक कठोर पारिरीक और मानसिक तनाव सहन करने की पारिरीक और मानसिक क्षमता रखता हो।
3. निर्दिष्ट चिकित्सा मानक प्रारंभिक भर्ती से संबंधित चिकित्सा मानक हैं। कमीषन प्रदान करने से पहले प्रशिक्षण के दौरान मेडिकल फिटनेस के बने रहने की जांच एन डी ए में होने वाली आवधिक चिकित्सा जांच द्वारा की जाती है। परंतु, यदि, प्रशिक्षण के दौरान किसी रोग अथवा अशक्तता का पता लगता है, जिसका असर फ्लाइट कैडेटों के बाद की पारिरीक फिटनेस और चिकित्सा श्रेणी पर पड़ेगा, तो इस प्रकार के मामलों की सूचना तुरंत डी जी एम एस (वायु)-चिकि.-7 के कार्यालय को देते हुए आई ए एम (एयरक्रू के लिए)/एम एच के विपेशज्ञ (गैर-एयरक्रू के लिए) को भेजी जाएगी। यदि आई ए एम में उस रोग अथवा अशक्तता के स्थायी प्रकृति के होने का पता चलता है तो कैडेट के सर्विस/शाखा/स्ट्रीम में बने रहने के संबंध में धीम्र निर्णय लिया जाएगा। यदि डी जी एम एस (वायु) की विपेशज्ञ छूट का अनुरोध किया जाता है तो आई ए पी 4303 चौथे संस्करण (संशोधित) के संबंधित पैरा के अनुसार मामले का पूरा औचित्य भेजा जाएगा।

सामान्य चिकित्सा और सर्जिकल आकलन

4. प्रत्येक अभ्यर्थी को वायु सेना के लिए फिट होने के लिए आगे के पैराग्राफों में निर्धारित किए गए न्यूनतम मानकों के अनुरूप होना चाहिए। सामान्य कद-काठी अच्छी प्रकार से विकसित और आनुपातिक होनी चाहिए।
5. कार्यक्षमता की किसी भी प्रकार की सीमा के लिए फ्रैक्चर/पुरानी चोटों के बाद के प्रभावों का आकलन किया जाएगा। यदि उनका कार्य पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा हो तो अभ्यर्थी को फिट कहा जा सकता है। रीढ़ की हड्डी के पुराने फ्रैक्चर से संबंधित मामलों को अनफिट माना जाएगा। रीढ़ की हड्डी में बाद में हुई विकृति अथवा कपेरूका (वरटेब्रा) के दबने को अयोग्यता माना जाएगा। यदि बड़ी नसों के अगले हिस्से में जख्म हो, जिनसे कार्यक्षमता कम हो रही है अथवा ऐसे घाव हों जिनके कारण दर्द या ऐंठन हो, तो यह उड़ान ड्यूटी में नियुक्ति के लिए अयोग्यता को निर्दिष्ट करता है। बड़े-बड़े या कई केलोइड्स होने के कारण भी अयोग्य माना जाएगा।
6. मामूली निषान अथवा जन्म के निषान, जैसे तपेदिक ग्रंथियों को हटाने से बने निषान, उड़ान ड्यूटी में नियुक्ति के लिए अयोग्यता के कारण नहीं माने जाएंगे। यदि हाथ-पैरों या धड़ पर घाव के कई निषान हों जिनसे कार्य करने में बाधा हो अथवा वे भेदे लग रहे हों तो उन्हें अयोग्यता का कारण माना जाएगा।
7. यदि अभ्यर्थी की सरवाइकल रिब के कारण उसके न्यूरोवसक्यूलर सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो तो उसे स्वीकार किया जाएगा। इसे चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा।
8. यदि चेहरा और सिर टेढ़ा-मेढ़ा हो जिससे ऑक्सीजन मास्क और हेलमेट की उपयुक्त फिटिंग में रूकावट हो तो उसे उड़ान ड्यूटी के लिए अयोग्यता का कारण माना जाएगा।

9. यदि किसी अभ्यर्थी का साधारण अपेन्डिसेक्टॉमि के अतिरिक्त पेट का ऑपरेशन हुआ है जिसमें बड़ी सर्जरी की गई है अथवा उसमें किसी अंग को आंशिक या पूरी तरह से शरीर से निकाल दिया गया है, तो वह उड़ान झूटी के लिए अयोग्य होगा। यदि खोपड़ी का ऑपरेशन (क्रैनियल वॉल्ट) (जैसे चीड़-फाइ) किया गया हो अथवा छाती का बड़ा ऑपरेशन किया गया हो तो अभ्यर्थी उड़ान के लिए अयोग्य माना जाएगा।

10. छाती का आकार पूरी तरह अनुपातिक और भली-भांति विकसित होना चाहिए जो कम से कम 5 सेमी तक फैल सकती हो।

11. कद, बैठते समय लंबाई, टांग की लंबाई और जांघ की लंबाई

(क) ग्राउंड झूटी पाखाओं में भर्ती के लिए न्यूनतम कद 157.5 सेमी होना चाहिए। गोरखा और भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों तथा उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों के व्यक्तियों का न्यूनतम स्वीकृत कद 5 सेमी कम (152.5 सेमी) होगा। यदि अभ्यर्थी लक्षद्वीप से हो तो न्यूनतम स्वीकृत कद 2 सेमी (155.5 सेमी) तक कम किया जा सकता है।

(ख) उड़ान पाखा के लिए न्यूनतम कद 162.5 सेमी होगा। इन एयरक्रू के लिए टांग की लंबाई, जांघ की लंबाई और बैठते समय लंबाई का स्वीकृत माप इस प्रकार होगा :-

(i) बैठते समय लंबाई : न्यूनतम-81.5 सेमी अधिकतम-96.0 सेमी

(ii) टांग की लंबाई : न्यूनतम-99.0 सेमी अधिकतम-120.0 सेमी

(iii) जांघ की लंबाई : अधिकतम-64.0 सेमी

12. प्रारूप नियमावली के परिशिष्ट क में दिया गया निर्धारित वजन चार्ट लागू होगा। शरीर के मानक वजन से अधिकतम 10% की छूट दी जा सकती है। आधा किग्रा. से कम के अंतर को नोट नहीं किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी का वजन मानक से 10% से ज्यादा कम है तो उसका पिछला पूरा विवरण पृष्ठा जाएगा और सावधानीपूर्वक जांच कर यह पता लगाया जाएगा कि इस कम वजन का कारण तपेदिक, हाइपरथायरोराइड, डायबिटीज़ इत्यादि तो नहीं है। यदि किसी कारण का पता नहीं लगता तो अभ्यर्थी को फिट घोषित कर दिया जाएगा। यदि किसी कारण का पता लगता है तो अभ्यर्थी की फिटनेस उसके अनुसार निर्धारित की जाएगी।

13. हृदय वाहिका तंत्र (कार्डियोवस्कुलर)

(क) हृदय वाहिका तंत्र (कार्डियोवस्कुलर) का आकलन करते समय छाती में दर्द, सांस फूलने, घबराहट, बेहोशी के दौर, चक्कर आने, गठिये के बुखार, अपने-आप एंठन होने (कोरिया), बार-बार गले में खराप होने और टॉन्सिल की भली-भांति जांच की जाएगी।

(ख) सामान्य पल्स रेट 60-100 बी पी एम तक घटती बढ़ती रहती है। भावनात्मक कारकों के बाद दीर्घकालिक साइन टेचीकाडिया से अधिक (100 बी पी एम से अधिक) और बुखार को कारणों के रूप में छोड़ दिया जाता है, इसके साथ-साथ कार्मिक कारणों को दीर्घकालिक साइनस (60 बी पी एम से अधिक) को विशेषज्ञ की राय के लिए भेज दिया जाएगा। साइनस अरिदेमिया और वेगोटोनिया को भी निकाल दिया जाएगा।

(ग) चिकित्सीय परीक्षा के तनाव के कारण अभ्यर्थियों में व्हाइट कोट हाईपरटेंशन उत्पन्न होने की प्रवृत्ति रहती है जो रक्तचाप में अल्पकालिक वृद्धि होती है। मूल परिस्थितियों के अंतर्गत बार-बार रिकॉर्ड करते हुए व्हाइट कोट प्रभाव को दूर करने का प्रयास किया जाए। जब सूचित किया जाए, रक्तचाप की संचारी रिकॉर्डिंग की जाए या अंतिम स्वस्थता प्रमाणित करने से पूर्व अभ्यर्थी के प्रेशन के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए। लगातार एच जी के 140/90 से अधिक या इसके बराबर के रक्तचाप वाले व्यक्ति को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(घ) कायिक हृदवाहिका रोग का प्रमाण अस्वीकार किए जाने का कारण होगा। डाइस्टोलिक मर्मर निरपवाद रूप से कायिक होते हैं। निश्कासन सिस्टोलिक प्रकृति के अल्पसिस्टोलिक मर्मर हैं जो रोमांच से संबंधित नहीं होते हैं और खड़े रहने पर घटते हैं विशेषतः जब वे सामान्य ई सी जी और छाती के रेडियोग्राफ से संबंधित होते हैं वे प्रायः काम करते हैं। तथापि एक इकोकार्डियोग्राम कायिक हृदय रोग को दूर करने के

लिए किया जाएगा। संदेह की किसी भी स्थिति में मामले को हृदय रोग विशेषज्ञ की राय लेने के लिए भेजा जाएगा।

- (च) इलैक्ट्रोकार्डियोग्राम। चिकित्सीय विशेषज्ञ द्वारा उपयुक्त रूप से रिकॉर्ड की गई ई सी जी (रेस्टिंग-14 लीड) का मूल्यांकन किया जाएगा। तरंग पेटनों, विस्तार (आयाम), अंतराल और समय के संबंधों पर नोट लिए जाएंगे। ढांचागत हृदय रोग, के न होने पर अपूर्ण आर बी बी बी को छोड़कर जिसे अवष्य हटाया जाए प्रवेश के समय कोई भी असामान्यता स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में वरिष्ठ सलाहकार (चिकित्सा) या हृदय रोग विशेषज्ञ की राय ली जाएगी।

14. ष्वसन तंत्र

- (क) चेस्ट रेडियोग्राम पर किसी प्रमाण्य अपारदर्शिता के रूप में पल्मोनरी पैरेनकीमा या प्लेयूरा में कोई अवषिष्ट स्कारिंग का अस्वीकार किए जाने का आधार होगा। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के पूर्व में इलाज किए गए मामले जिनमें कोई महत्वपूर्ण अवषिष्ट अपसामान्यता नहीं होती उसे तब स्वीकार किया जा सकता है जब निदान और इलाज दो वर्ष से भी अधिक पहले स्वीकार किया जा चुका हो। इन मामलों में चिकित्सक के निर्णय के अनुसार यू एस जी, ई एस आर, पी सी आर, इम्प्यूनोलॉजिकल जांच और मैनेटॉक्स टेस्ट के साथ चेस्ट का एक सी टी स्कैन और फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी ब्रॉन्कियल लेवेज सहित की जाएगी। यदि सभी जांच सामान्य आती है तो अभ्यर्थी को फिट माना जा सकता है। हालांकि इन मामलों में फिटनेस का निर्णय केवल अपील/पुनर्विचार चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- (ख) एफ्यूजन सहित प्लीयूरीजी महत्वपूर्ण अवषिष्ट प्लीयूरल स्थूलता का कोई भी साक्ष्य अस्वीकार किए जाने का कारण होगा।
- (ग) खांसी/सांस लेने में घरघराहट/ब्रोंकाइटिस के बार-बार हुए रोगाक्रमण का इतिहास ष्वसन पथ के दीर्घकालीन ब्रोंकाइटिस या अन्य दीर्घकालिक पैथॉलॉजी का परिणाम हो सकता है। ऐसे मामलों को अनफिट मूल्यांकित किया जाएगा। यदि उपलब्ध हो तो पल्मोनरी फंक्शन जांच की जाएगी।
- (घ) ब्रॉन्कियल अस्थमा/सांस लेने में घरघराहट/एलर्जिक राइनइटिस के बार-बार हुए रोगाक्रमणों का इतिहास अस्वीकार कर दिए जाने का कारण होगा।
- (च) चेस्ट का रेडियोग्राफ करना। फेफड़ों, मीडियास्टिनम और प्लूरा संबंधी रोगों के सुस्पष्ट रेडियोलॉजिकल साक्ष्य वायुसेना में नियोजन के लिए अनुपयुक्तता दर्शाते हैं। यदि अपेक्षित हो तो छाती के चिकित्सक के सुझाव के अंतर्गत उपर्युक्त पैरा 13 (क) में दिए अनुसार जांच की जाएगी।

15. जठरांत्र तंत्र

- (क) मुंह, जीभ, मसूड़ों या गले के फोड़े या संक्रमण के किसी भी पिछले इतिहास के साथ किसी मुख्य दंत्य परिवर्तन को नोट किया जाएगा।
- (ख) दंत्य संबंधी निम्नलिखित मानकों का अनुपालन किया जाएगा :-
- (i) अभ्यर्थी के 14 दंत्य बिंदु अवष्य हों और ऊपरी जबड़े में मौजूद निम्नलिखित दांतों के साथ निचले जबड़े से संबंधित सामने के दांत अच्छी कार्य स्थिति में हों और स्वस्थ हों या मरम्मत योग्य हों :-
- (कक) आगे के छह में से कोई चार
- (कख) पीछे के दस में से कोई छह
- (कग) ये दोनों ओर से संतुलित होने चाहिए। एक ओर से चबाने की अनुमति नहीं है।
- (कघ) किसी निकालने वाली या तारों वाली कृत्रिम अंग (प्रोस्थेसिस) की अनुमति नहीं है।
- (ii) जिस अभ्यर्थी के दंत्य मानक निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- (iii) पायरिया, घोर अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस के अग्रवर्ती चरण में व्यापक जिंदा घाव के द्वारा प्रभावित दंत्य आर्च वाले अभ्यर्थी या जबड़ों की कुल अपसामान्यता या असंख्य दंतक्षयों या सेप्टिक दांतों वाले अभ्यर्थी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (ग) गैस्ट्रो डुओडेनल अक्षमता। वे अभ्यर्थी जो सिद्ध पेटिक अल्सरेषन सहित पुराने अपचन के सांकेतिक लक्षणों से गुजर रहे हैं या पिछले दो वर्षों के दौरान इन लक्षणों से गुजर चुके हैं, उनको इन लक्षणों के दोबारा उभरने के अत्यंत उच्च जोखिम के कारण और अक्षमता की संभावना को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले हुई किसी षल्य क्रिया जिसमें किसी अंग (अवपेशांगों/पित्ताषय के अतिरिक्त) की आंशिक या कुल क्षति लोप होने से अस्वीकार कर दिए जाने का मामला बनेगा।
- (घ) यदि यह पता लगता है कि अभ्यर्थी को पहले पीलिया हो चुका है या उसका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आकलन के लिए पूरी जांच की जाएगी। वायरल हेपेटाइटिस या किसी अन्य प्रकार के पीलिये से पीड़ित अभ्यर्थियों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को कम से कम छह महीने की न्यूनतम अवधि पूरा होने के बाद इस पर्व पर फिट घोषित किया जाएगा कि वे चिकित्सीय दृष्टि से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। एच बी वी एवं एच बी सी दोनों निगेटिव हों एवं लिवर सामान्य सीमा में कार्य कर रहा है।
- (च) यदि अभ्यर्थी का प्लीहा का ऑपरेषन (स्प्लेनेक्टॉमी) हुआ तो वह अनफिट माना जाएगा, चाहे ऑपरेषन का कारण कुछ भी हो। यदि प्लीहा किसी भी डिग्री तक बढ़ गया हो (स्प्लेनोमिगलि), तो अभ्यर्थी को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (छ) यदि किसी अभ्यर्थी की सफल सर्जरी के बाद हर्निया पूरी तरह से ठीक हो चुका है और उसका केवल निषान है तो सर्जरी के छह महीने बाद फिट माना जाएगा, बशर्ते कि उसे हर्निया फिर से होने की कोई संभावना न हो और पेट की दीवार की मांसपेशियां पुष्ट हों।
- (ज) **पेट की सर्जरी**
- (i) यदि अभ्यर्थी के पेट की सर्जरी के पूरी तरह ठीक होने का निषान हो तो उसे सफल सर्जरी के एक वर्ष बाद फिट माना जाएगा बशर्ते कि मूल बीमारी के फिर से होने की कोई संभावना न हो और पेट की दीवार की मांसपेशियां पुष्ट हों।
- (ii) यदि अभ्यर्थी की लैपरोस्कोप से पित्ताषय की सर्जरी (कॉलेसिस्टेक्टॉमी) हुई है तो उसे उस सर्जरी के 08 हफ्ते बाद फिट माना जाएगा, बशर्ते कि उसमें रोग का कोई चिह्न और लक्षण न बचा हो और उसका एल एफ टी और पेट का अल्ट्रासाउंड सामान्य आया हो और पूरा गॉल ब्लैडर न हो तथा इंट्रा-एब्डॉमिनल कलैक्सन न हो। पेट के अन्य लैपरोस्कोपिक प्रोसीजर को भी सर्जरी के 08 हफ्ते बाद फिट माना जाएगा बशर्ते कि व्यक्ति में रोग का कोई लक्षण न हो, वह पूरी तरह ठीक हो गया हो और रोग से संबंधित कोई भी परेषानी न हो अथवा रोग के फिर से होने का कोई लक्षण न हो।
- (झ) अल्ट्रासोनोग्राफिक (यू एस जी) जांच से फैटी लिवर, छोटे सिस्ट, हीमेंजियोमा, सेप्टेट गॉल ब्लैडर आदि के पता लगने पर ऐसे मामलों का निपटान चिकित्सीय दृष्टि और कार्यक्षमता के आधार पर किया जाएगा। व्यवस्थित तरीके से की गई यू एस जी जांच के दौरान निम्नलिखित की ध्यानपूर्वक जांच की जाएगी। आगामी पैराग्राफों में सूचीबद्ध जांच परिणाम एवं रिपोर्ट किए गए अन्य इंसिडेंटल यू एस जी जांच परिणामों का चिकित्सीय दृष्टि एवं कार्यक्षमता के आधार पर संबंधित विशेषज्ञ द्वारा आकलन किया जाएगा।
- (ट) लिवर
- (i) फिट
- (कक) लिवर का सामान्य इकोएनॉटमी, सी बी डी, आई एच बी आर, पोर्टल एवं हैपेटिक वेन और मिड-क्लैविक्युलर लाइन में लिवर की चौड़ाई 15 सेमी. से ज्यादा न हो।
- (कख) 2.5 सेमी व्यास की अकेली साधारण रसौली ; (थिन वाल, अनेकोइक)

(ii) अनफिट

- (कक) मिड.क्लैविकुलर लाइन में 15 सेमी से अधिक हेप्टोमीगेली।
- (कख) फैटी लीवर।
- (कग) 2.5 से बड़ी अकेली रसौली।
- (कघ) थिक वाल ए सेप्टेसन तथा डेब्रिस के साथ किसी भी आकार की अकेली रसौली।
- (कच) 03 मिण्मीण् से बड़ी किसी भी आकार की कैल्सिफिकेसन।
- (कछ) तीन कैल्सिफिकेसन से अधिक चाहे प्रत्येक आकार में 03 मिमी से कम क्यों न हो।
- (कज) किसी भी आकार की कई हेप्टिक रसौली।
- (कझ) हीमैंगिओमा >02 सेमी।
- (कट) पोर्टल वेन थ्रोबोसिस।
- (कठ) पोर्टल हायपर्टेंसन; 13 मिमी से बड़ा पी वीए कोलेटेरल ए जलोदरद्ध के साक्ष्य।

(iii) अपील मेडिकल बोर्ड की समीक्षा मेडिकल बोर्ड के दौरान अनफिट अभ्यर्थियों की विशेष जांच तथा विस्तृत नैदानिक परीक्षण करायी जाएगी। विशेष स्थितियों के लिए फिटनेस का निर्णय निम्नानुसार किया जाएगा :-

- (कक) सामान्य एल एफ टी, कोई मेटाबोलिक असामान्यता न हो तथा निगेटिव HBsAg तथा Anti - HCV सीरोलोजी वाले पतले व्यक्ति के फैटी लीवर को फिट माना जा सकता है।
- (कख) 2.5 - 05 सेमी तक वाली अकेल साधारण रसौली की पुनः एल एफ टीए सी ई सी टीए उदर तथा हाइडाटिड सीरोलोजी से जांच की जाएगी। यदि एल एफ टी सामान्य ए हाइडेटिड सीरोलोजी निगेटिव तथा सी ई सी टी से यू एस जी फाइंडिंग की पुष्टि होती है तो उसे फिट माना जाएगा।
- (कग) कोई भी लीवर कैल्सिफिकेसन चाहे उसका आकार तथा संख्या कुछ भी हो उसे फिट माना जाएगा बशर्ते कि जांच के बाद इस बात का पता चलता है कि संगत नैदानिक जांच तथा परीक्षण (एल एफ टी, हाइडाटिड सीरोलोजी) के आधार पर इनमें से कोई भी सक्रिय बीमारी जैसे टीबीए साकोइडोसिसए हाइडेटिड बीमारीए मेटास्टैटिक ट्यूमर अथवा लीवर अबसेस के कोई साक्ष्य न हों।

(ठ) गाल ब्लैडर

(I) फिट

- (कक) गाल ब्लैडर की सामान्य इक्राटोमी।
- (कख) लेपोरोस्पिक कोलेसिस्टेक्टोमी के बाद। ऐसे अभ्यर्थी जिनका लैप. कोलेसिस्टेक्टोमी हुआ है उन्हें फिट माना जा सकता है यदि सर्जरी होने के 8 सप्ताह बीत गए हों तथा बिना इंट्रा.अब्डोमिनल कलेक्सन के गाल ब्लैडर को पूरी तरह से हटा दिया गया है। बिना चीरा हर्निया के घाव अच्छी तरह से ठीक हो गए हों।
- (कग) ओपेन कोलेसिस्टेक्टोमी। जिन अभ्यर्थी का ओपेन कोलेसिस्टेक्टोमी हुआ है को फिट माना जा सकता है यदि सर्जरी होने के बाद एक वर्ष पूरा बीत गया हो तथा बिना चीरा हर्निया के दाग ठीक हो गया हो तथा बिना इंट्रा.अब्डोमिनल कलेक्सन के गाल ब्लैडर को पूरी तरह से हटा दिया गया हो।

(ii) अनफिट

- (कक) कोलेलीथियासिस अथवा बायलियरी स्लज।

- (कख) कोलेडेकोलीथियसिस ।
- (कग) किसी भी आकार या संख्या की पॉलिप ।
- (कघ) कोलेडोकल सिस्ट ।
- (कच) गॉल ब्लैडर मास ।
- (कछ) 5 मिमी से अधिक मोटी गॉल ब्लैडर वाला ।
- (कज) सेप्टेट गॉल ब्लैडर ।
- (कझ) दोबारा यू एस जी करने पर संकुचित गॉल ब्लैडर का बना रहना।
- (कट) अपूर्ण कोलेसिस्टेक्टोमी ।
- (ड) अनुलंब अक्ष अथवा यदि(नैदानिक रूप से स्पृश्य हो) में 13 सेमी से अधिक बड़ा प्लीहाए जगह घेरने वाला घाव तथा प्लीहाभाव के होने पर अनफिट माना जाएगा ।
- (ढ) अग्न्याशय की किसी भी ढांचागत असामान्यताए जगह घेरने वाले घावए बड़े घावए दीर्घकालिक अग्न्याशय जलन के लक्षणों ;कैल्सीभवनए वातमार्गिय असामान्यताए क्षीणताद्ध को अनफिट माना जाएगा।
- (त) उदरावरण गुहिका। जलोदरए 1 सेमी से बड़े एकल आंत्रयोजनी अथवा पश्चपर्युदर्य लसीका पर्वों के होने को अनफिट माना जाएगा।
- (थ) जननमूत्र तंत्र
- (i) एक वृक्क ;किडनी में 2.5 सेंमी से छोटे आकार के एक साधारण अनवरोधी वृक्क रसौली को फिट माना जाएगा।
- (ii) वृक्कों की निम्नलिखित जन्मजात ढांचागत असामान्यताओं को अनफिट घोषित किया जाएगा।
- (कक) एकपार्श्विक वृक्कीय विकास
- (कख) 08 सेंमी से छोटे आकार के एकपार्श्विक अथवा द्विपार्श्विक अविकसित संकुचित वृक्क।
- (कग) अपरिक्रमण
- (कघ) नालाकार वृक्क
- (कच) वर्त्मपातित वृक्क
- (कछ) तिर्यक संयुक्तध्वस्थानी वृक्क
- (iii) एक वृक्क में 2.5 सेंमी से बड़े आकार की साधारण एकल वृक्कीय रसौली।
- (iv) दोनों वृक्क में किसी भी आकार की एकल रसौली अथवा एक वृक्क में अनेक रसौली।
- (v) वृक्कीयधूम्र वाहिनी संबंधीधूम्रवाशय संबंधी संपुंज
- (vi) जल वृक्कताए जलगवीनी वृक्कता
- (vii) पथरी.वृक्कीयधूम्रवाहिनी संबंधीधूम्रवाशय संबंधी।
- (viii) अपील मेडिकल बोर्डधुनर्विचार मेडिकल बोर्ड के दौरान अनफिट उम्मीदवारों की विशिष्ट जांच और विस्तृत नैदानिक परीक्षण कराया जाएगा। विशिष्ट अवस्थाओं के लिए नीचे दिए गए रूप में फिटनेस का निर्णय किया जाएगा।
- (कक) ऐसे उम्मीदवार जिनके वृक्क के अंकोमा गठन की वियुक्त अकेली असामान्यता हो को, फिट माना जा सकता है यदि वृक्कीय प्रकार्यए डीपीटीए स्कैन और सी ई सी टी वृक्क सामान्य हो।

- (थ) बड़ा उदरीय संवहन न्यास (महाधमनीध्व आई वी सी)। किसी भी ढांचागत असामान्यता विकारस्थानिक विस्फार, ऐन्यूरिज्म और कैल्सीभवन को अनफिट माना जाएगा।
- (द) वृष्णकोश और वृषण
- (i) एकपार्श्विक अन्तरुदरीय वृष्ण होने को फिट घोषित किया जाएगा बशर्ते दूसरा वृष्ण पूरी तरह नीचे आया हुआ हो।
 - (ii) द्विपार्श्विक नीचे न आए वृष्णों अथवा द्विपार्श्विक अपुष्ट वृषण होने को अनफिट घोषित किया जाएगा।
 - (iii) एकपार्श्विक नीचे न आया वृषण यदि वंक्षण नलिका में पड़ता होए बाह्य वलय पर हो अथवा उदरीय भित्ति में हो तो ऐसे में अनफिट घोषित किया जाएगा।
 - (iv) स्फीतवृषण होना अनफिट होगा।

16. मूत्र प्रजनन तंत्र

(क) मूत्रण में किसी भी बदलाव जैसे कि मूत्रकृच्छ्र अथवा बारंबारता को नोट किया जाएगा। मूत्राशयशोथय गोणिकावृक्कशोथ और रक्तमेह के पुनरावर्ती रोगाक्रमण को अवश्य छोड़ दिया जाए। वृक्कीय बृहदान्त्र के किसी भी इतिहासए घोर वृक्कशोथ के रोगाक्रमणए एक वृक्क के लोफ ;क्षयद्वए अश्म के पास होने अथवा मूत्रमार्गीय आस्राव सहित वृक्कीय पथ पर किसी भी शल्य क्रिया के बारे में विस्तार से पूछताछ की जाएगी। यदि असंयत मूत्रता का वर्तमान में अथवा विगत में कोई भी इतिहास हो पूरा ब्योरा अवश्य प्राप्त किया जाए।

(ख) मूत्र परीक्षण

- (i) प्रोटीनमेह यदि ऊर्ध्वस्थितिज सिद्ध न होता हो तो अस्वीकृति का एक कारण होगा।
- (ii) जब शर्करामेह का पता चले तो एक रक्त शर्करा परीक्षण ;भूखा रहकर और 75 ग्रा ग्लूकोज़ लेने के बादद्व और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी और नतीजों के अनुसार फिटनेस का निर्णय किया जाएगा। वृक्कीय शर्करामेह अस्वाकार करने का एक कारण एक नहीं है।
- (iii) जब उम्मीदवार का मूत्रीय संक्रमण का इतिहास अथवा साक्ष्य हो तो ऐसे में वृक्क की पूरी जांच की जाएगी। मूत्रीय संक्रमण लगातार बने रहे के साक्ष्य से अस्वीकार करने का मामला बनेगा।
- (iv) रक्तमेह के इतिहास वाले उम्मीदवारों को संपूर्ण वृक्कीय जांच से गुजरना होगा।

(ग) स्तवकवृक्क शोथ

- (i) घोर स्थिति मेंएविशेषकर शैशव अवस्था में स्वास्थ्यलाभ दर उच्च होती है। कोई अभ्यर्थी जिसने पूर्ण रूप से स्वास्थ्यलाभ ले लिया है तथा जिसके प्रोटीनमेह नहीं है उसे पूर्ण स्वास्थ्यलाभ से कम से कम एक वर्ष उपरांत फिट घोषित किया जाए।

(ii) चिरकालिक स्तवकवृक्क शोथ वाले अभ्यर्थी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- (घ) वृक्कीय बृहदान्त्र तथा वृक्कीय पथरी। पूर्ण वृक्कीय तथा चयापचयी मूल्यांकन अपेक्षित है। वृक्कीय पथरी वाले अभ्यर्थियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (च) जिन अभ्यर्थियों में जन्म से एक ही वृक्क है अथवा जिनका एकपार्श्विक वृक्कछेदन हुआ है उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। नालाकार वृक्क होने पर भी अस्वीकार कर दिया जाएगा। अकेला कामकर रहा वृक्कए रोग ग्रस्त काम न कर रहे प्रतिपक्षी वृक्क के होने पर भी अस्वीकार कर दिया जाएगा। तिरछी अस्थानताए ऊपर न आया हुआए अथवा गलत जगह पर वृक्कए एकपार्श्विक जन्मजात अल्पविकास अस्वीकार किए जाने के कारण होंगे।
- (छ) नीचे न आए हुए दोनों वृषणध्व अपुष्ट वृषण अस्वीकार किए जाने का कारण है। नीचे न आया हुआ एक वृषण, जो पूर्ण रूप से पेट में है, स्वीकार्य है। यदि यह बाहरी घेरे के वंक्षण नाल अथवा उदरीय भित्ति में है तो ऐसे मामलों को या तो वृष्णोच्छेदन अथवा वृषणस्थिरिकरण शल्य.क्रिया के उपरांत स्वीकार किया जाए। फिटनेस से जुड़े सभी संदेहास्पद मामलों में शल्यक राय अवश्य प्राप्त की जाए।

- (ज) जलवृषण अथवा स्फीतिवृषण का विधिवत इलाज कराने के बाद ही फिटनेस पर विचार किया जाए। थोड़ा स्फीतिवृषण होने की स्थिति में अभ्यर्थी को अस्वीकार न किया जाए।
- (झ) यौन संक्रमित रोग तथा ह्यूमन इम्यूनों डिफ़िशिएंसी वाइरस ;एच आई वी/द्वि सेरोपोजिटिव एच आई वी स्थिति तथा/या यौन संक्रमित रोग का साक्ष्यहोने से अस्वीकार करने का मामला बनेगा।

17. अंतःस्रावी तंत्र

- (क) साधारणतया अंतःस्रावी विकारों की तरफ सांकेतिक इतिहास अस्वीकार्यता के लिए एक कारण होगा।
- (ख) थाइराइड ग्रंथि सूजने/फूलने के सभी मामले जिसमें असामान्य आयोडीन उद्ग्रहण तथा असामान्य थाइराइड हार्मोन स्तर शामिल हैं को अस्वीकार कर दिया जाएगा। कम से कम थाइराइड सूजने के साथ साधारण गलकंड के मामले जो चिकित्सीय रूप से प्राकृत अवटु हैं तथा सामान्य आयोडीन उद्ग्रहण एवं सामान्य थाइराइड क्रिया के साथ स्वीकार किए जा सकते हैं।
- (ग) ऐसे अभ्यर्थी जिनमें मधुमेह मेलिटस पाया जाएगा, अस्वीकार कर दिए जाएंगे। वे अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मधुमेह मेलिटस से संबंधित है, का रक्त शर्करा (भूखे रहने पर तथा ग्लूकोज ग्रहण करने के बाद तथा ग्लाइकोसिलेटेड एच बी/ एच बी ए 1 सी मूल्यांकन किया जाएगा जो रिकॉर्ड किया जाएगा।

18. त्वचारोग संबंधी प्रणाली

- (क) यदि त्वचा की स्थिति बहुत अच्छी न हो तो अभ्यर्थी को त्वचा विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। यदि अभ्यर्थी विगत में कमर्षियल सेक्स वर्कर (सी एस डब्ल्यू) के साथ यौन संबंध स्थापित कर चुका हो, अथवा इस बात का प्रमाण हो कि उसके लिंग पर घाव के ठीक होने का निषान बाकी है तो उसे स्थायी रूप से अनफिट घोषित कर दिया जाएगा, यदि एस टी डी न होने का स्पष्ट प्रमाण हो क्योंकि ऐसे अभ्यर्थियों की ऐसे अविवेकपूर्ण आचरण में पुनः आसक्त होने की संभावना बनी रहती है।
- (ख) जिन नॉन-एक्सेन्थिमेटस और नॉन-कम्प्यूनिकेबल बीमारियों में सामान्यतया थोड़े दिन इलाज किया जाता है, उन्हें अभ्यर्थी को अस्वीकृत करने का कारण नहीं माना जाएगा। साधारण बीमारियों और जिन बीमारियों से सामान्य स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो अथवा जिनसे अक्षमता उत्पन्न हो, उन्हें अस्वीकृत करने का कारण नहीं माना जाएगा।
- (ग) त्वचा की कुछ स्थितियां उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों में सक्रिय हो जाती हैं और अक्षमता उत्पन्न कर देती हैं। यदि किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से त्वचा की पुरानी या बार-बार होने वाली बीमारी है अथवा उसके लक्षण हैं तो वह सेना के लिए अनुपयुक्त होगा। ऐसी कुछ स्थितियों का नीचे वर्णन किया गया है:-
 - (i) कुछ मात्रा में पसीना अधिक आना पारिरीक क्रिया है, जो चिकित्सा जांच के दौरान रंगरूट को आ सकता है, परंतु यदि उम्मीदवार को बहुत अधिक ही पसीना आता है तो उसे अनफिट माना जाएगा।
 - (ii) हल्के (ग्रेड ५) एक्ले वल्गेरिस जिनमें केवल मुंह पर कुछ मस्से अथवा फुंसियां हों तो वह स्वीकार्य है। परंतु मध्यम से बहुत अधिक डिग्री वाले एक्ले (ग्रांठ की तरह के जिन पर पपड़ीदार निषान हो या नहीं हो) अथवा पीठ पर एक्ले हों तो अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा।
 - (iii) हथेलियों, तलवों और एड़ियों की त्वचा कटी-फटी होने और हाइपरकेरेटोटिक के स्पष्ट लक्षण सहित किसी भी डिग्री का पाल्मोप्लांटर केरेटोडर्मा होने पर अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा।
 - (iv) हाथ-पैरों में इक्थियासिस वल्गेरिस जिसमें त्वचा स्पष्ट रूप से सूखी, पपड़ीदार, कटी-फटी हो, तो अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा। मामूली जेरोसिस (सूखी त्वचा) को फिट माना जा सकता है।
 - (v) किसी भी प्रकार के केलॉइड होने पर अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा।
 - (vi) चिकित्सीय दृष्टि से उंगलि और पैर के नाखून में स्पष्ट रूप से ऑनकोमॉयकोसिस होने पर अनफिट घोषित किया जाएगा, विशेष रूप से यदि इसके साथ नाखून के पूरी तरह विकसित न

होने की समस्या भी हो। किसी एक नाखून पर हल्के-फुल्के धब्बे हों परंतु नाखून के अविकसित होने की समस्या न हो तो यह स्वीकृत होगा।

- (vii) 10 सेमी से अधिक बड़े जाइंट कॉंजेनिटल मेलेनोसिटिक नेवि को अनफिट होने का कारण माना जाएगा, क्योंकि इतने बड़े आकार के नेवि के घातक होने की संभावना होती है।
- (viii) उपचार के बाद छोटे आकार के किण (कैलोसिटी) घट्टा (कॉर्न) तथा मस्सा (वार्ट) स्वीकार्य माने जा सकते हैं। तथापि अनेक सामान्य मस्स (वार्ट) या विकीर्ण पामोप्लांटर मोजेइक मस्सा (वार्ट) हथेलियों तथा तलवों के दबाव क्षेत्रों पर बड़े किण (कैलोसिटी) तथा अनेक घट्टे (कॉर्न) वाले उम्मीदवार अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
- (ix) सोरियासिस एक चिरकारी चर्म अवस्था है जो फिर से हो जाती है तथाध्या लौट आती है। तथा इससे इससे ग्रस्त उम्मीदवारों को अनफिट समझा जाएगा।
- (x) ऐसे उम्मीदवार जे शरीर के ढके हुए हिस्सों पर अल्प मात्रा में श्वित्र (ल्यूकोडर्मा) से प्रभावित हैं को स्वीकार किया जा सकता है। विटिलिगो जो केवल मुण्ड (ग्लैन) तथाशिश्नुमुंडच्छद (प्रीपयूस) तक सीमित है को उपयुक्त समझा जा सकता है। वे जिनकी त्वचा का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें सम्मिलित है तथा विशिष्टता जब इसमें शरीर के उघड़े हिस्से भी प्रभावित होंगे चाहे कम ही क्यों न हों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (घ) त्वचा संक्रमण के चिरकालिक या बार.बार होने वाले रोगाक्रमणों का इतिहास भी अस्वीकार्यता का कारण होगा। फोड़ों (बॉयल) का एक साधारण रोगाक्रमण या सायकोसिस जिससे की पूर्ण स्वास्थ्यलाभ हो चुका है को स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है।
- (च) ऐसे व्यक्ति जो त्वचा संबंधी रोगों के चिरकालिक या बार.बार होने वाले गंभीर या अक्षम प्रकृति के रोगों से ग्रस्त है उदाहरण के तौर पर एकजीमाए को स्थायी रूप से अयोग्य समझा जाएगा तथा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (छ) कुछ रोग का कोई भी चिह्न अस्वीकार्यता का कारण होगा।
- (ज) नीवस विवर्णकता तथा बेकर्स नीवस को फिट समझा जा सकता है। अंतरत्वचा नीवसए वाहिका संबंधी नीवस को अयोग्य समझा जाए।
- (झ) उपचार के बाद हल्के शल्क रोग वर्णशबल (माईल्ड पिटरियासिस वर्सिकलर) को फिट समझा जा सकता है। विस्तृत शल्क रोग वर्णशबल को अनफिट समझा जाए।
- (ट) स्वास्थ्यलाभ के उपरांत टीनिया क्रूरिस तथा टीनिया कारपोरिस को फिट समझा जाए।
- (ठ) स्वास्थ्यलाभ के उपरांत अंडकोष एकजीमा को फिट समझा जाए।
- (ड) कैनिटी ;समय पूर्व घूसर दागद्ध को फिट समझा जा सकता है यदि हल्के किस्म की हो और इसका कोई नियमित संयोजन न दिखाई दे।
- (ढ) स्वास्थ्यलाभ के उपरांत त्वग्गलिशोथ (इंटर ट्राइगो) को फिट समझा जा सकता है।
- (त) जननांग फोड़ों सहित यौन संक्रमित रोग अनफिट समझे जाएंगे।
- (थ) कच्छ (स्केबीज) को केवल स्वास्थ्यलाभ के उपरांत ही फिट समझा जाएगा।

19. पेशीय अस्थि.पिंजर प्रणाली तथा शारीरिक क्षमता

- (क) अभ्यर्थी की शारीरिक बनावट का आकलन सामान्य मानकों जैसे प्रत्यक्ष पेशीय विकासए आयुए कदए वजन और इनका अन्तरसंबंध अर्थात् प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप शारीरिक बल हासिल करने की क्षमता को सावधानी पूर्वक ध्यान में रखकर किया जाएगा। अभ्यर्थी की शारीरिक क्षमता सामान्य शारीरिक विकास अथवा अन्य मूलभूत या रोगात्मक परिस्थितियों से प्रभावित होती है।
- (ख) बीमारी का पिछला चिकित्सा संबंधी विवरण या सक्क्रोइलियाक जोड़ों या रीढ़ की जोड़ जो अदृश्य अथवा दिखाई देने वाले लक्षणों से युक्त होए जिससे अभ्यर्थी शारीरिक रूप से सफलतापूर्वक सक्रिय जीवन नहीं

बिता पा रहा होए को कमीशन के लिए निरस्त किया जाएगा। रीढ़ की हड्डी में फ्रेक्चर/ प्रोलाप्सड इंटरवर्टिब्रल डिस्क और इन परिस्थितियों के लिए शल्य चिकित्सा को अस्वीकार किए जाने के लिए आधार माना जाएगा।

- (ग) ऐसी हल्की कुब्जता अथवा अग्रकुब्जता जहां विकृति मुश्किल से ही दिखाई दे और इसमें किसी तरह का दर्द अथवा हरकत करने में बाधा न होए को स्वीकार किया जा सकता है। जब पार्श्वकुब्जता दिखाई पड़े और रीढ़ के कोई रोगात्मक लक्षण पर संदेह होए तो रीढ़ के उस हिस्से की रेडियोग्राफी जांच की जानी चाहिए।
- (घ) उड़ान संबंधी ड्यूटियों के लिए सर्विकलए थोरासिक तथा लुंबोसकराल रीढ़ की रेडियोग्राफी ;ए पी और पार्श्विक जांचद्ध की जाएगी। ग्राउंड ड्यूटियों के लिए यदि जरूरी समझा जाए तो रीढ़ की रेडियोग्राफी की जा सकती है।
- (च) रेडियोग्राफी में निम्नलिखित स्थितियों के होने पर अभ्यर्थी को वायु सेना सेवा के लिए अयोग्य माना जाएगा:-
- (i) रीढ़ का ग्रेनुलोमेटस रोग।
 - (ii) अर्थिरिटिसधस्पोंडिलाइटिस।
 - (कक) रूमाटोइड अर्थिरिटिस और संबंधित रोग।
 - (कख) अंकीलोसिस स्पोंडिलाइटिस।
 - (कग) ऑस्टियो अर्थिरिटिसए स्पोंडिलाइटिस और डिजेनरेटिव जोड़ों से संबंधी रोग।
 - (कघ) नॉन आर्टिकुलर रूमाटिस्म (जैसे रोटटर कफफ में जख्मए टेनिस एल्बोए रिकरेंट लुंबागों आदि)।
 - (कच) एस एल ईए पॉलीमयोसिटिस अँड वासकुलिटिस सहित विविध रोग।
 - (कछ) स्पोंडिलोलिसथेसिस/ स्पोंडिलाइटिस।
 - (कज) रीढ़ के जोड़ पर दबाव से उत्पन्न फ्रेक्चर।
 - (कझ) शैयूरमैन रोग (किशोरावस्था की हल्की कुब्जता)।
 - (कट) सर्विकल लॉर्डोसिडस की कमी जब चिकित्सीय कारणों से सर्विकल रीढ़ संबंधी हरकतें भी सीमित हों।
 - (कठ) प्रदर्शनीय तंत्रिका अथवा परिसंचारी कमी वाली एकतरफा/दोतरफा सर्विकल पसली।
 - (iii) विशेषज्ञ की राय के अनुसार अन्य कोई भी विकृति।
- (च) ऊपर के पैरा में वर्णित विकृति/रोगों का होना भा वा से की सभी शाखाओं के लिए अस्वीकृत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त उड़ान शाखाओं के अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित नियम भी लागू होंगे :-
- (i) उड़ान ड्यूटियों के लिए स्वीकार्य रीढ़ संबंधी असंगतियां :-
 - (कक) एल वी 5 का दोतरफा पूर्ण सेक्रालाइजेसन तथा एस वी 1 का दोतरफा पूर्ण लंबराइजेसन।
 - (कख) सेक्रम तथा एल वी 5 में स्पाइना ब्राइफिडा यदि यह पूरी तरह सेक्रमी हो।
 - (कग) सर्विकल में पूर्णतः कलाक (फ्यूज्ड) बरटेब्रा और/अथवा एकल स्तर पर डोरसेल स्पाइन।
 - (ii) उड़ान ड्यूटियों के लिए रीढ़ की अस्वीकार्य स्थितियां
 - (कक) कॉब पद्धति के द्वारा मापने पर 15 डिग्री से ज्यादा का स्कॉलिओसिस।
 - (कख) डिजेनरेटिव डिस्क रोग

(कग) एटलांटो-ओसिपिटल तथा एटलांटो-एक्सियल असंगतियां।

(कघ) सर्विकल, डोर्सल अथवा लुंबर रीड के किसी भी स्तर पर हेमी बर्टेब्रा और/अथवा अपूर्ण ब्लॉक (फ्यूज) बर्टेब्रा तथा सर्विकल अथवा डोर्सल रीड पर एक से ज्यादा स्तर पर पूरी तरह ब्लॉक (फ्यूज) बर्टेब्रा।

(कच) सभी स्तरों पर (पूर्ण अथवा अपूर्ण) एकतरफा सेक्रलाइजेशन अथवा लुंबराइजेशन तथा दोतरफा अपूर्ण सेक्रलाइजेशन अथवा लुंबराइजेशन।

(ज) उपरी अंगों के आकलन को प्रभावित करने वाली स्थितियां

(i) अंग-विच्छेदन वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि, दोनों तरफ की कनिष्ठिकों के टर्मिनल फ्लेक्स का विच्छेदन स्वीकार्य है।

(ii) उपरी अंगों अथवा इनके हिस्सों में विकृति रद्दीकरण का आधार होगा। कटे हुए पॉलिडैक्टिली के सिवाय सिन्डैक्टिली तथा पॉलिडैक्टिली का अयोग्य माना जाएगा।

(iii) कलाई की दर्दरहित सीमित हरकत की कठोरता की मात्रा के अनुसार श्रेणीकरण किया जाएगा। डोरसीफ्लेक्सन का क्षय पॉलमट फ्लेक्सन से ज्यादा गंभीर है।

(iv) कुहनी की थोड़ी-बहुत सीमित हरकत स्वीकृति में बाधक नहीं होगी बशर्ते कि कार्यात्मक क्षमता पर्याप्त हो। एंकीलोसिस को रद्दीकरण का आधार माना जाएगा जब कैरिंग एंगल (सीधे खड़े होने की भंगिमा की स्थिति में बांह और कोहिनी के बीच का कोण) बेहद ज्यादा हो, तो क्यूबिटस वाल्गस की उपस्थिति मानी जाती है। कार्यात्मक अक्षमता न होने पर और फ्रैक्चर सही से न जुड़ने, फिब्रोसिस अथवा ऐसी अन्य स्थिति में, जब 15 डिग्री तक कैरिंग कोण हो, स्वीकार्य होगा।

(v) कंधे के बार-बार खिसकने को अस्वीकार किए जाने का कारण माना जाएगा।

(vi) पुराने फ्रैक्चर क्लैविकल के सही से नहीं जुड़ने/जोड़ा ही नहीं जाने को अस्वीकार किए जाने का कारण माना जाएगा।

(झ) नीचे के अंगों के आकलन को प्रभावित करने वाली स्थितियां

(i) हैलुक्स वाल्गस के मामूली मामले (20 डिग्री से कम), एसिंटोमेटिक, असंबद्ध कॉर्न/कैलोसिटीज/बुनियन स्वीकार्य हैं। अन्य मामले अस्वीकृत होंगे। पहले मेटाटर्सल का छोटा होना भी अयोग्य माना जाएगा।

(ii) हेलक्स रिजिडस स्वीकार्य नहीं हैं।

(iii) बिना लक्षणों वाला अलग एकल लचीला हल्का हैमर टो स्वीकार्य है। कॉर्न्स, कैलोसिटीस, मैलेट टो या मैटाटार्सोफैलंजियल जोड़ पर हाइपरएक्सटेंशन (पंजे की कुरूपता) से संबद्ध फिक्सड (रिजिड) कुरूपता अथवा हैमर टो को अस्वीकार किया जाएगा।

(iv) पंजे की किसी अंगुली का न होना अस्वीकृत करने का आधार होगा।

(v) अतिरिक्त अंगुलियां अस्वीकृत करने का आधार होंगी यदि वह हड्डी के साथ की अंगुलियों को छू रही हो। सिनडैक्टिली अथवा पंजे/अंगुलियों के न होने के मामले रद्द कर दिए जाएंगे।

(vi) पैर देखने में सपाट हो सकते हैं। यदि पंजे पर खड़े होने पर पैरों की आर्क पुनः दिखने लगती है, यदि अभ्यर्थी पंजे पर उछल सकता हो और अच्छी तरह से भाग सकता हो, यदि पैर लचीले, गतिशील और दर्दरहित हों तो अभ्यर्थी स्वीकार्य है। पैर के हिलने-डुलने में बाधा होना अस्वीकृत करने का कारण होगा। पैर का आकार भले ही कैसा भी हो, पैरों की कठोरता अस्वीकृत करने का कारण होगी।

(vii) हल्की मात्रा का इडियोपाथिक पेस क्लवस स्वीकार्य है। मंद और तीव्र मात्रा का पेस क्लवस एवं आनुवांशिक बीमारी के पेस क्लवस को अस्वीकार्य माना जाएगा। तालिपेस (क्लब फूट) के सारे मामले अस्वीकार्य होंगे।

(viii) टकने के जोड़ में पहले से हुए किसी चोट के कारण हरकत में होने वाली कोई भी परेशानी अस्वीकार्य है। तथापि ऐसी पुनरावर्तक परेशानी जिसका कोई पूर्व विवरण न हो और कम से कम 20 डिग्री के प्लांटर एवं डोर्सिफ्लेक्सिन हरकत के मामले ग्राउंड ड्यूटी के लिए उपयुक्त माने जाएंगे। एयरक्रू ड्यूटी के लिए उपयुक्तता क्रियागत मूल्यांकन पर आधारित होगी।

(ix) घुटने के जोड़ के आंतरिक अव्यवस्था से संबंधित पूर्ववर्ती या रोग विषयक संकेतों पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। ऐसे मामलों में स्वस्थता का आधार क्रियागत मूल्यांकन एवं रोगविज्ञान की दृष्टि से उपचार किए गए मामलों की संभावना/प्रगमन/पुनरावृत्ति पर निर्भर करेगा।

(x) अगर किसी अभ्यर्थी के आंतरिक मल्लेओली के बीच की दूरी 5 सेण्टीमीटर से कम हो एवं उसमें कोई विकृति न हो तो उसे गेणु वेल्लुम (क्रोड्ड घुटना) की दृष्टि से उपयुक्त माना जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी के आंतरिक मल्लेओली के बीच की दूरी 5 सेण्टीमीटर से अधिक हो तो उसे गेणु वेल्लुम की दृष्टि से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा।

(xi) यदि किसी अभ्यर्थी के फेमोरल कोन्डिलेस के बीच की दूरी 10 सेण्टीमीटर के भीतर हो तो उसे गेणु वरूम (बाऊ लेग्स) की दृष्टि से उपयुक्त माना जाएगा।

(xii) यदि किसी अभ्यर्थी के घुटने का अतिप्रसार 10 डिग्री के भीतर हो और इसके साथ कोई अन्य विकृति न हो तो उसे गेणु रेकुर्वटुम की दृष्टि से स्वीकार किया जाएगा।

(xiii) कमर के जोड़ की वास्तविक चोट को अस्वीकृत माना जाएगा।

20. केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली

(क) ऐसे अभ्यर्थी जिसने मानसिक बीमारी/मनोवैज्ञानिक रोग का पिछला इतिहास प्रस्तुत किया हो उनकी विस्तृत जांच की जाएगी और उन्हें मनचिकित्सा की जाँच के लिए नामांकित किया जाएगा। ऐसे मामलों को अवीकार किया जाएगा। पारिवारिक विवरण एवं दवाई ग्रहण करने का पूर्व विवरण भी प्रासंगिक है।

(ख) अनिद्रारोग, दुरुःस्वप्न या रात में लगातार उठकर चलना या रात में पलंग पर ही पेशाब करना जैसे रोगों की पुनरावृत्ति या निरंतरता अवीकृति के कारण होंगे।

(ग) प्रचंड स्पंदित सिर-दर्द और माईग्रेन। साधारण किस्म के बार-बार होने वाले सिर-दर्द जो पहले की सिर की चोट या माईग्रेन के कारण होते हैं। दूसरे प्रकार के कभी-कभी होने वाले सिर-दर्द के संभाव्य कारण को ध्यान में रखा जाए। ऐसे अभ्यर्थी जिसे इतना ज्यादा माईग्रेन हुआ हो जिसके लिए उसने डॉक्टर से परामर्श लिया हो, वह अस्वीकृति का कारण होगा। माईग्रेन का साधारण सा दौरा जिसमें दिखाई न दें या माईग्रेन से युक्त मिरगी हुई हो, को स्वीकृति के लिए बाधक माना जाएगा।

(घ) उम्मीदवार/अभ्यर्थी में एपिलेप्सी का इतिहास होना अस्वीकृति का एक कारण है। पांच वर्ष की आयु के बाद ऐंठन/दौरे भी अस्वीकृति का एक कारण हैं। शिशु अवस्था में ऐंठन बुरा नहीं है बशर्ते ऐसा लगता हो कि ऐंठन फेबराईल ऐंठन हो और किसी प्रत्यक्ष न्यूरोलोजिकल कमी से संबंध ना रखती हो। एपिलेप्सी के कारणों में अनुवांशिक कारक भयानक दिमागी चोट/दिल का दौरा/संक्रमण डिमाईलिनेटिंग और डिजनरेटिव रोग जन्म संबंधी कमियां नशे का सेवन विथड्राल सिजेरस आदि शामिल हैं। सिजेरस बेहोशी का रूप ले सकती हैं और इसलिए जिस बारम्बारता और परिस्थितियों में बेहोशी आती है उसको अवश्य विस्तार से देखना चाहिए। सिजेरस अटैक उड़ान के लिए असक्षमता दर्शाता है चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो।

(च) बा-बार हीट स्ट्रोक हाईपरपाइरेक्सिया या गर्मी से थकान का इतिहास एयर फोर्स की ड्यूटी में भर्ती करने से मनाही करती है क्योंकि यह एक दोषपूर्ण गर्मी नियमन मैकेनिज्म का सबूत है। गर्मी के प्रभावों का एक गंभीर आक्रमण अपने आप में उम्मीदवार की अस्वीकृति का कारण नहीं है बशर्ते गर्मी में काम करने का इतिहास गंभीर हो, और कोई स्थाई रोगोत्तर लक्षण ना दिखते हों।

(छ) सिर में गंभीर चोट या कोनक्सेन का इतिहास अस्वीकृति का एक कारण है। गंभीरता के स्तर को पोस्ट ट्रौमेटिक अमनेशिया (पी टी ए) की अवधि के इतिहास से माप सकते हैं। सिर की चोट के दूसरे रोगोत्तर लक्षणों में पोस्ट कोनक्सेन सिंड्रोम आता है जिसमें व्यक्तिगत लक्षण जैसे सिर में दर्द जी मितलाना, नींद ना आना बैचैनी चिड़चिड़ापन एकाग्रता न होना और ध्यान में कमी फोकल न्यूरोलोजिकल कमी पोस्ट ट्रौमेटिक एपिलेप्सी हैं। पोस्ट

ट्रोमेटिक न्यूरोसाईकोलोजिकल रोग भी हो सकता है जिसमें ध्यान एकाग्रता में कमी सूचना प्रोसेसिंग स्पीड दिमागी लचीलापन फ्रंटल लोब एकजीक्यूटिव फंक्शन तथा साईकोसोसल फंक्शनिंग शामिल हैं। सिर के कपाल का टूटना अस्वीकृति का कारण नहीं होगा जब तक संबंधित इंटराक्रैनियल क्षति या डीप्रेसड फ्रैक्चर या हड्डी के न होने से सम्बद्ध इतिहास रहा हो। जब गंभीर चोट या कोई संबंधित दौरे के अटैक का इतिहास रहा हो तब इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम किया जाएगा जो आवश्यक रूप से सामान्य होना चाहिए। बुरे होल की उपस्थिति उड़ान सेवाओं के लिए अस्वीकृति का कारण होगी लेकिन ग्राउंड ड्यूटी के लिए नहीं। प्रत्येक मामले को व्यक्तिगत गुणों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। स्वीकृति से पूर्व न्यूरोसर्जन तथा मनोवैज्ञानिक की सलाह अवश्य प्राप्त करनी होगी।

(ज) जब पारिवारिक इतिहास में मनोवैज्ञानिक रोगों जैसे नर्वस ब्रेकडाउन, मानसिक बीमारी या नजदीकी रिश्तेदार की आत्महत्या का पता चलता है तो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तिगत पूर्व इतिहास की सावधानीपूर्ण जांच प्राप्त की जानी चाहिए। हालांकि इस प्रकार का इतिहास वायु सेना में सेवा करने से नहीं रोकता है, फिर भी व्यक्तिगत इतिहास या वर्तमान स्थिति में थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक अस्थिरता का प्रमाण मिलने पर चयन से रोक दिया जाएगा।

(झ) यदि परिवार में एपीलेप्सी का इतिहास पाया जाता है तो इसके प्रकार को निर्धारण करने का प्रयास करना चाहिए। जब यह स्थिति किसी नजदीकी रिश्तेदार, प्रथम स्तर में मिलती है तो उम्मीदवार को स्वीकार किया जा सकता है यदि उसमें संबंधित चेतना की परेशानीएँ न्यूरोलोजिकल कमी या उच्चतर मानसिक कार्य का इतिहास ना हो और उसका इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम एकदम सामान्य हो।

(त) भावनात्मक स्थिरता के आंकलन में व्यक्तिगत एवं पारिवारिक इतिहास को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। इसमें तनाव के दौरान भावनात्मक अस्थिरता के लक्षण जो बचपन में व्याप्त असंगत भावनात्मकता के कारण प्रदर्शित होते हैं या फिर पूर्व की कोई नर्वस (तंत्रिका संबंधी) बीमारी या विकार शामिल हैं। हकलाना, टिक, नाखून चबाना, हाइपर-हाइड्रोसिस या परिक्षा के दौरान बेचैनी भावनात्मक अस्थिरता के लक्षण हैं।

(थ) मानसिक उन्माद से ग्रसित अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जाएगा। किसी भी रूप में ड्रग पर निर्भरता भी अस्वीकृति का कारण होगी।

(द) मानसिक रूप से अस्थिर एवं विक्षिप्त व्यक्ति कमीशनिंग के लिए अयोग्य है। किशोर या वयस्क अपचार (अपराध) तंत्रिका संबंधी विकार (नर्वस ब्रेक-डाउन) या लंबी बीमारी का इतिहास भी अस्वीकृति का कारण बनेगा। नाखुश बचपन अभावग्रस्त पारिवारिक पृष्ठभूमि, ट्रांसी किशोर या वयस्क अपचार (अपराध) रोजगार एवं सामाजिक अपसमायोजन के खराब रिकार्ड नर्वस ब्रेक-डाउन या लंबी बीमारी का इतिहास आदि कारकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा विशेषतया यदि इन कारकों ने पूर्व में रोजगार में बाधा पहुंचाई हो तो।

(ध) किसी प्रकार का प्रत्यक्ष न्यूरोलोजिकल डेफिसिट भी अस्वीकृति का कारण बनेगी।

(न) ट्रेमर्स (कंपकंपी) पारस्परिक उत्तेजित पेशीय समूह (इनरवेटेड मसल ग्रुप) की लयात्मक दोलक गतिविधि (रिदमिक आसिलेटरी मूवमेंट) होते हैं। अत्यधिक डर, क्रोध, चिंता अत्यधिक शारीरिक थकान मटोबालिक परेशानी जिसमें हाइपर-थाइराइडिज्म शामिल हैं, शराब का प्रत्याहार और लीथियम के जहरीले प्रभाव धूम्रपान (निकोटिन) एवं चाय काफी का अत्याधिक उपभोग का अवस्था में ट्रेमर्स (कंपकंपी) होते हैं। कोअर्स ट्रेमर्स के अन्य कारक पार्किंसनिज्म सेरेबेलर (इंटेंशन) ट्रेमर, अपरिहार्य (पारिवारिक) ट्रेमर न्यूरोपैथी के ट्रेमर्स एवं मुद्रा विषयक (पास्च्यूरल) या ऐक्शन ट्रेमर्स हैं।

(प) हकलाने वाले अभ्यर्थी वायुसेना ड्यूटीज में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संदेहास्पद मामलों में ई एन टी विशेषज्ञ स्पीच थेरेपिस्ट, मनोविज्ञानी/मनोरोग विज्ञानी द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया मूल्यांकन प्राप्त किया जा सकता है।

(फ) केवल वे अभ्यर्थी जो एयर कू ड्यूटीज के लिए हैं उनका बेसल इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम (ई ई जी) परीक्षण कराया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के विश्राम अवस्था में किए गए ई ई जी या चुनौतीपूर्ण अवस्था में किए गए ई ई जी में असामान्यता पाई जाएगी वे एयर कू ड्यूटीज के लिए अस्वीकार माने जाएंगे :-

- (i) बैकग्राउंड ऐक्टिविटी ऐम्प्लीट्यूड में बैकग्राउंड ऐक्टिविटी की तरफ बढ़ती स्लो वेक्स का फोकल रन एवं 2.3 Hz सामान्य से अधिक की फोकल अत्याधिक एवं उच्च ऐम्प्लीट्यूड बीटी ऐक्टिविटीध्र हेमीस्फेरिकल एसेमेट्री
- (ii) हाइपरवेंटिलेशन. पैराकिजमल स्पाइक्स एवं स्लो वेक्स/स्पाइक्स/फोकल स्पाइक्स पैटर्न
- (iii) फोटो उद्दीपन। बीलेटेरेल्ली साइनेक्रोनस या फोकल पेरोक्जाइमल स्पाइक्स और पोस्ट फोटिक उद्दीपन अवधि/निरुद्ध में निरंतर धीमी गति से तरंगों का प्रवाह या हेमीस्फेयर के ऊपर तेज प्रतिक्रिया
- (ब) अविशिष्ट ई ई जी अपसामान्यता को न्यूरोसाइकेटरिस्ट/न्यूरोफीजिसीयन से प्राप्त सुझाव के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। यदि ई ई जी को अपसामान्य पाया जाता है तो वैसी स्थिति में अभ्यर्थी को सी एच ए एफ (बी) में न्यूरोफीजिसीयन के द्वारा व्यापक जांच के लिए रेफर किया जाएगा जिसकी समीक्षा आई ए एम भारतीय वायु सेना के बोर्ड द्वारा की जाएगी।

21. कान, नाक और गला

(क) नाक और पैरानेजल साइनस

- (i) मार्कड सेपटल डेविएसन के कारण उन्मुक्त रूप से स्वांस लेने में आने वाली दिक्कत अस्वीकार का एक कारण है। पर्याप्त रूप से स्वांस लेने के लिए शेष बचे हुए मध्यम विसामान्यता को ठीक करने वाली सर्जरी को स्वीकार किया जाएगा।
- (ii) किसी भी प्रकार का सेप्टल परफोरेसन अस्वीकृति का कारण होगा।
- (iii) एट्रोफीक राइनाइट्स अस्वीकृति का कारण होगा।
- (iv) एलर्जिक राइनाइट्स संबंधी केस फ्लाइंग ड्यूटी पर जाने के लिए अस्वीकृति का कारण होगा।
- (v) किसी भी प्रकार का पैरानेजन साइनस होने पर अस्वस्थ घोषित किया जाएगा। ऐसे मामलों को प्राधिकृत चिकित्सा परिषद के द्वारा सफल इलाज के बाद ही स्वीकार किया जाएगा।
- (vi) मल्टीपल पोलिपोजीज अस्वीकृति का एक कारण होगा।

(ख) ओरल केविटि और गला

- (i) ऐसे अभ्यर्थी जिनमें टोनसिलेक्टोमि पाया जाता है, उन्हें अस्वीकृत किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को प्राधिकृत चिकित्सा परिषद के द्वारा सफल सर्जरी के बाद ही स्वीकार किया जाएगा।
- (ii) क्लेफ्ट पालेट का पाया जाना अस्वीकृति का एक कारण होगा।
- (iii) आवाज में लगातार आ रहे फटेपन के साथ फैरिन्क्स या लैरिन्क्स में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए अस्वीकृत किया जाएगा।

(ग) यूस्टेशियन ट्यूब का कार्य न करना या उसमें किसी भी प्रकार की बाधा आना अस्वीकृति का एक कारण होगा।

(घ) टिन्नीटस का पाया जाना उसकी अवधि स्थानीकरण, पृथक्ता और संभावित कारणों की जांच को आवश्यक बना देता है। स्थायी टिन्नीटस अस्वीकृति का एक कारण है। क्योंकि नाक के माध्यम से परित्याग होने पर इसके और अधिक खराब होने की संभावना बन जाती है और यह प्रारंभिक स्थिति से ओटोस्क्लेरोसिस और मेनियर बीमारी में बदल सकती है।

(च) किसी भी प्रकार के मोसन सिकनेस की संभावना पाए जाने पर विशिष्ट जांच कराई जाएगी। ऐसे मामलों का पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और मोसन सिकनेस की बीमारी का खतरा होने पर उन्हें फ्लाइंग ड्यूटी करने के लिए अस्वीकृत किया जाएगा।

(छ) एक अभ्यर्थी जिसको चक्कर आने की बीमारी का इतिहास रहा है, उसकी पूरी तरह से जांच किया जाना अनिवार्य है।

(ज) हियरिंग लोस

- (i) फ्री फील्ड हियरिंग लोस अस्वीकृति का एक कारण है।
- (ii) 250 और 8000 Hz के बीच की आवृत्ति में ऑडियोमैट्रिक लोस 20 डी बी से अधिक नहीं होना चाहिए। ई एन टी विशेषज्ञ की सिफारिश पर 30 डी बी तक पृथक यूनिलेटरल हियरिंग लोस को ई एन टी की परीक्षा देने से छूट दिया जाना सामान्य माना जाएगा।
- (झ) जब हियरिंग को पूरी तरह एपीथेलियालाइज्ड और सही पाया गया है ऐसी स्थिति में भी एक मूलधपरिवर्तित रेडिकल मासटोइडेक्टोमी के लिए अस्वीकृत किया जाएगा। पूर्व में टाइमपैनिक मेमब्रेन इन्टेक्ट ए सामान्य हियरिंग और वर्तमान में किसी भी प्रकार की बीमारी न होने की स्थिति के साथ कोरटिकल मासटोइडेक्टोमि के मामलों को स्वीकार किया जा सकता है।
- (ट) एगजोस्टोसेस या अनड्यूलि नैरो मिटी के साथ क्रोनिक ओटिटिस एक्सट्रेना के मामलों को अस्वीकृत किया जाएगा। कैनल के टोरट्यूसिटी का बढ़ना टाइमपैनिक मेमब्रेन के अगले प्रकट रूप का अभिलोपन अस्वीकृति का कारण होगा।
- (ठ) अल्टीट्यूड चेंबर में इयर क्लिरेन्स परीक्षण को सामान्य पाए जाने पर सर्जरी के 12 सप्ताह के बाद टाइमपेनोप्लास्टी टाइप को स्वीकृत माना जाएगा। मध्य कान की निम्नलिखित स्थितियों के अंतर्गत अस्वीकृत माना जाएगा .
 - (i) एटीक सेंट्रल या मार्जिनल परफोरेशन।
 - (ii) चिन्हित प्रतिकर्षण के साथ टाइमपैनिक मेमब्रेन का दाग।
 - (iii) टाइमपैनोप्लास्टी टाइप प्प् से किंतु टाइप प् से नहीं।
 - (vi) कालकारीयस प्लाक्व्यूज (टाइमपैनोस्कारेरोसिस) यदि पार्स टेंसा के 1/3 हिस्से से अधिक जगह घेरता हो।
 - (v) मिडल इयर संक्रमण
 - (vi) बाहरी ऑडिटरी नली में ग्रान्यूलेसन या पॉल्येप
 - (vii) स्टापेडेक्टोमी ऑपरेशन
- (त) कान की विविध स्थितियाँ अस्वीकृति के लिए कान की निम्नलिखित स्थितियाँ होगी :-
 - (i) आटोस्क्लेरोसिस
 - (ii) मेनिरी रोग
 - (iii) ऑफ वेस्टिबूलर मूल का निस्टेग्मस सहित वेस्टिबूलर डिस्फंगसन
 - (iv) बेलस पाल्सी के पश्चात् कर्ण संक्रमण

22. नेत्र प्रणाली

- (क) उड़ान ड्यूटियों के लिए अस्वीकृत होने का बड़ा कारण दृष्टि दोष और चिकित्सीय नेत्र दशाएं हैं।
- (ख) व्यक्तिगत और पारिवारिक इतिहास और बाह्य परीक्षण।
 - (i) भेंगापन और अन्य कारणों से चश्मों की आवश्यकता प्रायः अनुवांशिक है और विकृति की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए पारिवारिक इतिहास (पृष्ठभूमि) महत्वपूर्ण सूचना प्रदान कर सकता है। अभ्यर्थी जो चश्मा लगाए हैं अथवा जिनमें दृष्टिगत दोष पाया गया हो उनका उचित निर्धारण किया जाएगा।
 - (ii) वतर्मपात जिसमे साथ ही दृष्टि या दृष्टिक्षेत्र में बाधा हो अस्वीकृति का एक कारण है जब तक छह माह की अवधि के लिए सर्जरी उपचार सफल न हो। अनियंत्रित वतर्मशोथ वाले अभ्यर्थी विशेषकर जिनमें आइलैसेस की हानि है समान्यतः अनुपयुक्त हैं और इन्हें अस्वीकृत किया जाएगा। वतर्मशोथ और पुराने नेत्रक्षेष्मलाशोथ के गंभीर मामलों का निर्धारण तब तक अस्थायी रूप से अनफिट के रूप में किया जाएगा जब तक कि उपचार से रेस्पॉस का निर्धारण न किया जा सकता हो।

- (iii) नासाश्रु अंतर्रेष्ठ जिससे ऐपिफोरा अथवा श्लेष्मपुटी के मामले अस्वीकृत होंगे जब तक सर्जरी द्वारा अधिकतम छह माह में राहत न मिले।
- (iv) यूविआशोथ (रंजित पटल शोथ, रोमक पिण्ड शोथ, परितारिका शोथ) की अक्सर पुनरावृत्ति होती हो और अभ्यर्थी जिसके परिवार में पहले से ये बीमारी चली आ रही हो अथवा अभ्यर्थी में ये लक्षण दिखायी देते हों उनका निर्धारण सावधानी पूर्वक किया जाएगा। अभ्यर्थियों में जहाँ स्थायी विक्षति के साक्ष्य हों ऐसे अभ्यर्थियों को अस्वीकृत किया जाएगा।
- (v) कार्नीयल स्कार्स ओपेसिटी अस्वीकृति का कारण होंगे जब तक कि ये दृष्टि में बाधा न डाले। स्वीकृति से पूर्व ऐसे मामलों का सावधानीपूर्वक निर्धारण किया जाएगा चूंकि कई स्थितियों की पुनरावृत्ति होती है।
- (vi) लेंटिकुलर ओपेसिटी के मामलों का निर्धारण सावधानीपूर्वक किया जाएगा। जैसाकि दिशानिर्देश है कोई भी ओपेसिटी जिसके कारण दृष्टिगत खराबी होती हों अथवा यह दृष्टि अक्ष में है अथवा प्यूपिल के परित 7 मिमी. के क्षेत्र में मौजूद है जिससे चौंध लगती हो, को फिट नहीं माना जाएगा। फिटनेस का निर्धारण करते समय इस पर भी विचार किया जाएगा कि ओपेसिटी की प्रवणता संख्या अथवा आकार न बढ़े हो।
- (vii) माइग्रेनियस किस्म के सिरदर्द के साथ दृष्टि बाधाएं पूर्णत (विक्षोभ): नेत्र संबंधी समस्या नहीं हैं और इनका निर्धारण तदनुसार किया जाएगा। डिप्लोपिया की मौजूदगी अथवा नाइस्टागमस की पहचान के लिए उचित परीक्षण की आवश्यकता है। चूंकि ये मनोवैज्ञानिक कारणों से हो सकते हैं।
- (viii) रतौंधी अधिकांशतः जन्मजात होती है परंतु आँख की कुछ बिमारियों में रतौंधी एक पूर्व लक्षण के रूप में प्रकट होती है इसलिए अंतिम निर्धारण करने से पहले उचित जाँच आवश्यक है। चूंकि रतौंधी के लिए जाँच नेमी रूप से निष्पादित नहीं की जाती है इसलिए प्रत्येक मामले में इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा कि व्यक्ति रतौंधी से पीड़ित नहीं है। प्रमाणपत्र ड्राफ्ट नियम परिशिष्ट-ख के अनुसार होगा।
- (ix) नेत्र गोलक का किसी में दिशा में न घूमने और नेत्र गोलक के अनुचित दबाव/उभार के लिए उचित निर्धारण की आवश्यकता (प्रोमिनेंस) है।
- (ग) दृष्टि तीक्ष्णता और कलर विजन की आवश्यकताओं का ब्योरा इस नियम के परिशिष्ट.ग में दिया गया है। अभ्यर्थी जो इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं उन्हें अस्वीकृत किया जाएगा।
- (घ) यदि परिवार में मायोपिया का इतिहास रहा है विशेषकर यदि यह निर्धारित होता है कि दृष्टि दोष हाल ही में हुआ है यदि इसके फिजीकल ग्रोथ की अभी भी संभावना है अथवा यदि फण्डस उपस्थिति प्रोग्रेसिव मायोपिया का संकेत हो भले ही दृष्टि की प्रखरता (एकटिटी) निर्धारित सीमा में हो अभ्यर्थी को अनफिट घोषित किया जाएगा।
- (च) रिफ्रेक्टिव सर्जरियां अभ्यर्थी जिनका पीआरके (फोटो रिफ्रैक्टिव केराटोमोमी) लासिक (केराटोमिलेयूसिस के स्थान पर लेजर) हुआ हो उन्हें वायुसेना की सभी ब्रांचों में कमीशन प्रदान करने के लिए फिट माना जाएगा।
- (छ) पी आर के लासिक हुए अभ्यर्थियों का चयन होने से पूर्व उनमें निम्नलिखित मानदंड निर्धारित होने हों:-
- (i) पी आर के/लासिक सर्जरी 20 वर्ष की आयु से पहले नहीं होनी चाहिए।
 - (ii) आई ओ एल मास्टर द्वारा मापी गयी आँख की अक्षीय लम्बाई 25.5 मिमी. से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - (iii) स्टेबल पी आर के/लासिक हुए न्यूनतम 12 माह की अवधि बिना किसी जटिलता के बीत चुकी हो और साथ ही किसी जटिलता का इतिहास अथवा साक्ष्य न हो।
 - (iv) कोर्नियल पैकिमीटर द्वारा पी आर के/लासिक के बाद की मापी गई कोर्नियल मोटाई 450 माइक्रोन्स से कम नहीं होनी चाहिए।

- (v) पी आर के/लासिक से पूर्व उच्च रिफ्रेक्टिव कमियों(>6डी) वाले व्यक्तियों को निकाल दिया जाएगा।
- (ज) वायु सेना की किसी भी ड्यूटी के लिए रिफ्रेक्टिव कमियों को ठीक करने के लिए रेडियल किरोटोमी (आर के) सर्जरी की अनुमति नहीं है। आई ओ एल इम्प्लांट सहित या इसके बिना कैटेरेक्ट सर्जरी करवाने वाले अभ्यर्थियों को भी अनफिट घोषित किया जाएगा।
- (झ) नेत्र मांसपेशी का संतुलन
- (i) भेंगापन दिखायी देने वाले व्यक्तियों को कमीषन प्रदान करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ii) वायुकर्मी दल के मामले में लेटेन्ट स्ट्रैबिज या हीट्रोफोरिया का निर्धारण प्रमुखतः फ्यूजन क्षमता के मूल्यांकन पर आधारित होगा। फ्यूजन की एक मजबूत समझ, तनाव और थकान होने पर बाइनोक्यूलर विजन का अनुरक्षण सुनिश्चित करती है। इसलिए स्वीकार्यता के लिए यह मुख्य मानदंड है।
- (कक) अभिसरण
- (ककक) अभिदृश्यक अभिसरण। इसका औसत 6.5 से 8 सेमी तक है। यह 10 सेमी और उससे अधिक पर खराब होता है।
- (ककख) सब्जेक्टिव अभिसरण (एस सी)। यह अभिसरण के तनाव के अधीन बाइनाकुलर विजन के एंड प्वाइंट (अंतिम छोर) को दर्शाता है। यदि सब्जेक्टिव अभिसरण ऑब्जेक्टिव अभिसरण की सीमा से परे 10 सेमी से अधिक है तो फ्यूजन क्षमता खराब होती है। यह विशेषकर तब होती है जब ऑब्जेक्टिव अभिसरण 10 सेमी और इससे अधिक होता है।
- (कख) एकमोडेपन। मायोप्स (निकटदृष्टिक) के मामले में एकमोडेपन का करेक्टिव निर्धारण ग्लास को सही पॉजिशन में रखकर किया जाना चाहिए। विभिन्न आयु समूहों में एकमोडेपन के लिए स्वीकार्य मानक नीचे तालिका में दिए गए हैं :-

आयु वर्ष में	17-20 21-25	26-30	31-35	36-40	41-45
एकमोडेपन (सेमी में)	10-11 11-12	12.5-13.5	14-16	16-18.5	18.5-27

- (ठ) नेत्र मांसपेशी का संतुलन गतिज होता है और एकाग्रता, उत्तेजना, थकान, हाइपोक्सिया, ड्रग्स और घराब का सेवन करने से इसमें परिवर्तन होता है। अंतिम निर्धारण के लिए, उपर्युक्त जांचों पर एक साथ विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, मैडोक्स रॉड जांच की अधिकतम सीमा से थोड़े अधिक वाले मामले, परन्तु जो अच्छी बाइनाकुलर, प्रतिक्रिया एक अच्छी ऑब्जेक्टिव अभिसरण जिसमें सब्जेक्टिव अभिसरण के मुकाबले बहुत कम अंतर होता है को दर्शाते हैं और कवर जांचों पर पूर्ण और तीव्र स्वास्थ्यलाभ देते हैं को स्वीकार किया जा सकता है। दूसरी तरफ मैडोक्स रॉड जांच सीमाओं के भीतर के मामले परन्तु जो बहुत कम या धूनी फ्यूजन क्षमता दर्शाते हैं, कवर जांचों पर अपूर्ण या कोई स्वास्थ्यलाभ नहीं दर्शाते और खराब सब्जेक्टिव अभिसरण दर्शाते हैं, को अस्वीकार किया जाएगा। नेत्र मांसपेशी के संतुलन के मूल्यांकन के लिए मानक ड्राफ्ट नियमों के परिपिष्ट-ग में उल्लिखित हैं।
- (ड) मीडिया (कोर्निया, लेंस, विट्रियस) या फंडस में कोई क्लिनिकल परिणाम जो कि पैथोलॉजिकल प्रकृति का है और जिसकी बढ़ने की संभावना है, अस्वीकृति का एक कारण होगा। यह जांच माइड्रियासिस के अंतर्गत स्लिट लैंप और ऑफ्थैल्मोस्कोपी द्वारा की जाएगी।

23. हीमोपॉइटिक प्रणाली

- (क) सभी अभ्यर्थियों की पेल्लौर (एनीमिया), कुपोषण, पीलिया, पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी, पुरपुरा, पेटिकेई/एकिमोसिस और हिपेटोस्प्लिनोमिगेली की क्लिनिकल साक्ष्य के लिए जांच की जाएगी।
- (ख) प्रयोगशाला द्वारा एनीमिया (पुरुषों में $<13\text{g/dl}$) की पुष्टि होने की स्थिति में, एनीमिया के प्रकार और एटियोलॉजी का पता लगाने के लिए आगे जांच की जाएगी। इसमें संपूर्ण हीमोग्राम (पीसीवी एमसीवी, एम सी एच, एम सी एच सी, टी आर बी सी, टी डब्ल्यू बी सी, डी एल सी, प्लेटलेट की मात्रा, रेटिकुलोसाइट की मात्रा और ईएस आर शामिल होंगे) और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर शामिल होगा। इटियोलॉजी का निर्धारण करने के लिए अन्य सभी जांच यथावश्यक की जाएंगी। पित्त की थैली में पथरी के लिए पेट की अल्ट्रासेनोग्राफी, ऊपरी जी आई एंडोस्कोपी/प्रैक्टोस्कोपी और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इत्यादि दर्शाए अनुसार की जाएंगी और अभ्यर्थी की फिटनेस का निर्धारण प्रत्येक मामले की मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
- (ग) प्रथम दृष्टया माइल्ड माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक (लौह की कमी से होने वाला एनीमिया) या डाइमोर्फिक एनीमिया (पुरुषों में $\text{भूइड } 11\text{ण्}5\text{हृकस}$) वाले अभ्यर्थियों को 04 से 06 सप्ताह की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अनफिट घोषित किया जाएगा जिसकी बाद में समीक्षा की जाएगी। इन अभ्यर्थियों को स्वीकार किया जा सकता है यदि पूर्ण हीमोग्राम और पी सी वी पेरिफेरल स्मीयर की जांच का परिणाम सामान्य रेंज के भीतर रहता है। मैक्रोसाइटिक/मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया वाले अभ्यर्थियों को अनफिट माना जाएगा।
- (घ) आनुवंशिक हीमोलाइटिक एनीमिया (लाल रक्त कोशिका की मेंबरेंस में खराबी के कारण या लाल रक्त एन्जाइम की कमी के कारण) और हीमोग्लोबिनोपैथीज (सिकल सेल रोग, बीटा थेलेसीमिया : मेजर, इंटरमीडिया, माइनर, ट्रेट और अल्फा थेलेसीमिया इत्यादि) के लक्षण वाले सभी अभ्यर्थियों को सर्विस (सेवा) के लिए अनफिट समझा जाएगा।
- (च) त्वचा में किसी प्रकार के पुराने हीमोरेज जैसे एकिमोसिस/पेटिकेई, एपिस्टेक्सिस, मसूढ़ों और पोषण नली से रक्तस्राव, छोटे आघात या लेसरेषन/दांत निकलने के बाद लगातार रक्तस्राव और हीमोफीलिया या अन्य रक्तस्राव की बीमारियों का कोई पुराना पारिवारिक इतिहास होने पर संपूर्ण जांच की जाएगी। सर्विस (सेवा) में प्रवेश के लिए इन अभ्यर्थियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुरपुरा की क्लिनिकल पुष्टि या थ्रोम्बोसाइटोपीनिया के लक्षण वाले सभी अभ्यर्थियों को सर्विस (सेवा) के लिए अनफिट माना जाएगा।
- (छ) जांच के बाद पुरानी हीमोफीलिया, वॉन वाइलब्रांड रोग के लक्षण वाले अभ्यर्थियों को पुरुआती स्तर पर सर्विस (सेवा) के लिए अनफिट घोषित किया जाएगा।

परिषिष्ट 'क'**(पैरा 12 देखें)**

एन डी ए (फ्लाइंग एवं ग्राउंड ड्यूटी) में अभ्यर्थियों की भर्ती के समय विभिन्न आयु समूहों के पुरुषों की ऊंचाई एवं मानक निर्वस्त्र वजन

(औसत के उच्च स्तर पर 10 प्रतिषत परिवर्तन स्वीकार्य)

ऊंचाई (सेमी में)	आयु वर्ग (वर्षों में)/वजन (किग्रा में)			
	15-16	16-17	17-18	18-19
152	41	42.5	44	45
155	42	43.5	45.3	47

157	43	45	47	48
160	45	46.5	48	49
162	46	48	50	51
165	48	50	52	53
167	49	51	53	54
170	51	52.5	55	56
173	52.5	54.5	57	58
175	54.5	56	59	60
178	56	58	61	62
180	58.5	60	63	64.5
183	61	62.5	65	66.5

परिशिष्ट 'ख'

(पैरा 22(ख); अपपपद्ध देखें)

रतौंधी के संबंध में प्रमाणपत्र

आद्यक्षर सहित नाम _____ बेंच संख्या _____
 चेस्ट सं. _____

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार मेरे परिवार में रतौंधी का कोई मामला नहीं रहा है, और मैं इससे पीड़ित नहीं हूँ।

दिनांक

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
 (चिकित्सा अधिकारी का नाम)

परिशिष्ट 'ग'

(पैरा 22(ग) देखें)

भर्ती के समय एन डी ए (फ्लाइंग एवं ग्राउंड ड्यूटी) अभ्यर्थियों के दृष्टिगत मानक

क्रम सं.	ब्रांच	अपवर्तक त्रुटि की अधिकतम सीमा	दृश्यता तीक्ष्णता त्रुटि	कलर विजन
1.	एफ (पी) डब्ल्यू एस ओ सहित	हायपरमेट्रोपिया + 2.0 डी एस पी एच मेनीफेस्टमायोपिया : शून्य, रेटिनोस्कोपिक मायोपिया -0.5 किसी भी यामोत्तर परमिटिड एसटिगमेटिज्म में +0.75 डी क्लीनिकल (अधिकतम +2.0 डी की सीमा में)	एक आंख 6/6 एवं दूसरी 6/9 केवल हाइपरमेट्रोपिया के लिए 6/6 तक संशोधनीय	सी पी - I

2.	एफ (पी) को छोड़कर एयरक्रू	हायपरमेट्रोपिया +3.5 डी एस पी एच मायोपिया -2.0 डी एस पी एच ऐस्टिगमेटिज्म +0.75 डी क्लीनिकल	एक आंख 6/24 एवं दूसरी 6/36 संशोधनीय 6/6 एवं 6/9	सी पी - I
3.	प्रशासन/प्र. पा. (ए टी सी)/प्र. पा. (एफ सी)	हायपरमेट्रोपिया +3.5 डी एस पी एच मायोपिया -3.5 डी एस पी एच ऐस्टिगमेटिज्म किसी यामोत्तर में +2.5 डी क्लीनिकल	संशोधनीय दृश्यता तीक्ष्णता प्रत्येक आंख में 6/9 होनी चाहिए।	सी पी - II
4.	ए ई (एम) ए ई (एल)	हायपरमेट्रोपिया +3.5 डी एस पी एच मायोपिया -3.50 डी एस पी एच ऐस्टिगमेटिज्म किसी यामोत्तर में +2.5 डी क्लीनिकल	प्रत्येक आंख में संशोधनीय तीक्ष्णता 6/9 होनी चाहिए। सलाह के मुताबिक चष्मा पहनना अनिवार्य होगा।	सी पी - II
5.	मेट	हायपरमेट्रोपिया +3.5 डी एस पी एच मायोपिया -3.50 डी एस पी एच ऐस्टिगमेटिज्म +2.50 डी क्लीनिकल	संशोधनीय दृश्यता तीक्ष्णता बेहतर आंख में 6/6 एवं खराब आंख में 6/18 होनी चाहिए। चष्मा पहनना अनिवार्य होगा।	सी पी - II
6.	लेखा/संभा./ शिक्षा	हायपरमेट्रोपिया +3.5 डी एस पी एच मायोपिया -3.50 डी एस पी एच ऐस्टिगमेटिज्म +2.50 डी क्लीनिकल	संशोधनीय दृश्यता तीक्ष्णता बेहतर आंख में 6/6 एवं खराब आंख में 6/18 होनी चाहिए। चष्मा पहनना अनिवार्य होगा।	सी पी - III

नोट 1 -क्रम सं. 1 और 2 में आने वाले कार्मिकों का नेत्र मांसपेशी संतुलन नीचे दी गई सारणी के अनुरूप होना चाहिए फ्लाईंग ड्यूटियों के लिए नेत्र मांसपेशी संतुलन

भर्ती के समय एनडीए (फ्लाईंग एवं ग्राउंड ड्यूटी) अभ्यर्थियों के दृष्टिगत मानक

क्रम सं.	टेस्ट	फिट	अस्थायी रूप से अनफिट	स्थायी रूप से अनफिट
1	6 मी. पर मेडोक्स रोड टेस्ट	एक्सो-6 प्रिज्म डी ईसो-6 प्रिज्म डी हायपर-1 प्रिज्म डी हायपो-1 प्रिज्म डी	एक्सो-6 प्रिज्म डी ईसो से ज्यादा-6 प्रिज्म डी हायपर से ज्यादा-1 प्रिज्म डी हायपो से ज्यादा-1 प्रिज्म डी से ज्यादा	यूनिओक्यूलर सपरेषन हायपर/हायपो 2 प्रिज्म डी से ज्यादा
2.	33 सेमी. पर मेडोक्स रोड टेस्ट	एक्सो-16 प्रिज्म डी ईसो-6 प्रिज्म डी हायपर-1 प्रिज्म डी हायपो-1 प्रिज्म डी	एक्सो-16 प्रिज्म डी ईसो से ज्यादा-6 प्रिज्म डी हायपर से ज्यादा-1 प्रिज्म डी हायपो से ज्यादा-1 प्रिज्म डी से ज्यादा	यूनिओक्यूलर सपरेषन हायपर/हायपो 2 प्रिज्म डी से ज्यादा
3.	हैंड हेल्ड स्टीरियोस्कोप	बी एस बी ग्रेड के सभी	पूअर फ्यूजनल रिजर्व	एस एम पी की अनुपस्थिति, फ्यूजन स्टीरियोसिस

4.	कनवर्जेंस	10 सेमी. तक	15 सेमी. तक प्रयास सहित	प्रयास करने पर 15 सेमी से अधिक
5.	नजदीक एवं दूर के लिए कवर टेस्ट	लेटेंट डायवर्जेंस/कनवर्जेंस रिकवरी रेपिड एवं कम्पलीट	कम्पनसेटिड हीटिरियो-फोरिया/ट्रोफिया जिसके उपचार के पश्चात सुधार की संभावना हो/सही उपचार के पश्चात भी बना रहता है।	कम्पनसेटिड हीटिरियो फोरिया

नोट 2-एन डी ए में एयर विंग कैडेट एवं ए एफ ए में एफ (पी) के फ्लाइट कैडेट के दृष्यता मानक ए1 जी1 एफ (पी) मानक (क्रम सं. 1) के अनुरूप होने चाहिए।

नोट 3- उपरोक्त उल्लिखित एस पी एच संशोधन कारकों में निर्दिष्ट एस्टिमेटिक संशोधन कारक शामिल होंगे। विनिर्दिष्ट दृष्यता तीक्ष्णता तक जो न्यूनतम संशोधन कारक स्वीकार किए जा सकते हैं।

परिशिष्ट-III

सेवा से संबंधित संक्षिप्त विवरण

1. किसी अभ्यर्थी के अकादमी में भर्ती होने से पूर्व उसके माता-पिता या संरक्षक को निम्नलिखित प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे:-

(क) इस आशय का प्रमाणपत्र कि वह यह अच्छी तरह समझता है कि उसके पुत्र या आश्रित को किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके कारण कोई चोट लगने या ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा हुई चोट का इलाज करने के लिए आवश्यक किसी शल्य चिकित्सा या एनेस्थीसिया की दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसे या उसके पुत्र या आश्रित को सरकार से किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की सहायता का दावा करने का हक नहीं होगा।

(ख) इस आशय का बंधपत्र कि, यदि अभ्यर्थी को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से इस आधार पर बर्खास्त या निकाला या वापस किया गया कि उसने उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने के लिए अपने आवेदन-पत्र में जानबूझ कर गलत विवरण दिया अथवा तथ्यात्मक जानकारी को छिपाया अथवा उसे उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से अनुशासनिक आधार पर अथवा किसी ऐसे कारण से जो कैडेट के नियंत्रण में है बर्खास्त या निकाला अथवा वापस किया गया अथवा उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में वह अपने प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि पूरी नहीं करता अथवा वह कैडेट, ऊपर बताए गए के अनुसार कमीशन दिए जाने पर उसे स्वीकार नहीं करता तो गारंटीकर्ता तथा कैडेट संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग सरकार को तत्काल वह रोकड़ राशि देने के लिए बाध्य होंगे जो सरकार नियत करेगी। किंतु यह राशि उस व्यय से अधिक नहीं होगी जो सरकार कैडेट के प्रशिक्षण के दौरान उस पर खर्च की गई राशि तथा कैडेट द्वारा सरकार से प्राप्त किए गए वेतन तथा भत्ते सहित सारी राशि, उस पर ब्याज भी लगेगा और इसकी दर सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर लगने वाली ब्याज दर, जो उस समय लागू है, के समान होंगी।

2. आवास, पुस्तकें, वर्दी, भोजन व्यवस्था तथा चिकित्सा उपचार सहित प्रशिक्षण का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, कैडेट के माता-पिता या संरक्षक को अपना जेब खर्च व अन्य निजी खर्च वहन करना होगा। सामान्यतः यह व्यय 3,000.00 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होने चाहिए। यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस व्यय को भी पूरी तरह या आंशिक रूप से वहन करने की स्थिति में नहीं हैं, तो ऐसे कैडेटों के माता-पिता या संरक्षक जिनकी मासिक आय 21,000/- रुपए प्रति माह से कम है, के मामले में सरकार द्वारा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 1,000.00 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। जिन कैडेट्स के माता-पिता या संरक्षक की मासिक आय 21,000/- रुपए प्रति माह से अधिक है, वे वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे। यदि एक से अधिक पुत्र/आश्रित एनडीए, आईएमए, ओटीए तथा नौसेना और वायु सेना की समकक्ष प्रशिक्षण स्थापना में साथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो वे दोनों ही वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।

यदि किसी अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए इच्छुक हों तो वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में उनके पुत्र/आश्रित के अंतिम रूप से चुने जाने के बाद तत्काल अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के

माध्यम से एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे, और वह एस आवेदन को अपनी संस्तुतियों के साथ कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड्कवासला, पुणे - 411023 को भेज देंगे।

3. अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गये अभ्यर्थियों को यहां आने पर कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी:—

(क) प्रतिमाह 3000.00 रुपए की दर से पांच माह का पाकेट भत्ता	रुपये 15,000.00
(ख) कपड़ों एवं उपस्कर की मदों के लिए	रुपये 21831.00
(ग) सेना समूह बीमा निधि	रुपये 7200.00
(घ) ज्वाइनिंग के समय कपड़ों हेतु	रुपये 8681.00
(घ) पहले सेमेस्टर के दौरान होने वाले आनुषंगिक व्यय	रुपये 7138.00
योग	रुपये 59850.00

यदि अभ्यर्थियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की मंजूरी मिल जाती है तो उल्लिखित राशि में से निम्नलिखित राशि वापिस लौटा दी जाएगी:-

(क) प्रति माह 400.00 रुपए की दर से पांच माह के लिए पाकेट भत्ता (सरकारी वित्तीय सहायता के अनुरूप)	रुपये 2000.00
(ख) कपड़ों एवं उपस्कर की मदों के लिए	रुपये 13935.00

4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां/वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं:

(1) **परशुराम भाऊ पटवर्द्धन छात्रवृत्ति:** यह छात्रवृत्ति पासिंग आउट कोर्स के अंतर्गत अकादमिक क्षेत्र में समग्रत प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कैडेट को प्रदान की जाती है। एकवारगी छात्रवृत्ति की राशि 5000/- रु है।

(2) **कर्नल कैडल फ्रैंक मेमोरियल छात्रवृत्ति:** यह 4800 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति उस मराठा कैडेट को दी जाएगी जो भूतपूर्व सैनिक का पुत्र हो। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती है।

(3) **कौर सिंह मेमोरियल छात्रवृत्ति:** दो छात्रवृत्तियां उन कैडेटों को प्रदान की जाती हैं जिन्हें बिहार के अभ्यर्थियों में उच्चतम स्थान प्राप्त हो। प्रत्येक छात्रवृत्ति 37 रु. प्रति मास की होगी तथा अधिकतम 4 वर्ष के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड्कवासला में प्रशिक्षण के दौरान तथा उसके बाद भारतीय सेना अकादमी, देहरादून तथा वायु सेना फ्लाईंग कालेज तथा भारतीय नौ सेना अकादमी, एजीमाला में दी जाती रहेगी जहां कैडेट को प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा करने पर भेजा जाएगा, लेकिन छात्रवृत्ति तभी मिलती रहेगी जब कैडेट उपर्युक्त संस्थानों में अच्छी प्रगति करता रहे।

(4) **असम सरकार छात्रवृत्ति:** दो छात्रवृत्तियां असम के कैडेटों को प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक छात्रवृत्ति 30 रु. प्रति मास की रहेगी तथा जब तक छात्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रहेगा उसे मिलती रहेगी। छात्रवृत्ति असम के दो सर्वोत्तम कैडेटों को उनके माता-पिता की आय पर ध्यान दिए बिना प्रदान की जाएगी। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, वे सरकार की ओर से कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होंगे।

(5) **उत्तर प्रदेश सरकार प्रोत्साहन योजना — उत्तर प्रदेश सैनिक पुन्रवास निधि.** उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल के अधीन एक ट्रस्ट ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी / भारतीय सैन्य अकादमी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी / वायु सेना अकादमी/नौ सेना अकादमी/महिला प्रवेश में शामिल होने वाले राष्ट्रीय कैडेटों के लिये एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है जो उत्तर प्रदेश के जेसीओ रैंक तक के पूर्व सैनिकों के आश्रित हैं, जिसमें प्रति उम्मीदवार 25,000/- रु के एक बार अनुदान का प्रावधान है।

(6) **केरल सरकार छात्रवृत्ति —** सभी पुरुष/महिला कैडेट लिंग के बावजूद और बिना किसी पूर्व शर्त के सभी केरल राज्य कैडेट को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी / राष्ट्रीय रक्षा अकादमी / भारतीय सैन्य अकादमी / नौ सेना अकादमी/ वायु सेना अकादमी / सशस्त्र बल मेडिकल कोलेज / राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कोलेज स्कूलों प्रवेश होने पर केवल रु 2,00,000/- सांवना राशि दी जाएगी की और जिन्हें सैन्य, नौ सेना और वायु सेना नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश मिलेगा, उन्हें रु 1,00,000/- की सांवना दी जाएगी।

(7) बिहारी लाल मंदाकिनी पुरस्कार: 500 रुपये का नकद पुरस्कार सर्वोत्तम बंगाली लड़के को अकादमी द्वारा आयोजित प्रत्येक कोर्स के लिए मिलता है। आवेदन पत्र कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से मिलते हैं।

(8) उड़ीसा सरकार छात्रवृत्तियां: तीनों सेनाओं के लिए अलग-अलग तीन छात्रवृत्तियां – एक थल सेना, एक नौ सेना तथा एक वायु सेना के कैडेट के लिए 80 रु. प्रति मास के हिसाब से उड़ीसा सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएंगी जो उड़ीसा राज्य के स्थायी निवासी हैं। इनमें से दो छात्रवृत्तियां कैडेटों की योग्यता तथा आय के साधन के आधार पर दी जाएंगी जिनके माता-पिता या अभिभावक की आय रु. 5000 प्रति वर्ष से अधिक न हो तथा तीसरी छात्रवृत्ति माता-पिता या अभिभावकों की आय को ध्यान में रखे बिना सर्वोत्तम कैडेट को दी जाएगी।

	राज्य सरकार	राशि	पात्रता
9	पश्चिम बंगाल प्रारंभिक आय प्रति सत्र एकमुश्त अनुदान छात्रवृत्ति आय समूह सारणी निम्न—प्रति माह 9000/- रुपए तक मध्य--9001/- रुपए से 18000/- प्रति माह उच्च-- 18000/-रुपए प्रति माह से अधिक	निम्न मध्य उच्च रु.5000/- रु.3,750/- रु.2500/- रु.1800/- रु.1350/- रु. 900/-	(i) कैडेट भारतीय नागरिक होना चाहिए और कैडेट और/अथवा उसके माता-पिता पश्चिम बंगाल राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए (ii) कैडेट को मैरिट पर प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति अथवा वजीफे के सिवाए भारत सरकार और/अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण से कोई अन्य वित्तीय सहायता/अनुदान प्राप्त नहीं होता है।
10	गोवा	1000/- रुपए प्रति माह प्रशिक्षण की अवधि के दौरान,(अधिकतम 24 माह अथवा कोर्स की अवधि के दौरान, जो भी कम हो) और 12000/- रुपए का एकवारगी परिधान भत्ता।	(i) कैडेट के माता-पिता/ अभिभावक की आय की सीमा 15,000/- रुपए प्रति माह (1,80,000/- रुपए प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए। (ii) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित कैडेटों की आय सीमा 37,500/- रुपए प्रति माह (4,50,000/- रुपए प्रतिवर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए। (iii) वे किसी भी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता/ निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त न कर रहे हों।
11	नागालैंड	1,00,000/- रुपए एकवारगी भुगतान	नागालैंड राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
12	मणिपुर	1,00,000/- रुपए एकवारगी भुगतान	मणिपुर राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
13	अरुणाचल प्रदेश	छात्रवृत्ति 1000/- रुपए प्रति माह एकवारगी वर्दी भत्ता 12,000/-रुपए	अरुणाचल प्रदेश राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
14	गुजरात	छात्रवृत्ति 6000/- रुपए प्रति वर्ष	गुजरात के सेवारत/भूतपूर्व मूल/ अधिवासी सैनिक (भूतपूर्व/सेवारत

			अधिकारी सहित) के आश्रित को
15	उत्तराखंड	(क) उत्तराखंड के अधिवासी एनडीए कैडेटों हेतु 250/- रु. प्रतिमाह की जेब खर्च राशि ऐसे कैडेटों के पिता/संरक्षक को प्रदान की जाती है (पूर्व-सैनिक/विधवा के मामले में संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से)। (ख) उत्तराखंड के अधिवासी एनडीए कैडेटों के पिता/संरक्षक को उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हलद्वानी के माध्यम से 50,000/- रु. का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।	
16	पंजाब	1,00,000/- रुपए एकबारगी भुगतान	पंजाब राज्य का अधिवासी होना चाहिए।
17	राज्य सरकार सिक्किम	सभी अधिकारी प्रवेश योजनाओं के लिए रु.1,50,000/-	सभी अधिकारी प्रवेश योजनाओं के लिए सिक्किम के सफल अभ्यर्थियों हेतु पुरस्कार
18	फ्लाईंग अफसर अनुज नांचल स्मारक छात्रवृत्ति - छठे सत्र में सभी क्षेत्रों में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले वायु सेना कैडेट को 1500/- रु. (एकबारगी भुगतान)।		
19	पायलट अफसर गुरमीत सिंह बेदी स्मारक छात्रवृत्ति - पायलट अफसर गुरमीत सिंह बेदी स्मारक छात्रवृत्ति। छठे सत्र में पासिंग आउट के समय सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ वायु सेना कैडेट को 1500/- रु. (एकबारगी भुगतान)।		

(20) हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति: हिमाचल प्रदेश के कैडेटों को 4 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रशिक्षण के प्रथम दो वर्षों के लिए प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिए 30 रुपये प्रतिमास तथा प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के लिए 48 रुपये प्रतिमास मिलेगी। यह छात्रवृत्ति उन कैडेटों को मिलेगी जिनके माता-पिता की मासिक आय 500 रुपये प्रतिमास से कम होगी। जो कैडेट सरकार से वित्तीय सहायता ले रहा हो वह छात्रवृत्ति के लिए हकदार नहीं होगा।

(21) तमिलनाडु सरकार की छात्रवृत्ति: तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति कोर्स रु. 30 प्रतिमास की एक छात्रवृत्ति तथा साथ में रु. 400 परिधान भत्ता (कैडेट के प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार) देना शुरू किया है जो उस कैडेट को दिया जाएगा जो तमिलनाडु राज्य का हो तथा जिसके अभिभावक/संरक्षक की मासिक आय 500 रु. से अधिक न हो। पात्र कैडेट अपना आवेदन कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को वहां पहुंचने पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

(22) कर्नाटक सरकार की छात्रवृत्तियां- कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाने वाले कर्नाटक राज्य के कैडेटों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। छात्रवृत्ति की राशि 1000/- रु.(एक हजार रुपए) प्रतिमाह और परिधान भत्ते की राशि प्रथम सत्र में 12000/- रु. होगी।

(23) एलबर्ट एक्का छात्रवृत्ति: बिहार सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 50/- रु. प्रतिमास की योग्यता क्रम के आधार पर 25 छात्रवृत्तियां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में छः सत्र की पूरी समयावधि के लिए परिधान तथा उपस्कर के लिए 650/- रु. देना शुरू किया है। जिस कैडेट को उपर्युक्त योग्यता छात्रवृत्ति मिलती है वह सरकार से कोई अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का पात्र नहीं होगा। पात्र कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आने पर कमांडेंट को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(24) फ्लाईंग अफसर डीवी पिंटू स्मारक छात्रवृत्ति: ग्रुप कैप्टन एम. वशिष्ठ ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में योग्यता क्रम में प्रथम तीन स्थान पाने वाले कैडेटों को पहला सेमेस्टर पूरा करने पर दूसरे सत्र के समाप्त होने तक, एक सत्र के लिए 125/- रु. प्रतिमाह की दर से तीन छात्रवृत्तियां प्रारंभ की हैं। सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कैडेट उपर्युक्त छात्रवृत्ति पाने के लिए पात्र नहीं होंगे। पात्र कैडेट प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने के बाद कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं।

(25) महाराष्ट्र राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता

महाराष्ट्र के भूतपूर्व सैन्य अफसरों/सैनिकों के जो आश्रित एनडीए में कैडेट के तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में 50,000/- रुपए दिए जाएंगे।

कैडेटों के माता-पिता/संरक्षकों को अकादमी से प्राप्त प्रमाण-पत्र के साथ अपने आवेदन पत्र को संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। छात्रवृत्तियों पर लागू निबंधन और शर्तें कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे - 411023 से प्राप्त की जा सकती हैं।

(26) एनडीए में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हरियाणा के अधिवासी अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता।

हरियाणा राज्य सरकार ने एनडीए/आईएमए/ओटीए तथा राष्ट्रीय स्तर की अन्य रक्षा अकादमियों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले हरियाणा राज्य के अधिवासी प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) के नकद पुरस्कार की घोषणा की है।

(27) एनडीए में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के अधिवासी कैडेटों को प्रोत्साहन।

चंडीगढ़ प्रशासन ने उन कैडेटों को 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु योजना प्रारंभ की है जो संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के निवासी हैं तथा जिन्होंने एनडीए में प्रवेश लिया है।

(28) छात्रवृत्ति/अनुदान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासी जो कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन्हें मासिक अनुदान 2000/- रु मिलेगा। एक प्रामाणिक निवासी का मतलब उन कैडेटों से होगा जिनका स्थायी घर का पता राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने के समय दस्तावेजों में दर्ज किया गया है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का है, (और इसमें एनसीआर शामिल नहीं है) इसके लिए निवास प्रामाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, उनके माता पिता के सेवा रिकॉर्ड आदि) के एक प्रति के साथ सहायता करने की आवश्यकता होगी।

5. चुने हुए अभ्यर्थियों के अकादमी में आने के बाद तत्काल उनके लिए निम्नलिखित विषयों में एक प्रारंभिक परीक्षा होगी:-

(क) अंग्रेजी

(ख) गणित

(ग) विज्ञान

(घ) हिन्दी

(क), (ख) तथा (ग) के लिए परीक्षा का स्तर, भारतीय विश्वविद्यालय या हायर सैकेंडरी शिक्षा बोर्ड की हायर सैकेंडरी परीक्षा के स्तर से ऊंचा नहीं होगा। (घ) पर लिखित विषय की परीक्षा में यह जांचा जायेगा कि अभ्यर्थी को अकादमी में भर्ती होने के समय हिन्दी का कितना ज्ञान है।

अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रतियोगिता परीक्षा के उपरांत अध्ययन के प्रति लापरवाह न हो जाएं।

प्रशिक्षण:

6. तीनों सेनाओं, अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए चयनित अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), जो कि अंतर-सेवा संस्थान है, में 3 वर्ष की अवधि का अकादमिक और शारीरिक, दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पहले ढाई वर्षों के दौरान दिया जाने वाला प्रशिक्षण तीनों स्कंधों के अभ्यर्थियों के लिए समान है। पास आउट होने वाले सभी अभ्यर्थियों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा निम्नानुसार डिग्रियां प्रदान की जाएंगी :-

(क) थल सेना कैडेट - बी.एससी./ बी.एससी. (कंप्यूटर)/ बी.ए.

(ख) नौसेना कैडेट - बी.टेक. डिग्री *

(ग) वायु सेना कैडेट - बी.टेक. डिग्री */बी एस सी/बी एस सी (कम्प्यूटर)

* नोट: बी.एससी./ बी.एससी. (कंप्यूटर)/ बी.ए. डिग्री करने वाले सभी कैडेटों को एनडीए में अकादमिक, शारीरिक तथा सेना संबंधी प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर डिग्री प्रदान की जाएगी। बी टेक कोर्स में शामिल सभी कैडेटों को बी टेक की डिग्री संबंधित कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण अकादमी/संस्थान/पोत/विमान में प्रशिक्षण के उपरांत प्रदान की जाएगी।

नौसेना अकादमी के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय नौसेना अकादमी, एजिमाला में 4 वर्ष की अवधि के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के कैडेटों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने (पासिंग आउट) पर बी. टेक डिग्री प्रदान की जाएगी।

7. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास होने के बाद थल सेना कैडेट भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में, नौसेना कैडेट, भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला में और वायु सेना कैडेट (उड़ान और ग्राउंड ड्यूटी (Non-Tech) शाखाएं), वायु सेना अकादमी, हैदराबाद जाएंगे एवम वायु सेना कैडेट ग्राउंड ड्यूटी (Tech) शाखाएं वायु सेना तकनीकी कालेज, बेंगलुरु में जाएंगे।

8. भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) के सेना कैडेटों को जेंटलमैन कैडेट कहा जाता है। इन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए कड़ा सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य इन कैडेटों को इन्फैन्ट्री सब-यूनिटों का नेतृत्व करने हेतु सक्षम अधिकारी बनाना है। प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद जेंटलमैन कैडेटों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य “शेप-वन” होने पर लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है।

9. (क) नौ सेना कैडेटों के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने पर उन्हें नौ सेना की कार्यकारी शाखा के लिए चुना जाता है, भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला में एक वर्ष की अवधि के लिए और प्रशिक्षण दिया जाता है जिसे सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें सब लेफ्टिनेंट के रैंक में पदोन्नत किया जाता है।

(ख) नौसेना अकादमी के लिए 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के तहत चुने गए अभ्यर्थियों को नौसेना की आवश्यकताओं के अनुसार अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (कार्यकारी शाखा के लिए), मैकेनिकल इंजीनियरिंग (नेवल आर्किटेक्ट स्पेशलाइजेशन सहित इंजीनियरिंग शाखा के लिए) अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल शाखा के लिए) में चार वर्षों के बी. टेक कोर्स के लिए कैडेट के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। कोर्स पूरा होने के बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे एन यू) द्वारा बी. टेक डिग्री प्रदान की जाएगी।

10. (क) वायु सेना कैडेटों को डेढ़ वर्ष तक हवाई उड़ान का प्रशिक्षण दिया जाता है। तथापि उन्हें एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर अनन्तिम रूप से फ्लाइटिंग अफसर के रैंक में कमीशन प्रदान किया जाता है। इसके बाद छः माह का और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें स्थायी कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में शामिल कर लिया जाता है और एक वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

(ख) वायु सेना की ग्राउंड ड्यूटी शाखा के कैडेटों को एक वर्ष की अवधि तक उनकी स्ट्रीम के अनुसार स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें फ्लाइटिंग अफसर के रैंक में अनन्तिम रूप से कमीशन प्रदान किया जाता है। बाद में उन्हें स्थायी कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में शामिल कर लिया जाता है और एक वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

तीनों सेनाओं की शर्तें:

11. सेना अधिकारी एवं वायु सेना व नौ सेना के समकक्ष रैंक

(i) कैडेट प्रशिक्षण के लिए नियत वेतन (स्टाइपेंड) :-

सेना अकादमियों में प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि, अर्थात् भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, पुरुष कैडेटों को दिया जाने वाला वेतन	56,100/- रु. प्रतिमाह* (पे लेवल 10 में आरंभिक वेतन)
--	--

* सफलतापूर्वक कमीशन प्रदान किए जाने के उपरांत, कमीशन प्राप्त अधिकारी का पे लेवल 10 के प्रथम सेल में निर्धारित किया जाएगा और प्रशिक्षण की अवधि को कमीशन प्राप्त सेवा की अवधि नहीं माना जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान यथालागू देय भत्तों की बकाया राशि का भुगतान कैडेटों को किया जाएगा।

(ii) वेतन

(क)

रैंक	पे लेवल (रु. में)
लेफ्टिनेंट से मेजर	लेफ्टिनेंट – लेवल 10 (56,100-1,77,500) कैप्टन – लेवल 10 बी (61,300- 1,93,900) मेजर – लेवल 11 (69,400-2,07,200)

लेफ्टिनेंट कर्नल से मेजर जनरल	लेफ्टिनेंट कर्नल – लेवल 12 ए (1,21,200-2,12,400) कर्नल – लेवल 13 (1,30,600-2,15,900) ब्रिगेडियर – लेवल 13 ए (1,39,600-2,17,600) मेजर जनरल - लेवल 14 (1,44,200-2,18,200)
लेफ्टिनेंट जनरल एच ए जी+ वेतनमान	लेवल 15 (1,82,200-2,24,100)
एच ए जी+ वेतनमान	लेवल 16 (2,05,400-2,24,400)
सह सेनाध्यक्ष/ सेना कमांडर/ लेफ्टिनेंट जनरल (एनएफएसजी)	लेवल 17 (2,25,000/-) (नियत)
सेनाध्यक्ष	लेवल 18 (2,50,000/-) (नियत)

(ख) अधिकारियों को दिया जाने वाला सैन्य सेवा वेतन(एमएसपी) निम्नानुसार है:-

लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों को दिया जाने वाला सैन्य सेवा वेतन (एम एस पी)	15,500/- रु. प्रतिमाह नियत
--	----------------------------

(ग) उड़ान भत्ता

सेना विमानन (एवियेशन) कोर में कार्यरत थलसेना के विमानचालक (पाइलट) निम्नानुसार 25000/- रु. प्रतिमाह उड़ान भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(घ) अन्य भत्ते :-

महंगाई भत्ता	उन्हीं दरों और शर्तों पर देय होगा जो, समय-समय पर सिविलियन कार्मिकों के मामले में लागू हैं।
पैरा भत्ता	10,500/- रु. प्रतिमाह
पैरा रिज़र्व भत्ता	2,625/- रु. प्रतिमाह
पैरा जंप प्रशिक्षक भत्ता	10,500/- रु. प्रतिमाह
परियोजना भत्ता	3,400/- रु. प्रतिमाह
विशेष बल भत्ता	25,000/- रु. प्रतिमाह
तकनीकी भत्ता (स्तर-I)	3,000/- रु. प्रतिमाह
तकनीकी भत्ता (स्तर-II)	4,500/- रु. प्रतिमाह

(च) फील्ड क्षेत्रों में तैनात अफसर, अपने रैंक तथा तैनाती क्षेत्र के आधार पर, निम्नानुसार फील्ड क्षेत्र भत्तों के पात्र होंगे:-

लेवल	अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र भत्ता	फील्ड क्षेत्र भत्ता	संशोधित फील्ड क्षेत्र भत्ता
अधिकारियों	16900/- रु. प्रतिमाह	10500/- रु. प्रतिमाह	6300/- रु. प्रतिमाह

उच्चतुंगता भत्ता

लेवल	श्रेणी-I (प्रतिमाह)	श्रेणी-II (प्रतिमाह)	श्रेणी-III (प्रतिमाह)
अधिकारियों	3400/- रु. प्रतिमाह	5300/- रु. प्रतिमाह	25000/- रु. प्रतिमाह

काउन्टर विद्रोह भत्ता

लेवल	काउन्टर विद्रोह भत्ता शांति क्षेत्र	काउन्टर विद्रोह भत्ता फील्ड क्षेत्र	काउन्टर विद्रोह भत्ता संशोधित फील्ड क्षेत्र
अधिकारियों	10,500/- रु. प्रतिमाह	16,900/- रु. प्रतिमाह	13,013/- रु. प्रतिमाह

(छ) सियाचिन भत्ता : 42,500/- रु. प्रतिमाह होगा।

(ज) वर्दी भत्ता : नए प्रस्तावित ड्रेस भत्ते में शामिल अर्थात् 20,000/- रु. प्रतिवर्ष।

(झ) राशन सामग्री : फील्ड और शांति क्षेत्र में

(ट) परिवहन भत्ता

पे लेवल	अधिक परिवहन भत्ते वाले शहर (रु. प्रतिमाह)	अन्य स्थान (रु. प्रतिमाह)
अधिकारियों	7200 रु. + महंगाई भत्ता	3600 रु. + महंगाई भत्ता

(ठ) संतान शिक्षा भत्ता - केवल पहले दो जीवित बच्चों के लिए 2250/- रु. प्रतिमाह प्रति बच्चा। संतान शिक्षा भत्ता नर्सरी से कक्षा 12 तक के लिए देय होगा।

(ड) छात्रावास की सब्सिडी केवल पहले दो जीवित बच्चों के लिए 6750/- रु. प्रतिमाह प्रति बच्चा। छात्रावास की सब्सिडी नर्सरी से कक्षा 12 तक के लिए देय होगा।

(झ) सैन्य प्रशिक्षण के कारण उत्पन्न हुई अथवा बदतर हुई स्थिति के चलते चिकित्सा आधार पर अक्षम होने अथवा कैडेट (सीधी भर्ती) की मृत्यु हो जाने पर कैडेट (सीधी भर्ती)/निकटतम संबंधियों को निम्नानुसार आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी :

(I) अशक्तता के मामले में

(i) रु० 9000/- प्रतिमाह की दर से मासिक अनुग्रह राशि।

(ii) अशक्तता की अवधि के दौरान 100% अशक्तता के लिए रु० 16,200/- प्रतिमाह की दर से अशक्तता अनुग्रह राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी जो कि अशक्तता की डिग्री 100% से कम होने पर समानुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी। अशक्तता की डिग्री 20% से कम होने की स्थिति में कोई अशक्तता राशि देय नहीं होगी।

(iii) अशक्तता चिकित्सा बोर्ड (बी एम) की सिफारिश पर 100% अशक्तता के लिए रु० 6,750/- प्रतिमाह की दर से स्थाई परिचारक भत्ता(सीएए)।

(II) मृत्यु के मामले में

(i) निकटतम संबंधियों को 12.5 रु० लाख की अनुग्रह राशि

(ii) निकटतम संबंधियों को 9,000 रु० प्रतिमाह की दर से अनुग्रह राशि

(iii) कैडेटों (सीधी भर्ती)/ निकटतम संबंधियों को अनुग्रह राशि पूर्णतः अनुग्रह आधार पर स्वीकृत की जाएगी और इसे किसी भी उद्देश्य के लिए पेंशन नहीं माना जाएगा। तथापि, मासिक अनुग्रह राशि के साथ-साथ अनुग्रह अशक्तता राशि पर लागू दरों के अनुसार महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।

12. (क) सेना सामूहिक बीमा फंड प्री-कमीशन प्रशिक्षण यानी 3 साल के लिए ज्वाइनिंग की तारीख से कैडेट्स द्वारा रुपया 7,200/- के एक बार के गैर-वापसी योग्य प्रीमियम के भुगतान पर 15 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करता है। यदि किसी कैडेट को निर्वासित किया जाता है तो उससे निर्वासित अवधि के लिये 1355/- रु की दर से अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ेगा। अशक्तता के कारण जिन्हें अशक्तता चिकित्सा बोर्ड द्वारा से बाहर कर दिया जाता है

और जो किसी प्रकार की पेंशन के हकदार नहीं हैं, उन मामलों में 100% अशक्तता के लिए 15 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। अशक्तता के लिए इसे समानुपातिक रूप से कम करके रु 3,00,000/- 20% तक कर दिया जाएगा। तथापि, 20% से कम अशक्तता के लिए प्रशिक्षण के पहले दो वर्ष के लिए केवल रु 50,000/- का अनुग्रह अनुदान और प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के दौरान रु 1,00,000/- का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। मदिरापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न अशक्तता के लिए अशक्तता लाभ और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार पर अपना नाम वापस लेने वाले, अवांछनीय के तौर पर निष्कासित अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले कैडेट भी अशक्तता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। इस योजना में कोई बचत घटक नहीं है।

(ख) भारतीय सैन्य अकादमी में स्टाइपेंड प्राप्त कर रहे जेंटलमैन कैडेटों को नियमित अधिकारियों 75 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है। अशक्तता के कारण जिन्हें अशक्तता चिकित्सा बोर्ड द्वारा भारतीय सैन्य अकादमी से बाहर कर दिया जाता है, और वे किसी प्रकार की पेंशन के हकदार नहीं हैं, उन मामलों में 100% अशक्तता के लिए 25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। 20% अशक्तता के लिए इसे समानुपातिक रूप से कम करके 5 लाख रु दिया जाएगा। तथापि, 20% से कम अशक्तता के लिए केवल 50,000/- रु का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। मदिरापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न अशक्तता के लिए अशक्तता लाभ और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार पर अपना नाम वापस लेने वाले, अवांछनीय ठहराए जाने के कारण निष्कासित अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले जेंटलमैन कैडेट भी अशक्तता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। नियमित सेना अफसरों पर यथा लागू मुख्य सेना सामुहिक बीमा योजना के तहत सदस्य बनने के लिये जेंटलमैन कैडेटों को मासिक आधार पर अंशदान के रूप में 5,000/- रु की दर से अग्रिम भुगतान देना पड़ेगा। निर्वासन अवधि के लिये अंशदान की वसूली भी इसी दर से की जायेगी।

13. प्रोन्नति के अवसर:

क्रम सं.	सेना	नौसेना	वायु सेना	मूल पदोन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम संगणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
(क)	लेफ्टिनेंट	सब लेफ्टिनेंट	फ्लाईंग आफिसर	कमीशन प्राप्त होने पर
(ख)	कैप्टन	लेफ्टिनेंट	फ्लाइट लेफ्टिनेंट	02 वर्ष
(ग)	मेजर	लेफ्टिनेंट कमांडर	स्क्वाड्रन लीडर	06 वर्ष
(घ)	लेफ्टिनेंट कर्नल	कमांडर	विंग कमांडर	13 वर्ष
(च)	कर्नल (चयन)	कैप्टन (चयन)	ग्रुप कैप्टन(चयन)	चयन होने पर
(छ)	कर्नल (टाइम स्केल)	कैप्टन (टाइम स्केल)	ग्रुप कैप्टन (टाइम स्केल)	26 वर्ष
(ज)	ब्रिगेडियर	कमोडोर	एअर कमोडोर	चयन होने पर
(झ)	मेजर जनरल	रियर एडमिरल	एअर वाइस मार्शल	
(ट)	लेफ्टिनेंट जनरल	वाइस एडमिरल	एअर मार्शल	
(ठ)	जनरल	एडमिरल	एअर चीफ मार्शल	

14. सेवा निवृत्ति पर प्रदान किए जाने वाले लाभ

पेंशन, उपदान और कैजुअल्टी पेंशन संबंधी लाभ समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे।

15. छुट्टी

समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार छुट्टी स्वीकार्य होगी।

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2020

RULES

No. B/59501/Rtg/NDA Entry/17(2)/2020/DMA(AG-II).—The rules for a Competitive Examination National Defence Academy & Naval Academy Examination (I), 2021 to be held by Union Public Service Commission on 18th April, 2021, for admission to the Army, Navy and Air Force wings of the NDA for the 147th Course, and for the 109th Indian Naval Academy Course (INAC) commencing from 2nd January, 2022 are published.

The date of holding the examination as mentioned above is liable to be changed at the discretion of the Commission.

The approximate number of vacancies to be filled on the results of this examination will be as under:-

National Defence Academy	:	370 to include 208 for Army, 42 for Navy and 120 for Air Force (including 28 for Ground Duties)
Naval Academy (10+2 Cadet Entry Scheme)	:	30
Total	:	400

The number of vacancies given in the Commission's Examination Notice is provisional and may be changed depending on the availability of training capacity of National Defence Academy and Indian Naval Academy.

2. CONDITIONS OF ELIGIBILITY:**(a) Nationality : A candidate must be unmarried male and must be :**

- (i) a citizen of India, or
- (ii) a subject of Nepal, or
- (iii) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (ii) & (iii) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

(b) Age Limits, Sex and Marital Status:

Only unmarried male candidates born not earlier than **02nd July, 2002** and not later than **01st July, 2005** are eligible.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which must be certified by the proper authority of the University or in the Secondary School Examination or an equivalent examination certificates. These certificates are required to be submitted only after the declaration of the result of the written part of the examination. No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, service records and the like will be accepted. The expression Matriculation/ Secondary School Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

NOTE 1: Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/Secondary School Examination Certificate available or an equivalent certificate on the date of submission of applications will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

NOTE 2: Candidates should also note that once a date of birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently or at any subsequent examination on any ground whatsoever.

NOTE 3: The candidates should exercise due care while entering their date of birth in the respective column of the Online Application Form for the Examination. If on verification at any subsequent stage any

variation is found in their date of birth from the one entered in their Matriculation or equivalent Examination certificate, disciplinary action will be taken against them by the Commission under the Rules.

NOTE 4: The candidates should also note that no addition/deletion/any changes are allowed in online application form in the NDA & NA Examination in any circumstances once it is submitted.

NOTE 5: Candidates must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his application though successful at this or any subsequent Examination will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the Government.

(c) Educational Qualifications:

(i) For Army Wing of National Defence Academy :—12th Class pass of the 10+2 pattern of School Education or equivalent examination conducted by a State Education Board or a University.

(ii) For Air Force and Naval Wings of National Defence Academy and for the 10+2 Cadet Entry Scheme at the Indian Naval Academy :—12th Class pass with Physics, Chemistry and Mathematics of the 10+2 pattern of School Education or equivalent conducted by a State Education Board or a University.

Candidates who are appearing in the 12th Class under the 10+2 pattern of School Education or equivalent examination can also apply for this examination.

Such candidates who qualify the SSB interview but could not produce Matriculation/10+2 or equivalent certificate in original at the time of SSB interview should forward duly self attested Photocopies to 'Directorate General of Recruiting, Army HQ, West Block.III, R.K. Puram, New Delhi-110066' and for Naval Academy candidates to 'Naval Headquarters, DMPR, OI&R Section, Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhavan, New Delhi-110011' by **24th December, 2021** failing which their candidature will be cancelled. All other candidates who have produced their Matriculation and 10+2 pass or equivalent certificates in original at the time of attending the SSB interview and have got the same verified by the SSB authorities are not required to submit the same to Army HQ or Naval HQ as the case may be. Certificates in original issued by the Principals of the Institutions are also acceptable in cases where Boards/Universities have not yet issued certificates. Certified true copies/photostat copies of such certificates will not be accepted.

In exceptional cases the Commission may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE 1: Candidates appearing in the 11th class exam are not eligible for this examination.

NOTE 2: Those candidates who have yet to qualify in the 12th class or equivalent examination and are allowed to appear in the UPSC Examination should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing the 12th class or equivalent examination by the prescribed date (**i.e. 24th December, 2021**) and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of Board/University Examination, delay in declaration of results or any other ground whatsoever.

NOTE 3 : Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of Commission in the Defence Services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted, their candidature will be cancelled.

NOTE 4 : Those candidates, who have failed CPSS/PABT earlier, are now eligible for Air Force in Ground Duty branches if they fill their willingness in the Online Application Form available at the Commission's website.

(d) Physical Standards :

Candidates must be physically fit according to physical standards for admission to **National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), 2021** as per guidelines given in the Appendix-II.

(e) A candidate who has resigned or withdrawn on disciplinary grounds from any of the training academies of Armed Forces is not eligible to apply.

3. FEE

Candidates (excepting SC/ST candidates/Sons of JCOs/NCOs/ORs specified in the Commission's Notice) must pay the fee as prescribed in the Commission's Examination Notice.

The sons of serving/ex-Junior Commissioned Officers/Non-Commissioned Officers/Other Ranks of Army and equivalent ranks in the Indian Navy/Indian Air Force are also not required to pay the prescribed fee if they are studying in Military School (formerly known as King George's School)/Sainik School run by Sainik Schools Society.

A certificate of eligibility for fee exemption is required to be obtained by all such candidates from the Principals concerned individually and produced for verification at the time of SSB Test/Interview by the candidates who are declared qualified for the SSB Test/Interview.

4. All candidates whether already in Government Service including candidates serving in the Armed Forces, Sailors (including boys and artificers apprentices) of the Indian Navy, Cadets of Rashtriya Indian Military College (previously known as Sainik School, Dehradun), Students of Rashtriya Military Schools (formerly known as Military Schools) and Sainik Schools run by Sainik Schools Society, Government owned industrial undertakings or other similar organizations or in private employment should apply online direct to the Commission.

5. Persons already in Government Service, whether in permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under the Public Enterprises; (b) Candidates serving in the Armed Forces, Sailors (including boys and artificers apprentices) of the Indian Navy; and (c) Cadets of Rashtriya Indian Military College (previously known as Sainik School, Dehra Dun), Students of Military Schools formerly known as King George's Schools and Sainik Schools run by Sainik Schools Society are required to inform their Head of Office/Department, Commanding Officer, Principals of College/School concerned, as the case may be, in writing that they have applied for this examination.

Note :Candidates should note that in case a communication is received by the Commission from their employer/authority concerned withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

6. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of candidate for admission to the examination shall be final.

The candidate applying for the examination should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission to the examination. Their admission to the all the stages of the examination will be purely provisional subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after any stage of the examination, it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions their candidature will be cancelled by the Commission.

7. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission for the examination.

8. All the candidates who have successfully qualified in the written examination are required to register themselves online on Directorate General of Recruiting website www.joinindianarmy.nic.in. with the same E-mail ID as provided to UPSC while filling UPSC online application. Candidates must ensure that their e-mail Ids given in their online applications are valid and active. These candidates would then be allotted Selection Centres through the aforesaid website. In case of any problems/queries, candidates should contact Directorate General of Recruiting on the telephone numbers given on their website or through feedback / query module after logging on to their profile.

CANDIDATES WHO HAVE PASSED WRITTEN TEST ARE NOT REQUIRED TO SUBMIT THEIR ORIGINAL CERTIFICATE OF AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION EITHER TO DIRECTORATE GENERAL OF RECRUITING, ARMY HQ, WEST BLOCK-III, RK PURAM, NEW DELHI-110066 OR TO NAVAL HEADQUARTERS, DMPR, OI&R SECTION, 'C' WING, SENA BHAWAN, NEW DELHI-110011.

ALL CANDIDATES CALLED FOR INTERVIEW MUST CARRY THEIR ORIGINAL MATRICULATION CERTIFICATE OR EQUIVALENT EXAMINATION CERTIFICATE TO THE

SERVICES SELECTION BOARD (SSB). ORIGINALS WILL HAVE TO BE PRODUCED BY THE CANDIDATES WHO QUALIFY AT THE SSB INTERVIEW SOON AFTER THE INTERVIEW. THE ORIGINALS WILL BE RETURNED AFTER VERIFICATION. THOSE CANDIDATES WHO HAVE ALREADY PASSED 10+2 EXAMINATION MUST CARRY THEIR ORIGINAL 10+2 PASS CERTIFICATE OR MARKS SHEET FOR THE SSB INTERVIEW.

IF ANY OF THEIR CLAIMS IS FOUND TO BE INCORRECT THEY MAY RENDER THEMSELVES LIABLE TO DISCIPLINARY ACTION BY THE COMMISSION IN TERMS OF THE FOLLOWING PROVISIONS:

9. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :-

(i) Obtaining support for his candidature by the following means, namely :—

- (a) offering illegal gratification to; or
- (b) applying pressure on; or
- (c) blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination; or

(ii) impersonation; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) uploading irrelevant photos in the application form in place of actual photo/signature.

(vi) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or

(vii) resorting to the following means in connection with his candidature for the examination, namely :—

- (a) obtaining copy of question paper through improper means;
- (b) finding out the particulars of the persons connected with secret work relating to the examination;
- (c) influencing the examiners; or

(viii) being in possession of or using unfair means during the examination; or

(ix) writing obscene matter or drawing obscene sketches or irrelevant matter in the scripts; or

(x) misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or

(xi) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xii) being in possession of or using any mobile phone, (even in switched off mode), pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or bluetooth devices or any other equipment or related accessories either in working or switched off mode capable of being used as a communication device during the examination; or

(xiii) violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificates permitting them to take the examination; or

(xiv) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the Examination for which he is a candidate; and/or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

- (c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules :

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after :—

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

9.1 Any person who is found by the Commission to be guilty of colluding with a candidate (s) in committing or abetting the commission of any of the misdeeds listed at Clauses (i) to (xiii) above render himself liable to action in terms of the Clause (xiv).

10. TRAVELLING ALLOWANCE:

Candidates appearing for SSB interview for the first time for a particular type of Commission i.e. Permanent or Short Service, shall be entitled for AC III Tier to and fro railway fare or bus fare including reservation cum sleeper charges within the Indian limits. Candidates who apply again for the same type of Commission will not be entitled to travelling allowance on any subsequent occasion.

11. CORRESPONDENCE WITH THE ARMY/NAVY/AIR FORCE HEADQUARTERS:

All Communications to the ARMY/NAVY/AIR HEADQUARTERS should invariably contain the following particulars.

1. Name and year of the examination.
2. Registration ID (RID).
3. Roll Number (if received).
4. Name of candidate (in full and in block letters).
5. Postal Address as given in the application.

N.B. (i) : Communications not containing the above particulars may not be attended to.

N.B. (ii) : If a letter/communication is received from a candidate after an examination has been held and it does not give his full name and roll number, it will be ignored and no action will be taken thereon. Candidates recommended by the Commission for interview by the Services Selection Board who have changed their addresses subsequent to the submission of their applications for the examination should immediately after announcement of the result of the written part of the examination notify the changed address also to :—

For candidates with Army as first choice—Army Headquarters, A.G's Branch, RTG (NDA Entry), West Block-III, Wing-1, R. K. Puram, New Delhi-110066, Phone No. 26175473.

For candidates with Navy/Naval Academy as first choice— Naval Headquarters, Directorate of Manpower & Recruitment, OI&R Section, R. No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011, Phone No. 23010097/23011282.

For candidates with Air Force as first choice—Air Headquarters, Directorate of Personnel (Officers), PO 3 (A), Room No. 17, 'J' Block, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110106, Phone No. 23010231 Extn. 7645/7646/7610.

FAILURE TO COMPLY WITH THIS INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CANDIDATE OF ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THE EVENT OF HIS NOT RECEIVING THE SUMMONS LETTER FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD.

AFTER HAVING CLEARED THE WRITTEN EXAMINATION THE CANDIDATES SHOULD LOG ON TO THE FOLLOWING WEBSITES FOR THEIR SSB CENTRE & DATE OF INTERVIEW :-

www.joinindianarmy.nic.in

www.joinindiannavy.gov.in

www.careerindianairforce.cdac.in

Candidates whose names have been recommended for interview by the Services Selection Board should address enquiries or requests, if any, relating to their interview or visit website of respective service headquarters after 20 days from the announcement of written results as follows :—

For candidates with Army as first choice—Army Headquarters, AG's Branch, RTG (NDA Entry), West Block-III, Wing-1, R.K. Puram, New Delhi – 110 066, Phone No. 26175473 or www.joinindianarmy.nic.in

For candidates with Navy/Naval Academy as first choice—Naval Headquarters, Directorate of Manpower & Recruitment, O.I. & R. Section, Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhavan, New Delhi-110011, Phone No. 23010097 Email : officer-navy@nic.in or www.joinindiannavy.gov.in

For candidates with Air Force as first choice—Air Headquarters, Directorate of Personnel (Officers), PO 3 (A), Room No. 17, 'J' Block, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110106, Phone No. 23010231 Extn. **7645/7646/7610** or www.careerindianairforce.cdac.in

Candidates are required to report for SSB interview on the date intimated to them in the call up letter for interview. Requests for postponing interview will only be

considered in exceptional circumstances and that too if it is administratively convenient for which Army Headquarters will be the sole deciding authority. Such requests should be addressed to the Administrative Officer of the Selection Centre from where the call letter for interview has been received. No action will be taken on letters received by Army/Navy/Air HQs. SSB interview for the candidates qualified in the written examination will be held during the months of **July 2021 to September 2021** or as suitable to Recruiting Directorate. For all queries regarding Merit list, joining instructions and any other relevant information regarding selection process, please visit website www.joinindianarmy.nic.in.

12. ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION, INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSES OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES:

The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission at their discretion. Such candidates shall appear before a Services Selection Board for Intelligence and Personality Test where candidates for the Army/Navy wings of the NDA and 10+2 Cadet Entry Scheme of Indian Naval Academy will be assessed on Officers Potentiality and those for the Air Force in addition to the above will have to qualify Computerised Pilot Selection System (CPSS). Candidates with Air Force as one of the choice would also undergo CPSS if they qualify SSB and are willing.

13. TWO-STAGE SELECTION PROCEDURE

Two-stage selection procedure based on Psychological Aptitude Test and Intelligence Test has been introduced at Selection Centres/Air Force Selection Boards/Naval Selection Boards. All the candidates will be put to stage-one test on first day of reporting at Selection Centres/Air Force Selection Boards/Naval Selection Boards. Only those candidates who qualify at stage one will be admitted to the second stage/remaining tests. Those candidates who qualify stage II will be required to submit the Original Certificates along with one photocopy each of : (i) Original Matriculation pass certificate or equivalent in support of date of birth, (ii) Original 10+2 pass certificate or equivalent in support of educational qualification.

Candidates who appear before the Services Selection Board and undergo the test there, will do so at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or other relief from Government in respect

of any injury which they may sustain in the course of or as a result of any of the tests given to them at the Services Selection Board whether due to the negligence of any person or otherwise. Parents or guardians of the candidates will be required to sign a certificate to this effect.

To be acceptable, candidates for the Army/Navy/Naval Academy and Air Force should secure the minimum qualifying marks separately in (i) Written examination as fixed by the Commission at their discretion and (ii) Officer Potentiality Test as fixed by the Services Selection Board at their discretion. Over and above candidates for the Air Force, and all the SSB qualified candidates as per their willingness, eligibility and preference for flying branch of Air Force, should separately qualify the CPSS.

Subject to these conditions the qualified candidates will then be placed in a single combined list on the basis of total marks secured by them in the Written Examination and the Services Selection Board Tests. The final allocation/selection for admission to the Army, Navy, Air Force of the National Defence Academy and 10+2 Cadet Entry Scheme of Indian Naval Academy will be made upto the number of vacancies available subject to eligibility, medical fitness and merit-cum-preference of the candidates. The candidates who are eligible to be admitted to multiple Services/Courses will be considered for allocation/selection with reference to their order or preferences and in the event of their final allocation/ selection to one Service/Course, they will not be considered for admission to other remaining Services/Courses.

N.B.: EVERY CANDIDATE FOR THE FLYING BRANCH OF AIR FORCE IS GIVEN COMPUTERISED PILOT SELECTION SYSTEM (CPSS) (PILOT APTITUDE TEST) ONLY ONCE. THE GRADES SECURED BY HIM AT THE FIRST TEST WILL THEREFORE HOLD GOOD FOR EVERY SUBSEQUENT INTERVIEW HE HAS WITH THE AIR FORCE SELECTION BOARD. A CANDIDATE WHO FAILS IN THE CPSS CANNOT APPLY FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY EXAMINATION FOR THE FLYING BRANCH OF AIR FORCE WING OR GENERAL DUTIES (PILOT) BRANCH OR NAVAL AIR ARM.

Candidates who have been given the Computerised Pilot Selection System (CPSS) for any previous N.D.A. course should submit their application for this examination for the Air Force Wing only if they have been notified as having qualified in CPSS. In case a candidate has failed in CPSS/not tested for CPSS for being HWG, the candidate would be considered for Ground Duty branch of IAF, Navy, Army and NAVAC as per his choices.

The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission at their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

Success in the examination confers no right of admission to the Academy. A candidate must satisfy the appointing authority that he is suitable in all respects for admission to the Academy.

14. DISQUALIFICATION FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE:

Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy, or to the 10 + 2 Cadet Entry Scheme of Indian Naval Academy but were removed therefrom for lack of officer-like qualities or on disciplinary grounds will not be admitted to the Academy.

Candidates who were previously withdrawn from the National Defence Academy or Indian Naval Academy on medical grounds or left the above Academy voluntarily are however, eligible for admission to the Academy provided they satisfy the medical and other prescribed conditions.

15. The details regarding (a) the scheme and syllabus of the examination, (b) Physical standards for admission to the National Defence Academy and Naval Academy and (c) Brief particulars of the service etc., for candidates joining the National Defence Academy and Naval Academy are given in Appendices I, II and III respectively.

Major General K. NARAYANAN, Jt. Secy.

APPENDIX-I**(The Scheme and Syllabus of Examination)****A. SCHEME OF EXAMINATION**

1. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows :—

Subject	Code	Duration	Maximum Marks
Mathematics	01	2½ Hours	300
General Ability Test	02	2½ Hours	600
Total			900
SSB Test/Interview :			900

2. THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CONSIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY. THE QUESTION PAPERS (TEST BOOKLETS) OF MATHEMATICS AND PART “B” OF GENERAL ABILITY TEST WILL BE SET BILINGUALLY IN HINDI AS WELL AS ENGLISH.

3. In the question papers, wherever necessary, questions involving the metric system of Weights and Measures only will be set.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

6. The candidates are not permitted to use calculator or Mathematical or logarithmic table for answering objective type papers (Test Booklets). They should not therefore, bring the same inside the Examination Hall.

B. SYLLABUS OF THE EXAMINATION**PAPER-I****MATHEMATICS****(Code No. 01)****(Maximum Marks-300)****1. ALGEBRA**

Concept of set, operations on sets, Venn diagrams. De Morgan laws, Cartesian product, relation, equivalence relation.

Representation of real numbers on a line. Complex numbers—basic properties, modulus, argument, cube roots of unity. Binary system of numbers. Conversion of a number in decimal system to binary system and vice-versa. Arithmetic, Geometric and Harmonic progressions. Quadratic equations with real coefficients. Solution of linear inequations of two variables by graphs. Permutation and Combination. Binomial theorem and its applications. Logarithms and their applications.

2. MATRICES AND DETERMINANTS :

Types of matrices, operations on matrices. Determinant of a matrix, basic properties of determinants. Adjoint and inverse of a square matrix, Applications—Solution of a system of linear equations in two or three unknowns by Cramer’s rule and by Matrix Method.

3. TRIGONOMETRY :

Angles and their measures in degrees and in radians. Trigonometrical ratios. Trigonometric identities. Sum and difference formulae. Multiple and Sub-multiple angles. Inverse trigonometric functions. Applications—Height and distance, properties of triangles.

4. ANALYTICAL GEOMETRY OF TWO AND THREE DIMENSIONS:

Rectangular Cartesian Coordinate system. Distance formula. Equation of a line in various forms. Angle between two lines. Distance of a point from a line. Equation of a circle in standard and in general form. Standard forms of parabola, ellipse and hyperbola. Eccentricity and axis of a conic. Point in a three dimensional space, distance between two points. Direction Cosines and direction ratios. Equation two points. Direction Cosines and direction ratios. Equation of a plane and a line in various forms. Angle between two lines and angle between two planes. Equation of a sphere.

5. DIFFERENTIAL CALCULUS :

Concept of a real valued function—domain, range and graph of a function. Composite functions, one to one, onto and inverse functions. Notion of limit, Standard limits—examples. Continuity of functions—examples, algebraic operations on continuous functions. Derivative of function at a point, geometrical and physical interpretation of a derivative—applications. Derivatives of sum, product and quotient of functions, derivative of a function with respect to another function, derivative of a composite function. Second order derivatives. Increasing and decreasing functions. Application of derivatives in problems of maxima and minima.

6. INTEGRAL CALCULUS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS :

Integration as inverse of differentiation, integration by substitution and by parts, standard integrals involving algebraic expressions, trigonometric, exponential and hyperbolic functions. Evaluation of definite integrals—determination of areas of plane regions bounded by curves—applications.

Definition of order and degree of a differential equation, formation of a differential equation by examples. General and particular solution of a differential equations, solution of first order and first degree differential equations of various types—examples. Application in problems of growth and decay.

7. VECTOR ALGEBRA :

Vectors in two and three dimensions, magnitude and direction of a vector. Unit and null vectors, addition of vectors, scalar multiplication of a vector, scalar product or dot product of two vectors. Vector product or cross product of two vectors. Applications—work done by a force and moment of a force and in geometrical problems.

8. STATISTICS AND PROBABILITY :

Statistics : Classification of data, Frequency distribution, cumulative frequency distribution—examples. Graphical representation—Histogram, Pie Chart, frequency polygon—examples. Measures of Central tendency—Mean, median and mode. Variance and standard deviation—determination and comparison. Correlation and regression.

Probability : Random experiment, outcomes and associated sample space, events, mutually exclusive and exhaustive events, impossible and certain events. Union and Intersection of events. Complementary, elementary and composite events. Definition of probability—classical and statistical—examples. Elementary theorems on probability—simple problems. Conditional probability, Bayes' theorem—simple problems. Random variable as function on a sample space. Binomial distribution, examples of random experiments giving rise to Binominal distribution.

PAPER-II**GENERAL ABILITY TEST****(Code No. 02)****(Maximum Marks—600)****Part 'A'—ENGLISH****(Maximum Marks—200)**

The question paper in English will be designed to test the candidate's understanding of English and workman like use of words. The syllabus covers various aspects like : Grammar and usage, vocabulary, comprehension and cohesion in extended text to test the candidate's proficiency in English.

Part 'B'—GENERAL KNOWLEDGE**(Maximum Marks—400)**

The question paper on General Knowledge will broadly cover the subjects : Physics, Chemistry, General Science, Social Studies, Geography and Current Events.

- The syllabus given below is designed to indicate the scope of these subjects included in this paper. The topics mentioned are not to be regarded as exhaustive and questions on topics of similar nature not specifically mentioned in the syllabus may also be asked. Candidate's answers are expected to show their knowledge and intelligent understanding of the subject.

Section 'A' (Physics)

Physical Properties and States of Matter, Mass, Weight, Volume, Density and Specific Gravity, Principle of Archimedes, Pressure Barometer.

Motion of objects, Velocity and Acceleration, Newton's Laws of Motion, Force and Momentum, Parallelogram of Forces, Stability and Equilibrium of bodies, Gravitation, elementary ideas of work, Power and Energy.

Effects of Heat, Measurement of Temperature and Heat, change of State and Latent Heat, Modes of transference of Heat.

Sound waves and their properties, Simple musical instruments.

Rectilinear propagation of Light, Reflection and refraction. Spherical mirrors and Lenses, Human Eye.

Natural and Artificial Magnets, Properties of a Magnet, Earth as a Magnet.

Static and Current Electricity, conductors and Non-conductors, Ohm's Law, Simple Electrical Circuits, Heating, Lighting and Magnetic effects of Current, Measurement of Electrical Power, Primary and Secondary Cells, Use of X-Rays.

General Principles in the working of the following:

Simple Pendulum, Simple Pulleys, Siphon, Levers, Balloon, Pumps, Hydrometer, Pressure Cooker, Thermos Flask, Gramophone, Telegraphs, Telephone, Periscope, Telescope, Microscope, Mariner's Compass; Lightning Conductors, Safety Fuses.

Section 'B' (Chemistry)

Physical and Chemical changes. Elements, Mixtures and Compounds, Symbols, Formulae and simple Chemical Equations, Law of Chemical Combination (excluding problems). Properties of Air and Water.

Preparation and Properties of Hydrogen, Oxygen, Nitrogen and Carbondioxide, Oxidation and Reduction.

Acids, bases and salts.

Carbon—different forms.

Fertilizers—Natural and Artificial.

Material used in the preparation of substances like Soap, Glass, Ink, Paper, Cement, Paints, Safety Matches and Gun-Powder

Elementary ideas about the structure of Atom, Atomic Equivalent and Molecular Weights, Valency.

Section 'C' (General Science)

Difference between the living and non-living.

Basis of Life—Cells, Protoplasm and Tissues.

Growth and Reproduction in Plants and Animals.

Elementary knowledge of Human Body and its important organs.

Common Epidemics, their causes and prevention.

Food—Source of Energy for man. Constituents of food, Balanced Diet.

The Solar System—Meteors and Comets, Eclipses.

Achievements of Eminent Scientists.

Section 'D' (History, Freedom Movement etc.)

A broad survey of Indian History, with emphasis on Culture and Civilisation.

Freedom Movement in India.

Elementary study of Indian Constitution and Administration.

Elementary knowledge of Five Year Plans of India.

Panchayati Raj, Co-operatives and Community Development.

Bhoodan, Sarvodaya, National Integration and Welfare State, Basic Teachings of Mahatma Gandhi.

Forces shaping the modern world; Renaissance, Exploration and Discovery; War of American Independence. French Revolution, Industrial Revolution and Russian Revolution. Impact of Science and Technology on Society. Concept of one World, United Nations, Panchsheel, Democracy, Socialism and Communism. Role of India in the present world.

Section 'E' (Geography)

The Earth, its shape and size. Latitudes and Longitudes, Concept of time. International Date Line. Movements of Earth and their effects.

Origin of Earth. Rocks and their classification; Weathering—Mechanical and Chemical, Earthquakes and Volcanoes.

Ocean Currents and Tides.

Atmosphere and its composition; Temperature and Atmospheric Pressure, Planetary Winds, Cyclones and Anti-cyclones; Humidity; Condensation and Precipitation; Types of Climate, Major Natural regions of the World.

Regional Geography of India—Climate, Natural vegetation. Mineral and Power resources; location and distribution of agricultural and Industrial activities.

Important Sea ports and main sea, land and air routes of India. Main items of Imports and Exports of India.

Section 'F' (Current Events)

Knowledge of Important events that have happened in India in the recent years.

Current important world events.

Prominent personalities—both Indian and International including those connected with cultural activities and sports.

NOTE : Out of maximum marks assigned to part 'B' of this paper, questions on Sections 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' and 'F' will carry approximately 25%, 15%, 10%, 20%, 20% and 10% weightages respectively.

Intelligence and Personality Test

The SSB procedure consists of two stage Selection process - stage I and stage II. Only those candidates who clear the stage I are permitted to appear for stage II. The details are :

(a) Stage I comprises of Officer Intelligence Rating (OIR) tests are Picture Perception and Description Test (PP&DT). The candidates will be shortlisted based on combination of performance in OIR Test and PP&DT.

(b) Stage II Comprises of Interview, Group Testing Officer Tasks, Psychology Tests and the Conference. These tests are conducted over 4 days. The details of these tests are given on the website www.joinindianarmy.nic.in.

The personality of a candidate is assessed by three different assessors viz. The Interviewing Officer (IO), Group Testing Officer (GTO) and the Psychologist. There are no separate weightage for each test. The marks are allotted by assessors only after taking into consideration the performance of the candidate holistically in all the tests. In addition, marks for Conference are also allotted based on the initial performance of the Candidate in the three techniques and decision of the Board. All these have equal weightage.

The various tests of IO, GTO and Psych are designed to bring out the presence/absence of Officer Like Qualities and their trainability in a candidate. Accordingly candidates are Recommended or Not Recommended at the SSB.

APPENDIX-II**GUIDELINES FOR PHYSICAL STANDARDS FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY.**

NOTE : CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY AND MENTALLY FIT ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL STANDARDS. MEDICAL FITNESS CRITERIA GIVEN BELOW ARE AS PER EXISTING GUIDELINES AS ON DATE OF PUBLICATION AND THESE GUIDELINES ARE SUBJECT TO REVISION.

A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS. CANDIDATES ARE THEREFORE ADVISED IN THEIR OWN INTEREST TO GET THEMSELVES MEDICALLY

EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICATIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL STAGE.

1. Candidates are also advised to rectify minor defects/ailments in order to speed up finalisation of medical examination conducted at the Military Hospital after being recommended at the SSB.
2. Few of such commonly found defects/ailments are listed below:
 - (a) Wax (Ears)
 - (b) Deviated Nasal Septum
 - (c) Hydrocele/Phimosis
 - (d) Overweight/Underweight
 - (e) Under Sized Chest
 - (f) Piles
 - (g) Gynaecomastia
 - (h) Tonsillitis
 - (i) Varicocele

NOTE: Permanent body tattoos are only permitted on inner face of forearm i.e. from inside of elbow to the wrist and on the reverse side of palm/back (dorsal) side of hand/Permanent body tattoos on any other part of the body are not acceptable and candidates will be barred from further selection. Tribes with tattoo marks on the face or body as per their existing custom and traditions will be permitted on a case to case basis. Comdt Selection Centre will be competent authority for clearing such cases.

3. Civilian candidates appearing for all types of commission in the Armed Forces will be entitled to out-patients treatment from service sources at public expense for injuries sustained or diseases contracted during the course of their examination by the Selection Board. They will also be entitled to in-patient treatment at public expense in the Officer's ward of a hospital provided—

- (a) the injury is sustained during the tests or,
- (b) the disease is contracted during the course of the examination by selection board and there is no suitable accommodation in local civil hospital or it is impracticable to remove the patient to the civil hospital; or,
- (c) the medical board requires the candidate's admission for observation.

NOTE: They are not entitled to special nursing.

4. Medical Procedure

A candidate recommended by the Services Selection Board will undergo a medical examination by a Board of Service Medical Officers. Only those candidates will be admitted to the academy who are declared fit by the Medical Board. The proceedings of the Medical Board are confidential and will not be divulged to anyone. However, the candidates declared unfit will be intimated by the President of the Medical Board and the procedure for request for an Appeal Medical Board will also be intimated to the candidate.

5. Candidates declared unfit during Appeal Medical Board will be intimated about the provision of Review Medical Board.

6. Medical Standards and procedure for Army, Navy and Air Force (Flying Branch and Ground Duty Branch) are given in Annexure 'A'. Annexure 'B' and Annexure 'C' respectively, which is also available at following websites:-

- (i) For Officers Entry into Army : Medical Standards and Procedure of Medical Examination at www.joinindianarmy.nic.in
- (ii) For Officers Entry for Air Force (flying & Ground duty branches) : Medical Standards and Procedure of Medical Examination at www.careerindianairforce.cdac.in
- (iii) For Officers Entry for Navy : Medical Standards and Medical Examination at www.joinindiannavy.gov.in

Note : The proceedings of the Medical Board are confidential will not be divulged to anyone. Directorate General of Recruiting has no role to play in any Medical Boards and procedure advised by the Competent medical authorities will be strictly adhered.

Annexure -A**MEDICAL STANDARDS AND PROCEDURE OF MEDICAL EXAMINATION FOR OFFICER ENTRIES INTO ARMY****1. Introduction:**

(a) The primary responsibility of the Armed Forces is defending territorial integrity of the nation. For this purpose Armed Forces should always be prepared for war. Armed Forces personnel undergo rigorous training in preparation for war. Armed Forces also assist civil authorities if required whenever the need arises like in the case of disasters. To carry out such tasks Armed Forces requires candidates with robust mental and physical health. Such candidates should also be capable of withstanding rigorous stress and strain of service conditions to perform their military duties in adverse terrain and uncongenial climate including sea and air, in remote areas, in austere conditions with no medical facilities. A medically unfit individual due to disease/disability can not only drain precious resources but can also jeopardize lives of other members of the team during operations. Therefore only medically fit candidates are selected who emerge fit to be trained for war.

- (b) The Armed Forces Medical Services are responsible for ensuring selection of '**Medically Fit**' individuals into the Armed Forces.
- (c) All Armed Forces personnel regardless of occupational specialty, unit assignment, age or gender should have a basic level of general '**Medical fitness**' when inducted into service. This basic level of fitness can then be used as a benchmark to train personnel for further physically demanding occupational specialties or unit assignments. This will enhance deployable combat readiness.
- (d) Medical examinations are carried out meticulously by Armed Forces Medical Services Medical Officers. These Medical Officers are well oriented to specific working conditions of Armed Forces after undergoing basic military training. Medical examinations are finalized by the Board of Medical Officers. **The decision of the Medical Board is final. In case of any doubt about any disease/disability/ injury/genetic disorder etc. noticed during enrolment/ commissioning, the benefit of doubt will be given to State.**

Medical Standards.

2. Medical standards described in the following paragraphs are general guidelines. They are not exhaustive in view of the vast knowledge of disease. These standards are subject to change with advancement in the scientific knowledge and change in working conditions of Armed Forces due to introduction of new eqpt/trades. Such changes will be promulgated from time to time by policy letters by competent authorities. Medical Officers, Special Medical Officers and Medical Boards will take appropriate decisions based on following guidelines and principles.

3. **To be deemed 'Medically fit', a candidate must be in good physical and mental health and free from any disease/syndrome/disability likely to interfere with the efficient performance of military duties in any terrain, climate, season including sea and air, in remote areas, in austere conditions with no medical aid. Candidate also should be free of medical conditions which require frequent visit to medical facilities and use of any aid / drugs.**

- (a) It will, however, be ensured that candidate is in good health. There should be no evidence of weak constitution, imperfect development of any system, any congenital deformities/ diseases/syndrome or malformation.
- (b) No swelling/s including tumours/cyst/swollen lymph node/s anywhere on the body. No sinus/es or fistula/e anywhere on the body.
- (c) No hyper or hypo pigmentation or any other disease/syndrome/disability of the skin.
- (d) No hernia anywhere on the body.
- (e) No scars which can impair the functioning and cause significant disfigurement.
- (f) No arterio-venous malformation anywhere in/on the body.
- (g) No malformation of the head and face including asymmetry, deformity from fracture or depression of the bones of the skull; or scars indicating old operative interference and malformation like sinuses and fistulae etc.
- (h) No impairment of vision including colour perception and field of vision.
- (j) No hearing impairment, deformities/disabilities in ears vestibule-cochlear system.
- (k) No impediment of speech due to any aetiology.

- (l) No disease/disability/ congenital anomaly/syndrome of the bones or cartilages of the nose, or palate, nasal polyps or disease of the naso-Pharynx, uvula and accessory sinuses. There should be no nasal deformity and no features of chronic tonsillitis.
 - (m) No disease /syndrome/disability of the throat, palate tonsils or gums or any disease or injury affecting the normal function of either mandibular joint.
 - (n) No disease /syndrome/disability of the heart and blood vessels including congenital, genetic, organic including hypertension, and conduction disorders.
 - (o) No evidence of pulmonary tuberculosis or previous history of this disease or any other disease/syndrome/disability chronic disease of the lungs and chest including allergies/immunological conditions, connective tissue disorders, musculoskeletal deformities of chest.
 - (p) No disease of the digestive system including any abnormality of the liver, pancreas including endocrinal, congenital, hereditary or genetic diseases /syndromes and disabilities.
 - (q) No diseases/syndrome/disability of any endocrinal system, reticuloendothelial system.
 - (r) No diseases/ syndrome/ disability of genito-urinary system including malformations, atrophy/hypertrophy of any organ or gland.
 - (s) No active, latent or congenital venereal disease.
 - (t) No history or evidence of mental disease, epilepsy, incontinence of urine or enuresis.
 - (u) No disease/deformity/syndrome of musculo-skeletal system and joints including skull, spine and limbs.
 - (v) There is no congenital or hereditary disease/ syndrome/disability.
4. Psychological examinations will be carried out during SSB selection procedure. However, any abnormal traits noticed during medical examination will be a cause for rejection.
5. Based on the above mentioned guidelines usual medical conditions which lead to rejection are:-
- (a) Musculo-skeletal deformities of spine, chest and pelvis, limbs e.g. scoliosis, torticollis, kyphosis, deformities of vertebrae, ribs, sternum, clavicle, other bones of skeleton, mal-united fractures, deformed limbs, fingers, toes and congenital deformities of spine.
 - (b) Deformities of Limbs: Deformed limbs, toes and fingers, deformed joints like cubitus valgus, cubitus varus, knock knees, bow legs, hyper mobile joints, amputated toes or fingers and shortened limbs.
 - (c) Vision and eye: Myopia, hypermetropia, astigmatism, lesions of cornea, lens, retina, squint and ptosis.
 - (d) Hearing, ears, nose and throat: Sub standard hearing capability, lesions of pinna, tympanic membranes, middle ear, deviated nasal septum, and congenital abnormalities of lips, palate, peri-auricular sinuses and lymphadenitis/ adenopathy of neck. Hearing capacity should be 610 cm for Conversational Voice and Forced Whispering for each ear.
 - (e) Dental conditions:-
 - (i) Incipient pathological conditions of the jaws, which are known to be progressive or recurrent.
 - (ii) Significant jaw discrepancies between upper and lower jaw which may hamper efficient mastication and/or speech will be a cause for rejection.
 - (iii) Symptomatic Temporo-Mandibular Joint clicking and tenderness. A mouth opening of less than 30 mm measured at the incisal edges, Dislocation of the TMJ on wide opening.
 - (iv) All potentially cancerous conditions.
 - (v) Clinical diagnosis for sub mucous fibrosis with or without restriction of mouth opening.
 - (vi) Poor oral health status in the form of gross visible calculus, periodontal pockets and/or bleeding from gums.
 - (vii) Loose teeth: More than two mobile teeth will render the candidate unfit.
 - (viii) Cosmetic or post-traumatic maxillofacial surgery/trauma will be UNFIT for at least 24 weeks from the date of surgery/injury whichever is later.
 - (ix) If malocclusion of teeth is hampering efficient mastication, maintenance of oral hygiene or general nutrition or performance of duties efficiently.

- (f) Chest: Tuberculosis, or evidence of tuberculosis, lesions of lungs, heart, musculo skeletal lesions of chest wall.
- (g) Abdomen and genitor-urinary system: Hernia, un-descended testis, varicocele, organomegaly, solitary kidney, horseshoe kidney & cysts in the kidney/liver, Gall bladder stones, renal and ureteric stones, lesions/deformities of urogenital organs, piles, sinuses and lymphadenitis/pathy.
- (h) Nervous system: Tremors, speech impediment and imbalance.
- (j) Skin: Vitiligo, haemangiomas, warts, corns, dermatitis, skin infections growths and hyperhydrosis.

6. **Height and Weight:** Height requirement varies as per the stream of entry. Weight should be proportionate to height as per the chart given below:-

Age (Years)	Minimum weight for all ages	Age: 17 to 20 Years	Age: 20+01 day - 30 Years	Age: 30 + 01 day - 40 Years	Age: Above 40 Years
Height (cm)	Weight (Kg)	Weight (Kg)	Weight (Kg)	Weight (Kg)	Weight (Kg)
140	35.3	43.1	45.1	47.0	49.0
141	35.8	43.7	45.7	47.7	49.7
142	36.3	44.4	46.4	48.4	50.4
143	36.8	45.0	47.0	49.1	51.1
144	37.3	45.6	47.7	49.8	51.8
145	37.8	46.3	48.4	50.5	52.6
146	38.4	46.9	49.0	51.2	53.3
147	38.9	47.5	49.7	51.9	54.0
148	39.4	48.2	50.4	52.6	54.8
149	40.0	48.8	51.1	53.3	55.5
150	40.5	49.5	51.8	54.0	56.3
151	41.0	50.2	52.4	54.7	57.0
152	41.6	50.8	53.1	55.4	57.8
153	42.1	51.5	53.8	56.2	58.5
154	42.7	52.2	54.5	56.9	59.3
155	43.2	52.9	55.3	57.7	60.1
156	43.8	53.5	56.0	58.4	60.8
157	44.4	54.2	56.7	59.2	61.6
158	44.9	54.9	57.4	59.9	62.4
159	45.5	55.6	58.1	60.7	63.2
160	46.1	56.3	58.9	61.4	64.0
161	46.7	57.0	59.6	62.2	64.8
162	47.2	57.7	60.4	63.0	65.6
163	47.8	58.5	61.1	63.8	66.4
164	48.4	59.2	61.9	64.6	67.2
165	49.0	59.9	62.6	65.3	68.1
166	49.6	60.6	63.4	66.1	68.9

167	50.2	61.4	64.1	66.9	69.7
168	50.8	62.1	64.9	67.7	70.6
169	51.4	62.8	65.7	68.5	71.4
170	52.0	63.6	66.5	69.4	72.3
171	52.6	64.3	67.3	70.2	73.1
172	53.3	65.1	68.0	71.0	74.0
173	53.9	65.8	68.8	71.8	74.8
174	54.5	66.6	69.6	72.7	75.7
175	55.1	67.4	70.4	73.5	76.6
176	55.8	68.1	71.2	74.3	77.4
177	56.4	68.9	72.1	75.2	78.3
178	57.0	69.7	72.9	76.0	79.2
179	57.7	70.5	73.7	76.9	80.1
180	58.3	71.3	74.5	77.8	81.0
181	59.0	72.1	75.4	78.6	81.9
182	59.6	72.9	76.2	79.5	82.8
183	60.3	73.7	77.0	80.4	83.7
184	60.9	74.5	77.9	81.3	84.6
185	61.6	75.3	78.7	82.1	85.6
186	62.3	76.1	79.6	83.0	86.5
187	62.9	76.9	80.4	83.9	87.4
188	63.6	77.8	81.3	84.8	88.4
189	64.3	78.6	82.2	85.7	89.3
190	65.0	79.4	83.0	86.6	90.3
191	65.7	80.3	83.9	87.6	91.2
192	66.4	81.1	84.8	88.5	92.2
193	67.0	81.9	85.7	89.4	93.1
194	67.7	82.8	86.6	90.3	94.1
195	68.4	83.7	87.5	91.3	95.1
196	69.1	84.5	88.4	92.2	96.0
197	69.9	85.4	89.3	93.1	97.0
198	70.6	86.2	90.2	94.1	98.0
199	71.3	87.1	91.1	95.0	99.0
200	72.0	88.0	92.0	96.0	100.0
201	72.7	88.9	92.9	97.0	101.0
202	73.4	89.8	93.8	97.9	102.0
203	74.2	90.7	94.8	98.9	103.0
204	74.9	91.6	95.7	99.9	104.0
205	75.6	92.5	96.7	100.9	105.1
206	76.4	93.4	97.6	101.8	106.1

207	77.1	94.3	98.6	102.8	107.1
208	77.9	95.2	99.5	103.8	108.2
209	78.6	96.1	100.5	104.8	109.2
210	79.4	97.0	101.4	105.8	110.3

(a) Weight for height charts given above is for all categories of personnel. This chart is prepared based on the BMI. The chart specifies the minimum acceptable weight that candidates of a particular height must have. Weights below the minimum specified will not be acceptable in any case. The maximum acceptable weight of height has been specified in age wise categories. Weights higher than the acceptable limit will be acceptable only in the case of candidates with documented evidence of body building, wrestling, and boxing at the National level. In such cases the following criteria will have to be met.

- (i) Body Mass Index should be below 25.
- (ii) Waist Hip ratio should be below 0.9 for males and 0.8 for females.
- (iii) Waist Circumference should be less than 90 cm for males and 80 cm for females.
- (vi) All biochemical metabolic parameters should be within normal limits.

Note: The height and weight for candidates below 17 Years will be followed as per guidelines by 'Indian Academy of Paediatrics growth charts for height, weight and BMI for 05 Years to 16 Years old children'.

7. Following investigations will be carried out for all officer entries and for pre-commission training academies. However examining medical officer/ medical board may ask for any other investigation deemed fit.

- (a) Complete haemogram
- (b) Urine RE
- (c) Chest X-ray
- (d) USG abdomen and Pelvis.

8. Certain standards vary depending on age and type entry viz standards for vision as follows:-

Parameter	Standards : 10+2 entries, NDA(Army), TES and equivalent	Graduate & equivalent entries: CDSE, IMA, OTA, UES, NCC, TGC & equivalent	Post graduate & equivalent entries: JAG, AEC, APS, RVC, TA, AMC, ADC, SL & equivalent
Uncorrected vision(max allowed)	6/36 & 6/36	6/60 & 6/60	3/60 & 3/60
BCVA	Right 6/6 & Lt 6/6	Right 6/6 & Lt 6/6	Right 6/6 & Lt 6/6
Myopia	≤ -2.5 D Sph (including max astigmatism $\leq \pm 2.0$ D Cyl)	≤ -3.50 D Sph (including max astigmatism $\leq \pm 2.0$ D Cyl)	≤ -5.50 D Sph (including max astigmatism $\leq \pm 2.0$ D Cyl)
Hypermetropia	$\leq +2.5$ D Sph, (including max astigmatism $\leq \pm 2.0$ D Cyl)	$\leq +3.50$ D Sph (including max astigmatism $\leq \pm 2.0$ D Cyl)	$\leq +3.50$ D Sph (including max astigmatism $\leq \pm 2.0$ D Cyl)
Lasik/equivalent surgery	Not permitted	Permitted *	Permitted*
Colour perception	CP-II	CP-II	CP-II

***LASIK or Equivalent kerato-refractive procedure**

(a) Any candidate who has undergone any kerato-refractive procedure will have a certificate/operative notes from the medical centre where he/she has undergone the procedure, specifying the date and type of surgery.

Note: Absence of such a certificate will necessitate the Ophthalmologist to make a decision to reject the candidate with specific endorsement of “Unfit due to undocumented Visual Acuity corrective procedure”.

- (b) In order to be made FIT, the following criteria will have to be met:
- (i) Age more than 20 yrs at the time of surgery
 - (ii) Minimum 12 months post LASIK
 - (iii) Central corneal thickness equal to or more than 450 μ
 - (iv) Axial length by IOL Master equal to or less than 26 mm
 - (v) Residual refraction of less than or equal to ± 1.0 D incl cylinder, (provided acceptable in the category applied for).
 - (vi) Normal healthy retina.
 - (vii) Corneal topography and ectasia markers can also be included as addl criteria.

Candidates who have undergone radial keratotomy are permanently unfit

9. Form to be used for med board proceedings is AFMSF-2A.

10. Procedure of Medical Examination Board: Medical Examination Board for selection for officers and pre-commissioning training academies are convened at designated Armed Forces Medical Services Hospitals near Service Selection Boards (SSB). These Medical Boards are termed as ‘Special Medical Board’ (SMB). Candidates who clear SSB interview are referred to Armed Forces Medical Services Hospital with identification documents. Staff Surgeon of Hospital will identify the candidate, guide the candidate to fill the relevant portions of the AFMSF-2, organize investigations and examination by Medical, Surgical, Eye, ENT, Dental specialists. Female candidates are examined by Gynaecology Specialist also. After examination by Specialists, the candidate is brought before Medical Board. Medical Board once satisfied with findings of Specialists will declare fitness of candidate. If any candidate is declared ‘Unfit’ by SMB, such candidates can request for ‘Appeal Medical Board’ (AMB). Detailed procedure for AMB will be provided by President SMB.

11. Miscellaneous aspects:-

- (a) Clinical methods of examinations are laid down by O/O DGAFMS.
- (b) Female candidates will be examined by female medical officers and specialists. In case of non availability they will be examined by Medical Officer in the presence of female attendant.
- (c) Fitness following surgery: Candidates may be declared fit after surgery. However, there should not be any complication; scar should be healthy, well healed and attained required tensile strength. The candidate shall be considered fit after 01 year of open/Laparoscopic surgeries for hernia and twelve weeks of laparoscopic abdominal surgery for cholecystectomy. For any other surgery, fitness shall be considered only after 12 weeks of the laparoscopic surgery and 12 months after an open surgery. Candidate shall be unfit for any surgeries for injuries, ligament tear, and meniscus tear of any joint, irrespective of duration of surgery.

Annexure B

**MEDICAL STANDARDS AND PROCEDURE OF MEDICAL EXAMINATION FOR
OFFICER ENTRIES INTO NAVY**

PROCEDURE ON CONDUCT OF MEDICAL BOARDS

1. A candidate recommended by the Services Selection Board (SSB) will undergo a medical examination (Special Medical Board) by a Board of Service Medical Officers. Only those candidates, who are declared fit by the Medical Board, will be admitted to the Academy. However, the President of the Medical Board will intimate the candidates declared unfit of their results and the procedure for an Appeal Medical Board (AMB) to be completed in a Command Hospital or equivalent within 42 days of Special Medical Board.

2. Candidates who are declared unfit by the Appeal Medical Board (AMB) may request for Review Medical board (RMB) within one day of completion of Appeal Medical Board. The President AMB will intimate about the procedure of challenging the findings of AMB. The candidates will also be intimated that sanction for holding of Review Medical Board (RMB) will be granted at the discretion of DGAFMS based on the merit of the case and that RMB is not a matter of right. The candidate should address the request for RMB if he/ she so desires to DMPR, Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy), Sena Bhawan, Rajaji Marg, New Delhi – 110011 and a copy of

the same is handed over to the President of AMB. O/o DGAFMS will inform the date and place (Delhi and Pune only) where the candidate will appear for a RMB.

3. The following investigations will be carried out mandatorily during Special Medical Board. However, Medical Officer / Medical Board examining a candidate may ask for any other investigation as required or indicated :-

- (a) Complete Haemogram
- (b) Urine RE/ME
- (c) X Ray chest PA view
- (d) USG abdomen & pelvis

PHYSICAL STANDARDS FOR OFFICERS (MALE/ FEMALE) ON ENTRY

4. The candidate must be physically fit according to the prescribed physical standards.

- (a) The candidate must be in good physical and mental health and free from any disease/ disability which is likely to interfere with the efficient performance of duties both ashore and afloat, under peace as well as war conditions in any part of the world.
- (b) There should be no evidence of weak constitution, bodily defects or underweight. The candidate should not be overweight or obese.

5. **Weight**

Height-Weight Chart : Navy

Height in Mtrs	Up to 17 years		17 years + 1 day to 18 years		18 years + 1 day to 20 years		20 years + 1 day to 30 years		Above 30 years	
	Minimum Weight in Kg	Maximum Weight in Kg	Minimum Weight in Kg	Maximum Weight in Kg	Minimum Weight in Kg	Maximum Weight in Kg	Minimum Weight in Kg	Maximum Weight in Kg	Minimum Weight in Kg	Maximum Weight in Kg
1.47	37	45	40	45	40	48	40	50	40	52
1.48	37	46	41	46	41	48	41	50	41	53
1.49	38	47	41	47	41	49	41	51	41	53
1.5	38	47	42	47	42	50	42	52	42	54
1.51	39	48	42	48	42	50	42	52	42	55
1.52	39	49	43	49	43	51	43	53	43	55
1.53	40	49	43	49	43	51	43	54	43	56
1.54	40	50	44	50	44	52	44	55	44	57
1.55	41	50	44	50	44	53	44	55	44	58
1.56	41	51	45	51	45	54	45	56	45	58
1.57	42	52	46	52	46	54	46	57	46	59
1.58	42	52	46	52	46	55	46	57	46	60
1.59	43	53	47	53	47	56	47	58	47	61
1.6	44	54	47	54	47	56	47	59	47	61
1.61	44	54	48	54	48	57	48	60	48	62
1.62	45	55	49	55	49	58	49	60	49	63
1.63	45	56	49	56	49	58	49	61	49	64
1.64	46	56	50	56	50	59	50	62	50	65
1.65	46	57	50	57	50	60	50	63	50	65
1.66	47	58	51	58	51	61	51	63	51	66

1.67	47	59	52	59	52	61	52	64	52	67
1.68	48	59	52	59	52	62	52	65	52	68
1.69	49	60	53	60	53	63	53	66	53	69
1.7	49	61	53	61	53	64	53	66	53	69
1.71	50	61	54	61	54	64	54	67	54	70
1.72	50	62	55	62	55	65	55	68	55	71
1.73	51	63	55	63	55	66	55	69	55	72
1.74	51	64	56	64	56	67	56	70	56	73
1.75	52	64	57	64	57	67	57	70	57	74
1.76	53	65	57	65	57	68	57	71	57	74
1.77	53	66	58	66	58	69	58	72	58	75
1.78	54	67	59	67	59	70	59	73	59	76
1.79	54	67	59	67	59	70	59	74	59	77
1.8	55	68	60	68	60	71	60	75	60	78
1.81	56	69	61	69	61	72	61	75	61	79
1.82	56	70	61	70	61	73	61	76	61	79
1.83	57	70	62	70	62	74	62	77	62	80
1.84	58	71	63	71	63	74	63	78	63	81
1.85	58	72	63	72	63	75	63	79	63	82
1.86	59	73	64	73	64	76	64	80	64	83
1.87	59	73	65	73	65	77	65	80	65	84
1.88	60	74	65	74	65	78	65	81	65	85
1.89	61	75	66	75	66	79	66	82	66	86
1.9	61	76	67	76	67	79	67	83	67	87
1.91	62	77	67	77	67	80	67	84	67	88
1.92	63	77	68	77	68	81	68	85	68	88
1.93	63	78	69	78	69	82	69	86	69	89
1.94	64	79	70	79	70	83	70	87	70	90
1.95	65	80	70	80	70	84	70	87	70	91

Notes:-

- (a) The minimum and maximum weight for height will be standard for all categories of personnel. Candidates with weight below the minimum specified will not be accepted.
- (b) Male candidates with weight higher than specified will be acceptable only in exceptional circumstances in case of candidates with documented evidence of body building, wrestling, boxing or muscular build. In such cases, the following criteria are to be met :-
 - (i) Body Mass Index should not be more than 25.
 - (ii) Waist : Hip Ratio less than 0.9.
 - (iii) All biochemical parameters such as blood sugar Fasting and PP, blood urea, creatinine, cholesterol, HbA1C%, etc are within normal limits.
- (c) The fitness can only be given by a Medical Specialist.

- (d) The minimum acceptable height is 157 cms. However, relaxation in height is permissible to candidates holding domicile of areas as mentioned below:

Sl No.	Category	Minimum Height for Male Candidates
(i)	Tribals from Ladhakh Region	155 Cm
(ii)	Aandaman & Nicobar, Lakshdweep and Minicoy Islands	155 Cm
(iii)	Gorkhas, Nepali, Assamese, Garhwali, Kumaoni & Uttarakhand	152 Cm
(iv)	Bhutan, Sikkim & NEt Region	152 Cm

6. During the medical examination of candidates, the following principal points will be ensured:-
- The candidate is sufficiently intelligent.
 - The hearing is good and that there is no sign of any disease of ear, nose or throat.
 - Vision in either eye is up to the required standard. His/ her eyes are bright, clear and with no obvious squint or abnormality. Movements of eye balls should be full and free in all directions.
 - Speech is without impediment.
 - There is no glandular swelling.
 - Chest is well formed and that his/her heart and lungs are sound.
 - Limbs of the candidates are well formed and fully developed.
 - There is no evidence of hernia of any degree or form.
 - There is free and perfect action of all the joints.
 - Feet and toes are well formed.
 - Absence of any congenital malformation or defects.
 - He/she does not bear traces of previous acute or chronic disease pointing to an impaired constitution.
 - Presence of sufficient number of sound teeth for efficient mastication.
 - Absence of any disease of the Genito-Urinary tract.
7. Major defects for rejection are as under:-
- Weak constitution, imperfect development, congenital malformation, muscular wasting.
 - Malformation of the head including deformity from fracture or depression of the bones of the skull.
 - Disease or abnormal curvature of the spine, Scoliosis more than 10 degree by Cobb's method till less than 25 years of age and 15 degree in more than 25 years of age.
- Note:-** X-Ray of the spine will not be carried out as a routine. It will however be done on the advice of the Surgical Specialist wherever indicated.
- Skeletal deformity either hereditary or acquired and disease or impairment of function of bones or joints.
- Note:-** Rudimentary cervical rib causing no signs or symptoms is acceptable.
- Asymmetry of torso or limbs, abnormality of locomotion including amputation.
 - Deformity of feet and toes.
8. **Eye.**
- Deformity or morbid condition of the eye or eyelids that is liable for aggravation or recurrence.
 - Manifest squint of any degree.

- (c) Active trachoma or its complication or sequelae.
- (d) Visual acuity below prescribed standards.

Notes:-

1. Visual standards for NDA/ NA entry are as follows :-

Criteria	NDA/ NA
Uncorrected Vision	6/66/9
Corrected Vision	6/6 6/6
Limits of Myopia	- 0.75 D Sph
Limits of Hypermetropia	+ 1.5 D Cyl
Astigmatism (within limits of myopia & hypermetropia)	± 0.75 D Sph / Cyl
Binocular Vision	III
Colour Perception	I

2. **Kerato Refractive Surgery.** Candidates who have undergone any Refractory Surgery (PRK/LASIK/SMILE) can be considered fit in all branches (except submarine, diving and MARCO cadre) subject to the following conditions :-

- (a) Surgery should not have been carried out before 20 yrs of age.
- (b) Uncomplicated surgery at least 12 months before examination (Certificate mentioning the type of refractive surgery, date of surgery and pre-operative refractive error from concerned eye centre is to be produced by the candidate at the time of recruitment medical examination).
- (c) Axial length less than or equal to 26 mm by IOL Master or A Scan.
- (d) Residual corneal thickness measured by Pachymeter should not be less than 450 microns.
- (e) Residual refraction less than or equal to ± 1.0 D Sph or Cyl, provided within the permissible limit for the category applied for. However, for Pilot and Observer entries, the residual refraction should be nil.
- (f) Pre-operative refractive error not more than ± 6.0 D
- (g) Normal retinal examination.

3. Kerato-Refractory Surgery (PRK, LASIK, SMILE) is not acceptable for special cadres such as submarine, diving and MARCO. ***Candidates who have undergone Radial Keratotomy are permanently unfit for recruitment.***

9. ***Ear, Nose and Throat.***

- (a) ***Ear.*** History or recurrent ear ache, tinnitus or vertigo, impairment of hearing, disease of the external meatus including atresia, exostosis or neoplasm which prevent a thorough examination of the drum, unhealed perforation of the tympanic membrane, aural discharge or sign of acute or chronic suppurative otitis media, evidence of radical or modified radical mastoid operation.

Notes:-

1. A candidate should be able to hear forced whisper at a distance of 610 cms with each ear separately with back to the examiner.
2. The operation of tympanoplasty with or without cortical mastoidectomy for a dry central perforation of tympanic membrane is considered curative once the graft has taken up provided tympanic membrane is intact, mobile with free field hearing of 610 cms. in each ear separately and a normal hearing threshold on pure tone audiometry. A gap of three months is considered adequate after operation of complete healing and graft stabilization. For fitness, the candidate should also show a normal compliance on Tympanometry.
- (b) ***Nose.*** Disease of the bones or cartilages of the nose, marked nasal allergy, nasal polyps, atrophic rhinitis, disease of the accessory sinuses and nasopharynx.

Note:- Simple nasal deformity not causing disfigurement, minor septal deviation not interfering with nasal airway and small traumatic septal perforation which are asymptomatic are acceptable.

(c) **Throat.** Disease of throat palate, tongue, tonsils, gums and disease or injury affecting the normal function of either mandibular joints.

(d) **Disease of the larynx and impediment of speech.** Voice should be normal. Candidates with pronounced stammer will not be accepted.

10. **Dental Condition.** It should be ensured that a sufficient number of natural and sound teeth are present for efficient mastication.

(a) A candidate must have a minimum of 14 dental points to be acceptable in order to assess the dental condition of an individual. Dental points less than 14 are a cause of rejection. The dental points are allotted as under for teeth in good opposition with corresponding teeth in the other jaw:-

(i) Central incisor, lateral incisor, canine, 1st Premolar, 2nd Premolar and under development third molar with 1 point each.

(ii) 1st molar and 2nd molar and fully developed 3rd molar with 2 points each.

(iii) When all 32 teeth are present, there will be a total count of 22 or 20 points according to whether the third molars are well developed or not.

(b) The following teeth in good functional apposition must be present in each jaw:-

(i) Any 4 of the 6 anteriors.

(ii) Any 6 of the 10 posteriors.

All these teeth must be sound/ repairable.

(c) Candidates suffering from severe pyorrhea will be rejected. Where the state of pyorrhea is such that in the opinion of the Dental Officer, it can be cured without extraction of teeth, the candidates may be accepted. A note about the affected teeth is to be inserted by the Medical/ Dental Officer in the medical documents.

(d) Artificial dentures are not to be included while counting the dental points.

11. **Neck.**

(a) Enlarged glands, tubercular or due to other diseases in the neck or other parts of the body.

Note:- Scars of operations for the removal of tubercular glands are not a cause for rejection provided there has been no active disease within the preceding five years and the chest is clinically and radiologically clear.

(b) Disease of the thyroid gland.

12. **Skin and Sexually Transmitted Infection (STI).**

(a) Skin disease unless temporary or trivial.

(b) Scars which by their extent or position cause or are likely to cause disability/ or marked disfigurement.

(c) Hyperhidrosis - Palmar, plantar or axillary.

(d) Congenital, active or latent sexually transmitted diseases.

Note:- In cases with old healed scar over the groin or penis/ vagina suggestive of past STI, blood will be tested for STI (Including HIV) to exclude latent Sexually Transmitted Disease.

13. **Respiratory System.**

(a) History of chronic cough or Bronchial Asthma.

(b) Evidence of pulmonary Tuberculosis.

(c) Evidence of diseases of bronchi, lungs or pleurae detected on radiological examination of the chest will disqualify the candidate.

Note:- An X-Ray examination of the chest will be carried out.

14. **Cardio-Vascular System.**

(a) Functional or organic disease of the heart or blood vessels, presence of murmurs or clicks on auscultation.

- (b) Tachycardia (Pulse Rate persistently over 96/min at rest), bradycardia (Pulse Rate persistently below 40/ min at rest), any abnormality of peripheral pulse.
- (c) Blood pressure exceeding 140mm Hg systolic or 90mm Hg diastolic.

15. **Abdomen.**

- (a) Evidence of any disease of the gastro-intestinal tract, enlargement of liver, gall bladder or spleen, tenderness on abdominal palpation, evidence/ history of peptic ulcer or previous history of extensive abdominal surgery. All officer entry candidates are to be subjected to the Ultra Sound Examination of the abdominal and pelvic organs for detecting any abnormalities of the internal organs.
- (b) Inguinal or any other hernia or tendency thereto.

Note:- Those who have been operated for hernia/ hydrocele, varicose veins, varicocele may be declared fit provided:-

- (i) Six months have elapsed since the operation for hernia and six weeks for other minor operations. Documentary proof to this effect is to be produced by the candidate.
- (ii) General tone of the abdominal musculature is good.
- (iii) There has been no recurrence of hernia or any complication connected with the operation.
- (c) Fistula-in-Ano, Anal Fissure and Hemorrhoids unless satisfactory treatment has been carried out.

16. **Genito-Urinary System.**

- (a) Any evidence of disease of genital organs.
- (b) Bilateral undescended testis, unilateral undescended testis retained in the inguinal canal or at the external abdominal ring unless corrected by operation.

Note:- Absence of one testis is not a cause for rejection unless the testis has been removed on account of disease or its absence has affected the physical or mental health of the candidate.

- (c) Disease or malformation of the kidneys or urethra.
- (d) Incontinence of urine and nocturnal enuresis.
- (e) Any abnormality on examination of urine including albuminuria or glycosuria.

17. **Central Nervous System.**

- (a) Organic disease of Central Nervous System.
- (b) Tremors.
- (c) Candidates with history of fits and recurrent attacks of headache/ migraine will not be accepted.

18. **Psychiatric Disorders.** History or evidence of mental disease or nervous instability in the candidate or his family.

Annexure C

MEDICAL STANDARDS FOR NDA (FLYING & GROUND DUTY BRANCHES)

General Instructions

1. In this section the assessment of candidates for commissioning through NDA into flying and ground duty branches in the IAF is considered.
2. The basic requirements of medical fitness are essentially the same for all branches, except for aircrew in whom the parameters for visual acuity, anthropometry and certain other physical standards are more stringent. A candidate will not be assessed physically fit unless the examination as a whole shows that he is physically and mentally capable of withstanding severe physical and mental strain for prolonged periods in any climate in any part of the world.
3. The medical standards spelt out pertain to initial entry medical standards. Continuation of medical fitness during training will be assessed during the periodic medical examinations held at NDA prior to commissioning. If, however, any disease or disability is detected during the training phase, which will have a bearing on the flight cadets subsequent physical fitness and medical category; such cases will be referred expeditiously to IAM (for aircrew)/ specialists of MH (for non-aircrew) under intimation to the office of DGMS (Air)-Med-7. At IAM, if the disease or

disability is considered of a permanent nature, an early decision for the cadet to continue in the service/ branch/ stream is to be taken. Specific waivers of DGMS (Air), if asked for, must carry full justification in accordance with relevant Para of IAP 4303 4th edition (revised).

General Medical and Surgical Assessment

4. Every candidate to be fit for the Air Force must conform to the minimum standards laid down in the succeeding paragraphs. The general build should be well developed and proportionate.

5. The residual effects of fractures/ old injuries are to be assessed for any functional limitation. If there is no effect on function, the candidate can be assessed fit. Cases of old fractures of spine are unfit. Any residual deformity of spine or compression of a vertebra will be cause for rejection. Injuries involving the trunks of the larger nerves, resulting in loss of function, or scarring, which cause pain or cramps, indicate unsuitability for employment in flying duties. The presence of large or multiple keloids will be a cause for rejection.

6. Minor scars and Birth Marks for e.g. as resulting from the removal of tuberculous glands do not, per se, indicate unsuitability for employment on flying duties. Extensive scarring of a limb or torso that may cause functional limitation or unsightly appearance should be considered unfit.

7. Cervical rib without any neurovascular compromise will be accepted. This will be recorded in the medical board proceedings.

8. Asymmetry of the face and head, which will interfere with proper fitting of oxygen mask and helmet, will be a cause for rejection for flying duties.

9. A candidate who has undergone an abdominal operation, other than a simple appendicectomy, involving extensive surgical intervention or partial or total excision of any organ is unsuitable for flying duties. Operation involving the cranial vault (e.g. trephining), or extensive thoracic operations make the candidate unfit for flying.

10. The chest should be well proportioned and well developed with the minimum range of expansion of 5cm.

11. Height, Sitting Height, Leg Length and Thigh Length

(a) The minimum height for entry into ground duty branches will be 157.5 cm. Gorkhas and individuals belonging to North Eastern regions of India and hilly regions of Uttarakhand, the minimum acceptable height will be 5 cm less (152.5 cm). In case of candidates from Lakshadweep, the minimum acceptable height can be reduced by 2 cm (155.5 cm).

(b) Minimum height for Flying Branch will be 162.5 cm. Acceptable measurements of leg length, thigh length and sitting height for such aircrew will be as under: -

(i) Sitting height:	Minimum- 81.5 cm	Maximum- 96.0 cm
(ii) Leg Length:	Minimum- 99.0 cm	Maximum- 120.0 cm
(iii) Thigh Length:	Maximum- 64.0 cm	

12. The weight chart prescribed is placed at **Appendix A** to the draft rules will be applicable. The maximum permissible variation from the ideal body weight is 10%. Fraction of less than half a kg will not be noted. If a candidate is underweight by more than 10% below the ideal, a detailed history and careful examination to rule out possible cause like tuberculosis, hyperthyroidism, diabetes etc. will be carried out. If no cause is detected the candidate will be declared fit. If any cause is detected the fitness of the candidate will be decided accordingly.

13. Cardiovascular System

(a) History of chest pain, breathlessness, palpitation, fainting attacks, giddiness, rheumatic fever, chorea, frequent sore throats and tonsillitis will be given due consideration in assessment of the cardiovascular system.

(b) The normal pulse rate varies from 60-100 bpm. Persistent sinus tachycardia (> 100 bpm), after emotional factors and fever are excluded as causes, as well as persistent sinus bradycardia (< 60 bpm), will be referred for specialist opinion to exclude organic causes. Sinus arrhythmia and vagotonia will also be excluded.

(c) Candidates are quite prone to develop White Coat Hypertension, which is a transient rise of BP, due to the stress of medical examination. Every effort must be made to eliminate the White Coat effect by repeated recordings under basal conditions. When indicated, ambulatory BP recording must be carried out or the candidate be admitted to hospital for observation before final fitness is certified. An individual with BP consistently greater than or equal to 140/90 mm of Hg will be rejected.

(d) Evidence of organic cardiovascular disease will be cause for rejection. Diastolic murmurs are invariably organic. Short systolic murmurs of ejection systolic nature and not associated with thrill and

which diminish on standing, especially if associated with a normal ECG and chest radiograph, are most often functional. However, an echocardiogram will be done to exclude organic heart disease. In case of any doubt the case will be referred to cardiologist for opinion.

(e) Electrocardiogram. Assessment of a properly recorded ECG (resting – 14 lead) will be carried out by a medical specialist. Note will be taken of wave patterns, the amplitude, duration and time relationship. At initial entry no abnormalities are acceptable except incomplete RBBB in the absence of structural heart disease, which must be excluded. In such cases, opinion of Senior Adviser (Medicine) or Cardiologist will be obtained.

14. **Respiratory System**

(a) Any residual scarring in pulmonary parenchyma or pleura, as evidenced by a demonstrable opacity on chest radiogram will be a ground for rejection. Old treated cases of Pulmonary Tuberculosis with no significant residual abnormality can be accepted if the diagnosis and treatment was completed more than two year earlier. In these cases, a CT scan chest and fibre-optic bronchoscopy with bronchial lavage will be done along with USG, ESR, PCR, Immunological tests and Mantoux test as decided by the Physician. If all the tests are normal the candidate may be considered fit. However, in such cases fitness will only be decided at Appeal/ Review Medical Board.

(b) Pleurisy with Effusion. Any evidence of significant residual pleural thickening will be a cause for rejection.

(c) History of repeated attacks of cough/ wheezing/ bronchitis may be manifestations of chronic bronchitis or other chronic pathology of the respiratory tract. Such cases will be assessed unfit. Pulmonary Function Tests will be carried out, if available.

(d) History of repeated attacks of bronchial asthma/ wheezing/ allergic rhinitis will be a cause for rejection.

(e) Radiographs of the Chest. Definite radiological evidence of disease of the lungs, mediastinum and pleurae indicates unsuitability for employment in Air Force. If required, investigations as outlined in Para 13 (a) above will be carried out under the advice of a Chest Physician.

15. **Gastrointestinal System**

(a) Any past history of ulceration or infection of the mouth, tongue, gums or throat will be taken note of including any major dental alteration.

(b) The following dental standards will be followed:-

(i) Candidate must have 14 dental points and the following teeth must be present in the upper jaw in good functional opposition with the corresponding teeth in the lower jaw, and these must be sound or repairable:-

(aa) Any four of the six anteriors

(ab) Any six of the ten posteriors

(ac) They should be balancing on both sides. Unilateral mastication is not allowed.

(ad) Any removable or wired prosthesis are not permitted.

(ii) Candidate whose dental standard does not conform to the laid down standard will be rejected.

(iii) Candidate with dental arches affected by advanced stage of generalised active lesions of pyorrhoea, acute ulcerative gingivitis, and gross abnormality of the teeth or jaws or with numerous caries or septic teeth will be rejected.

(c) Gastro-Duodenal Disabilities. Candidates who are suffering or have suffered, during the previous two years, from symptoms suggestive of chronic indigestion, including proven peptic ulceration, are not to be accepted, in view of the exceedingly high risk of recurrence of symptoms and potential for incapacitation. Any past surgical procedure involving partial or total loss of an organ (other than vestigial organs/gall bladder) will entail rejection.

(d) If past history of jaundice is noted or any abnormality of the liver function is suspected, full investigation is required for assessment. Candidates suffering from viral hepatitis or any other form of jaundice will be rejected. Such candidates can be declared fit after a minimum period of 6 months has elapsed provided there is full clinical recovery; HBV and HCV status are both negative and liver functions are within normal limits.

- (e) Candidates who have undergone splenectomy are unfit, irrespective of the cause for operation. Splenomegaly of any degree is a cause for rejection.
- (f) A candidate with a well-healed hernia scar, after successful surgery, will be considered fit six months after surgery, provided there is no potential for any recurrence and the abdominal wall musculature is good.
- (g) Abdominal Surgery
- (i) A candidate with well-healed scar after conventional abdominal surgery will be considered fit after one year of successful surgery provided there is no potential for any recurrence of the underlying pathology and the abdominal wall musculature is good.
- (ii) A candidate after laparoscopic cholecystectomy will be considered fit if 08 weeks have passed since surgery provided they are free from signs and symptoms and their evaluation including LFT and USG abdomen are normal and there is total absence of gall bladder with no intra-abdominal collection. Other abdominal laproscopic procedures can also be considered fit after 08 weeks of surgery provided the individual is asymptomatic, recovery is complete and there is no residual complication or evidence of recurrence.
- (h) Disposal of cases with incidental ultrasonographic (USG) findings like fatty liver, small cysts, haemangiomas, septate gall bladder etc., will be based on clinical significance and functional limitation. A methodically conducted USG examination should look for the following areas during the examination. The findings as listed in the succeeding paragraphs and other incidental USG findings reported will be evaluated on clinical significance and functional capacity by the concerned specialist.
- (j) Liver
- (i) Fit
- (aa) Normal echoanatomy of the liver, CBD, IHBR, portal and hepatic veins with liver span not exceeding 15 cm in the mid-clavicular line.
- (ab) Solitary simple cyst (thin wall, anechoic) upto 2.5 cm diameter.
- (ii) Unfit
- (aa) Hepatomegaly more than 15 cm in mid-clavicular line.
- (ab) Fatty liver
- (ac) Solitary cyst > 2.5 cm
- (ad) Solitary cyst of any size with thick walls, septations and debris
- (ae) Any calcifications more than 03 mm in size.
- (af) More than three calcifications even if each is less than 03 mm in size.
- (ag) Multiple hepatic cysts of any size.
- (ah) Hemangioma > 02cm.
- (aj) Portal vein thrombosis.
- (ak) Evidence of portal hypertension (PV > 13 mm, collaterals, ascites).
- (iii) During Appeal Medical Board/Review Medical Board unfit candidates will be subjected to specific investigations and detailed clinical examination. Fitness for specific conditions will be decided as given below:-
- (aa) Fatty Liver may be considered fit in non-obese individual with normal LFT, no metabolic abnormality and negative HBsAg and Anti-HCV serology.
- (ab) Solitary simple cyst 2.5 - 05 cm will be further evaluated with LFT, CECT abdomen, and hydatid serology. Will be considered fit if LFT is normal, hydatid serology is negative and CECT confirms USG findings.
- (ac) Any liver calcifications, irrespective of size and number be considered fit provided after due investigations it is revealed that there is no evidence of active disease like tuberculosis, sarcoidosis, hydatid disease, metastatic tumour or liver abscess based on relevant clinical examination and investigations (LFT, hydatid serology, etc.).

- (k) Gall Bladder
- (i) Fit
- (aa) Normal echoanatomy of the gall bladder.
- (ab) Post laparoscopic Cholecystectomy. Candidates having undergone lap-cholecystectomy may be considered fit if 08 weeks have passed since surgery and there is total absence of gall bladder with no intra- abdominal collection. Wound should have healed well without incisional hernia.
- (ac) Open Cholecystectomy. Candidates having undergone open Cholecystectomy may be considered fit if one year has passed since surgery, the scar is healthy with no incisional hernia and there is total absence of gall bladder with no intra- abdominal collection.
- (ii) Unfit.
- (aa) Cholelithiasis or biliary sludge.
- (ab) Choledocolithiasis.
- (ac) Polyp of any size and number.
- (ad) Choledochal cyst.
- (ae) Gall bladder mass.
- (af) Gall bladder wall thickness > 05 mm.
- (ag) Septate gall bladder.
- (ah) Persistently contracted gall bladder on repeat USG.
- (aj) Incomplete Cholecystectomy.
- (l) Spleen more than 13 cm in longitudinal axis (or if clinically palpable), any Space Occupying Lesion and Asplenia will be considered Unfit.
- (m) Any structural abnormality of the Pancreas, Space Occupying Lesion/Mass Lesion, Features of chronic pancreatitis (calcification, ductular abnormality, atrophy) will be considered Unfit.
- (n) Peritoneal Cavity. Ascites, Solitary mesenteric or retroperitoneal lymph node >1 cm and Two or more lymph nodes of any size will be considered Unfit.
- (o) Urogenital System.
- (i) A simple non obstructive renal cyst of less than 2.5 cm size in one kidney will be considered fit.
- (ii) The following congenital structural abnormalities of kidneys will be declared unfit.
- (aa) Unilateral renal agenesis.
- (ab) Unilateral or bilateral hypoplastic/contracted kidney of size less than 08 cm.
- (ac) Malrotation.
- (ad) Horseshoe kidney.
- (ae) Ptosed kidney.
- (af) Crossed fused/ ectopic kidney.
- (iii) Simple single renal cyst of more than 2.5 cm size in one kidney.
- (iv) Single cyst of any size in both kidneys or multiple cysts in one kidney.
- (v) Renal/ ureteric/vesical mass.
- (vi) Hydronephrosis, Hydroureteronephrosis.
- (vii) Calculi - Renal/Ureteric/Vesical.
- (viii) During Appeal Medical Board/Review Medical Board, unfit candidates will be subjected to specific investigations and detailed clinical examination. Fitness for specific conditions will be decided as given below:-

- (aa) Candidates having isolated abnormality of echo texture of Kidney may be considered fit if Renal Function, DTPA scan and CECT kidney is normal.
- (p) Major Abdominal Vasculature (Aorta/ IVC). Any structural abnormality, focal ectasia, aneurysm and calcification will be considered Unfit.
- (q) Scrotum and Testis
 - (i) Unilateral intrabdominal testes, provided the other testes is completely descended will be declared fit.
 - (ii) Bilateral undescended testes or bilateral atrophied testis will be declared unfit.
 - (iii) Unilateral undescended testis if it lies in the inguinal canal, at the external ring or in the abdominal wall will be declared unfit.
 - (iv) Varicocele will be unfit.

16. Urogenital System

- (a) Any alteration in micturition, e.g. dysuria or frequency will be noted. Recurrent attacks of cystitis; pyelonephritis and haematuria must be excluded. Any history of renal colic, attacks of acute nephritis, any operation on the renal tract including loss of a kidney, passing of stones or urethral discharges will be enquired in detail. If there is any history of enuresis, past or present, full details must be obtained.
- (b) Urine Examination
 - (i) Proteinuria will be a cause for rejection, unless it proves to be orthostatic.
 - (ii) When glycosuria is detected, a blood sugar examination (fasting and after 75 g glucose) and glycosylated Hb is to be carried out, and fitness decided as per results. Renal glycosuria is not a cause for rejection.
 - (iii) When the candidate has history or evidence of urinary infection it will entail full renal investigation. Persistent evidence of urinary infection will entail rejection.
 - (iv) Candidates with history of haematuria will be subjected to full renal investigation.
- (c) Glomerulonephritis
 - (i) There is a high rate of recovery in the acute phase, particularly in childhood. A candidate who has made a complete recovery and has no proteinuria may be assessed fit, after a minimum period of one year after full recovery.
 - (ii) Candidate with chronic glomerulonephritis will be rejected.
- (d) Renal Colic and Renal Calculi. Complete renal and metabolic evaluation is required. Candidates with renal calculi will be rejected.
- (e) All candidates found to have congenital absence of one kidney or who have undergone unilateral nephrectomy will be rejected. Presence of horseshoe kidney will entail rejection. Solitary functioning kidney with diseased, non-functional contralateral kidney will entail rejection. Crossed ectopia, unascended or malrotated kidney(s), unilateral congenital hypoplasia will be a cause for rejection.
- (f) Bilateral undescended testis /atrophied testis will be a cause for rejection. Unilateral undescended testis, if entirely retained in the abdomen, is acceptable. If it lies in the inguinal canal, at the external ring or in the abdominal wall, such cases may be accepted after either orchidectomy or orchiopexy operation. In all doubtful cases, surgical opinion must be obtained regarding fitness.
- (g) Hydrocele or Varicocele should be properly treated before fitness is considered. Minor degree of varicocele will not entail rejection.
- (h) Sexual Transmitted Diseases and Human Immuno Deficiency Virus (HIV). Seropositive HIV status and/ or evidence of STD will entail rejection.

17. Endocrine System

- (a) Generally any history suggestive of endocrine disorders will be a cause for rejection.
- (b) All cases of thyroid swelling having abnormal iodine uptake and abnormal thyroid hormone levels will be rejected. Cases of simple goitre with minimal thyroid swelling, who are clinically euthyroid and have normal iodine uptake and normal thyroid functions may be accepted.

- (c) Candidates detected to have diabetes mellitus will be rejected. A candidate with a family history of diabetes mellitus will be subjected to blood sugar (fasting and after glucose load) and Glycosylated Hb/HbA1c evaluation, which will be recorded.

18. Dermatological System

- (a) Borderline skin conditions will be referred to a dermatologist. Candidates who give history of sexual exposure to a Commercial Sex Worker (CSW), or have evidence of healed penile sore in the form of a scar will be declared permanently unfit, even in absence of an overt STD, as these candidates are likely 'repeaters' with similar indulgent promiscuous behaviour.
- (b) Acute non-exanthematous and non-communicable diseases, which ordinarily run a temporary course, need not be a cause of rejection. Diseases of a trivial nature, and those, which do not interfere with general health or cause incapacity, do not entail rejection.
- (c) Certain skin conditions are apt to become active and incapacitating under tropical conditions. An individual is unsuitable for service if he has a definite history or signs of chronic or recurrent skin disease. Some such conditions are described below:-
- (i) Some amount of Palmoplantar Hyperhydrosis is physiological, considering the situation that recruits face during medical examination. However, candidates with significant Palmoplantar Hyperhydrosis will be considered unfit.
 - (ii) Mild (Grade I) Acne Vulgaris consisting of few comedones or papules, localized only to the face may be acceptable. However, moderate to severe degree of acne (nodulocystic type with or without keloidal scarring) or involving the back will be considered unfit.
 - (iii) Any degree of Palmoplantar Keratoderma manifesting with hyperkeratotic and fissured skin over the palms, soles and heels will be considered unfit.
 - (iv) Ichthyosis Vulgaris involving the upper and lower limbs, with evident dry, scaly, fissured skin will be considered unfit. Mild xerosis (dry skin) may be considered fit.
 - (v) Candidates having any keloids will be considered unfit.
 - (vi) Clinically evident onychomycosis of finger and toe-nails should be declared unfit, especially if associated with nail dystrophy. Mild degree of distal discolouration involving single nail without any dystrophy may be acceptable.
 - (vii) Giant congenital melanocytic naevi, greater than 10 cm will be considered unfit, as there is a malignant potential in such large sized naevi.
 - (viii) Small sized callosities, corns and warts may be considered acceptable after treatment. However candidates with multiple common warts or diffuse palmoplantar mosaic warts, large callosities on pressure areas of palms and soles and multiple corns will be rejected.
 - (ix) Psoriasis is a chronic skin condition known to relapse and/or recur and hence will be considered unfit.
 - (x) Candidates suffering from minor degree of Leukoderma affecting the covered parts may be accepted. Vitiligo limited only to glans and prepuce may be considered fit. Those having extensive degree of skin involvement and especially, when the exposed parts are affected, even to a minor degree, will not be accepted.
- (d) A history of chronic or recurrent attacks of skin infections will be cause for rejection. A simple attack of boils or sycosis from which there has been complete recovery may be considered for acceptance.
- (e) Individuals who have chronic or frequently recurring attacks of a skin disease of a serious or incapacitating nature e.g. eczema will be assessed as permanently unfit and rejected.
- (f) Any sign of Leprosy will be a cause for rejection.
- (g) Naevus depigmentosus and Becker's naevus may be considered fit. Intradermal naevus, vascular naevi may be considered unfit.
- (h) Mild Pityriasis Versicolor may be considered fit after treatment. Extensive Pityriasis Versicolor may be considered unfit.
- (j) Tinea Cruris and Tinea Corporis may be considered fit on recovery.
- (k) Scrotal Eczema may be considered fit on recovery.

- (l) Canities (premature graying stain) may be considered fit if mild in nature and no systemic association is seen.
- (m) Intertrigo may be considered fit on recovery.
- (n) Sexually Transmitted Diseases including Genital Ulcers will be considered unfit.
- (o) Scabies may be considered fit only on recovery.

19. Musculoskeletal System and Physical Capacity

- (a) Assessment of the candidate's physique is to be based upon careful observation of such general parameters as apparent muscular development, age, height, weight and the correlation of this i.e. potential ability to acquire physical stamina with training. The candidate's physical capacity is affected by general physical development or by any constitutional or pathological condition.
- (b) Past medical history of disease or injury of the spine or sacroiliac joints, either with or without objective signs, which has prevented the candidate from successfully following a physically active life, is a cause for rejection for commissioning. History of spinal fracture/prolapsed intervertebral disc and surgical treatment for these conditions will entail rejection.
- (c) Mild kyphosis or lordosis where deformity is barely noticeable and not associated with pain or restriction of movement may be accepted. When scoliosis is noticeable or any pathological condition of the spine is suspected, radiographic examination of the appropriate part of the spine needs to be carried out.
- (d) For flying duties, radiograph (AP and lateral views) of cervical, thoracic and lumbosacral spine is to be carried out. For ground duties, radiographic examination of spine may be carried out, if deemed necessary.
- (e) The following conditions detected radiologically will disqualify a candidate for Air Force Service:-
 - (i) Granulomatous disease of spine
 - (ii) Arthritis/Spondylosis
 - (aa) Rheumatoid arthritis and allied disorders.
 - (ab) Ankylosing Spondylitis.
 - (ac) Osteoarthritis, spondylosis and degenerative joint disease.
 - (ad) Non-articular rheumatism (e.g. lesions of the rotator cuff, tennis elbow, recurrent lumbago etc.).
 - (ae) Miscellaneous disorders including SLE, Polymyositis, and Vasculitis.
 - (af) Spondylolisthesis/ Spondylolysis.
 - (ag) Compression fracture of vertebra.
 - (ah) Scheuerman's Disease (Adolescent Kyphosis).
 - (aj) Loss of cervical lordosis when associated with clinically restricted movements of cervical spine.
 - (ak) Unilateral/Bilateral cervical ribs with demonstrable neurological or circulatory deficit.
 - (iii) Any other abnormality as so considered by the specialist.
- (f) The deformities/diseases contained in the above para will be cause for rejection for all branches in IAF. In addition for candidates for flying branches, the under mentioned rules will also apply:-
 - (i) Spinal Anomalies acceptable for Flying Duties.
 - (aa) Bilateral complete sacralisation of LV5 and bilateral complete lumbarisation of SV1.
 - (ab) Spina bifida in sacrum and in LV5, if completely sacralised.
 - (ac) Complete block (fused) vertebrae in cervical and/or dorsal spine at a single level.
 - (ii) Spinal Conditions not acceptable for Flying Duties.
 - (aa) Scoliosis more than 15 degree as measured by Cobb's method.
 - (ab) Degenerative Disc Disease.
 - (ac) Atlanto - occipital and atlanto-axial anomalies

- (ad) Hemi vertebra and/or incomplete block (fused) vertebra at any level in cervical, dorsal or lumbar spine and complete block (fused) vertebra at more than one level in cervical or dorsal spine.
 - (ae) Unilateral sacralisation or lumbarisation (complete or incomplete) at all levels and bilateral incomplete sacralisation or lumbarisation.
- (g) Conditions Affecting the Assessment of Upper Limbs
- (i) Candidate with an amputation of a limb will not be accepted for entry. Amputation of terminal phalanx of little finger on both sides is, however, acceptable.
 - (ii) Deformities of the upper limbs or their parts will be cause for rejection. Syndactyly and polydactyly will be assessed as unfit except when polydactyly is excised.
 - (iii) Painless limitation of movement of the wrist will be graded according to the degree of stiffness. Loss of dorsiflexion is more serious than loss of palmar flexion.
 - (iv) Slight limitation of movement of the elbow does not bar acceptance provided functional capacity is adequate. Ankylosis will entail rejection. Cubitus Valgus is said to be present when the carrying angle (angle between arm and forearm in anatomical posture) is exaggerated. In absence of functional disability and obvious cause like a fracture mal-union, fibrosis or the like, a carrying angle of upto 15° will be acceptable.
 - (v) History of recurrent dislocation of shoulder will entail rejection.
 - (vi) Malunion/non-union of an old fracture clavicle will entail rejection.
- (h) Conditions affecting the Assessment of Lower Limbs
- (i) Mild cases of Hallux Valgus (less than 20 degrees), asymptomatic, without any associated corn/callosities/bunion are acceptable. Other cases will entail rejection. Shortening of first metatarsal is also considered unfit.
 - (ii) Hallux Rigidus is not acceptable.
 - (iii) Isolated single flexible mild hammer toe without symptoms may be accepted. Fixed (rigid) deformity or hammer toe associated with corns, callosities, mallet toes or hyperextension at metatarsophalangeal joint (claw toe deformity) will be rejected.
 - (iv) Loss of any digit of the toes entails rejection.
 - (v) Extra digits will entail rejection if there is bony continuity with adjacent digits. Cases of syndactyly or loss of toes/fingers will be rejected.
 - (vi) Feet may look apparent flat. If the arches of the feet reappear on standing on toes, if the candidate can skip and run well on the toes and if the feet are supple, mobile and painless, the candidate is acceptable. Restriction of the movements of the foot will also be a cause for rejection. Rigidity of the foot, whatever may be the shape of the foot, is a cause for rejection.
 - (vii) Mild degree of idiopathic pes cavus is acceptable. Moderate and severe pes cavus and pes cavus due to organic disease will entail rejection. All cases of Talipes (Club Foot) will be rejected.
 - (viii) Any significant limitation of movement of the ankle joints following previous injuries will not be accepted. However, cases with no history of recurrent trouble and having plantar and dorsiflexion movement of at least 20 degree may be assessed fit for ground duties. Fitness for aircrew duties will be based on functional evaluation.
 - (ix) History or clinical signs suggestive of internal derangement of knee joint will need careful consideration. Fitness in such cases will be based on functional evaluation and possibility/progression/recurrence of the treated pathology.
 - (x) If the distance between the internal malleoli is less than 5 cm, without any other deformity, the candidate will be considered fit for Genu Valgum (Knock Knee). If the distance between the two internal malleoli is more than 5 cm, candidate will be declared unfit.
 - (xi) If the distance between the femoral condyles is within 10 cm the candidate will be considered fit for Genu Varum (Bow Legs).
 - (xii) If the hyperextension of the knee is within 10 degrees and is unaccompanied by any other deformity, the candidate will be accepted as fit for Genu Recurvatum.
 - (xiii) True lesions of the hip joint will entail rejection.

20. **Central Nervous System**

- (a) A candidate giving a history of mental illness/ psychological afflictions requires detailed investigation and psychiatric referral. Such cases will be rejected. Family history and prior history of using medication is also relevant.
- (b) History of insomnia, nightmares or frequent sleepwalking or bed-wetting, when recurrent or persistent, will be a cause for rejection.
- (c) Severe or 'throbbing' Headache and Migraine. Common types of recurrent headaches are those due to former head injury or migraine. Other forms of occasional headache must be considered in relation to their probable cause. A candidate with migraine, which was severe enough to make him consult a doctor, will be a cause for rejection. Even a single attack of migraine with visual disturbance or 'Migrainous epilepsy' is a bar to acceptance.
- (d) History of epilepsy in a candidate is a cause for rejection. Convulsions/fits after the age of five are also a cause for rejection. Convulsions in infancy may not be of ominous nature provided it appears that the convulsions were febrile convulsions and were not associated with any overt neurological deficit. Causes of epilepsy include genetic factors, traumatic brain injury, stroke, infection, demyelinating and degenerative disorders, birth defects, substance abuse and withdrawal seizures. Seizures may masquerade as "faints" and therefore the frequency and the conditions under which "faints" took place must be elicited. Seizure attacks indicate unsuitability for flying, whatever their apparent nature.
- (e) History of repeated attacks of heat stroke, hyperpyrexia or heat exhaustion bars employment for Air Force duties, as it is an evidence of a faulty heat regulating mechanism. A single severe attack of heat effects, provided the history of exposure was severe, and no permanent sequelae were evident is, by itself, not a reason for rejecting the candidate.
- (f) A history of severe head injury or Concussion is a cause for rejection. The degree of severity may be gauged from the history of duration of Post Traumatic Amnesia (PTA). Other sequelae of head injury are post concussion syndrome which has subjective symptoms of headache, giddiness, insomnia, restlessness, irritability, poor concentration and attention deficits; focal neurological deficit, and post traumatic epilepsy. Post traumatic neuropsychological impairment can also occur which includes deficits in attention concentration, information processing speeds, mental flexibility and frontal lobe executive functions and psychosocial functioning. Fracture of the skull will not be a cause for rejection unless there is a history of associated intracranial damage or of depressed fracture or loss of bone. When there is a history of severe injury or an associated convulsive attack, an electroencephalogram will be carried out which must be normal. Presence of burr holes will be cause for rejection for flying duties, but not for ground duties. Each case is to be judged on individual merits. Opinion of Neurosurgeon and Psychiatrist must be obtained before acceptance.
- (g) When a family history of Psychological Disorders like nervous breakdown, mental disease, or suicide of a near relative is obtained, a careful investigation of the personal past history from a psychological point of view is to be obtained. While such a history per se is not a bar to Air Force duties, any evidence of even the slightest psychological instability in the personal history or present condition, will entail rejection.
- (h) If a family history of epilepsy is admitted an attempt should be made to determine its type. When the condition has occurred in a near (first degree) relative, the candidate may be accepted, if he has no history of associated disturbance of consciousness, neurological deficit or higher mental functions and his electroencephalogram is completely normal.
- (j) The assessment of emotional stability must include family and personal history, any indication of emotional instability under stress as evidenced by the occurrence of undue emotionalism as a child or of any previous nervous illness or breakdown. The presence of stammering, tic, nail biting, excessive hyperhidrosis or restlessness during examination is indicative of emotional instability.
- (k) Candidates who are suffering from psychosis will be rejected. Drug dependence in any form will also be a cause for rejection.
- (l) Mentally unstable and neurotic individuals are unfit for commissioning. Juvenile and adult delinquency, history of nervous breakdown or chronic ill health will be causes for rejection. Particular attention will be paid to such factors as unhappy childhood, poor family background, truancy, juvenile and adult delinquency, poor employment and social maladjustment records, history of nervous breakdown or chronic ill-health, particularly if these have interfered with employment in the past.
- (m) Any evident neurological deficit (Organic Nervous Conditions) will call for rejection.

(n) Tremors are rhythmic oscillatory movements of reciprocally innervated muscle groups. Tremors occur in cases of excessive fright, anger, anxiety, intense physical exertion, metabolic disturbances including hyperthyroidism, alcohol withdrawal and toxic effects of lithium, smoking (nicotine) and excessive tea, coffee. Other causes of coarse tremor are Parkinsonism, cerebellar (intention) tremor, essential (familial) tremor, tremors of neuropathy and postural or action tremors.

(o) Candidates with stammering will not be accepted for Air Force duties. Careful assessment by ENT Specialist, Speech therapist, psychologist/ psychiatrist may be obtained in doubtful cases.

(p) Only those candidates for aircrew duties will be subjected to Basal Electroencephalogram EEG examination. Those with following EEG abnormalities in resting EEG or EEG under provocative techniques will be rejected for aircrew duties:-

(i) Background Activity. Focal, excessive and high amplitude beta activity/hemispherical asymmetry of more than 2.3 Hz/generalized and focal runs of slow waves approaching background activity in amplitude.

(ii) Hyperventilation. Paroxysmal spikes and slow waves/spikes/focal spike pattern.

(iii) Photo Stimulation. Bilaterally synchronous or focal paroxysmal spikes and slow waves persisting in post-photic stimulation period/suppression or driving response over one hemisphere.

(q) Non specific EEG abnormality will be acceptable provided opinion of Neuropsychiatrist/Neurophysician is obtained. In case an EEG is reported as abnormal, the candidate would be referred to CHAF (B) for a comprehensive evaluation by neurophysician followed by review by a Board at IAM IAF.

21. **Ear, Nose and Throat.**

(a) **Nose and Paranasal Sinuses**

(i) Obstruction to free breathing as a result of a marked septal deviation is a cause for rejection. Post correction surgery with residual mild deviation with adequate airway will be acceptable.

(ii) Any septal perforation will entail rejection.

(iii) Atrophic rhinitis will entail rejection.

(iv) Cases of allergic rhinitis will entail rejection for flying duties.

(v) Any infection of paranasal sinuses will be declared unfit. Such cases will be accepted following successful treatment during Appeal Medical Board.

(vi) Multiple polyposis will be a cause for rejection.

(b) **Oral Cavity and Throat**

(i) Candidates where tonsillectomy is indicated will be rejected. Such candidates will be accepted after successful surgery during Appeal Medical Board.

(ii) The presence of a cleft palate will be a cause for rejection.

(iii) Any disabling condition of the pharynx or larynx including persistent hoarseness of voice will entail rejection.

(c) Obstruction or insufficiency of Eustachian tube function will be a cause for rejection.

(d) The presence of tinnitus necessitates investigation of its duration, localization, severity and possible causation. Persistent tinnitus is a cause for rejection, as it is liable to become worse through exposure to noise and may be a precursor to Otosclerosis and Meniere's disease.

(e) Specific enquiry will be made for any susceptibility to motion sickness. Such cases will be fully evaluated and, if found susceptible to motion sickness, they will be rejected for flying duties.

(f) A candidate with a history of dizziness needs to be investigated thoroughly.

(g) **Hearing loss**

(i) Free field hearing loss is a cause for rejection.

(ii) Audiometric loss should not be greater than 20 db, in frequencies between 250 and 8000 Hz. On the recommendation of an ENT Specialist, an isolated unilateral hearing loss up to 30 db may be condoned provided ENT examination is otherwise normal.

- (h) A radical/modified radical mastoidectomy entails rejection even if completely epithelialised and good hearing is preserved. Cases of cortical mastoidectomy in the past with the tympanic membrane intact, normal hearing and presenting no evidence of disease may be accepted.
- (j) Cases of chronic otitis externa accompanied by exostoses or unduly narrow meatus will be rejected. Exaggerated tortuosity of the canal, obliterating the anterior view of the tympanic membrane will be a cause for rejection.
- (k) Tympanoplasty Type I is acceptable twelve weeks after surgery, provided ear clearance test in altitude chamber is normal. The following middle ear conditions will entail rejection:-
- (i) Attic, central or marginal perforation.
 - (ii) Tympanic membrane scar with marked retraction.
 - (iii) Tympanoplasty Type II onward but not Type I.
 - (iv) Calcareous plaques (tympanosclerosis) if occupying more than 1/3 of pars tensa.
 - (v) Middle ear infections.
 - (vi) Granulation or polyp in external auditory canal.
 - (vii) Stapedectomy operation.
- (l) Miscellaneous Ear Conditions. The following ear conditions will entail rejection:-
- (i) Otosclerosis.
 - (ii) Meniere's disease.
 - (iii) Vestibular dysfunction including nystagmus of vestibular origin.
 - (iv) Bell's palsy following ear infection.

22. Ophthalmic System

- (a) Visual defects and medical ophthalmic conditions are amongst the major causes of rejection for flying duties.
- (b) Personal and Family History and External Examination.
- (i) Squint and the need for spectacles for other reasons are frequently hereditary and a family history may give valuable information on the degree of deterioration to be anticipated. Candidates, who are wearing spectacles or found to have defective vision, will be properly assessed.
 - (ii) Ptosis interfering with vision or visual field is a cause for rejection till surgical correction remains successful for a period of six months. Candidates with uncontrollable blepharitis, particularly with loss of eyelashes, are generally unsuitable and will be rejected. Severe cases of blepharitis and chronic conjunctivitis will be assessed as temporarily unfit until the response to treatment can be assessed.
 - (iii) Naso-lacrymal occlusion producing epiphora or a mucocele entails rejection, unless surgery produces relief lasting for a minimum of six months.
 - (iv) Uveitis (iritis, cyclitis, and choroiditis) is frequently recurrent, and candidates giving a history of or exhibiting this condition will be carefully assessed. When there is evidence of permanent lesions such candidates will be rejected.
 - (v) Corneal scars, opacities will be cause for rejection unless it does not interfere with vision. Such cases will be carefully assessed before acceptance, as many conditions are recurrent.
 - (vi) Cases with Lenticular opacities will be assessed carefully. As a guideline any opacity causing visual deterioration, or is in the visual axis iris present in an area of 7 mm around the pupil, which may cause glare phenomena, will not be considered fit. The propensity of the opacities not to increase in number or size will also be a consideration when deciding fitness.
 - (vii) Visual disturbances associated with headaches of a migrainous type are not a strictly ocular problem, and will be assessed accordingly. Presence of diplopia or detection of nystagmus requires proper examination, as they can be due to physiological reasons.
 - (viii) Night blindness is largely congenital but certain diseases of the eye exhibit night blindness as an early symptom and hence, proper investigations are necessary before final assessment. As tests for night blindness are not routinely performed, a certificate to this effect that the individual does

not suffer from night blindness will be obtained in every case. Certificate will be as per **Appendix-B** to the draft rules.

- (ix) Restriction of movements of the eyeball in any direction and undue depression/ prominence of the eyeball requires proper assessment.
- (c) The visual acuity and colour vision requirements are detailed in **Appendix- C** to this rule. Those who do not meet these requirements will be rejected.
- (d) If there is a strong family history of Myopia, particularly if it is established that the visual defect is recent, if physical growth is still expected, or if the fundus appearance is suggestive of progressive myopia, even if the visual acuity is within the limit prescribed, the candidate will be declared unfit.
- (e) Refractive Surgeries. Candidates who have undergone PRK (Photo Refractive Keratotomy)/ LASIK (LASER In Situ Keratomileusis) may be considered fit for commissioning in the Air Force all branches.
- (f) The following criteria must be satisfied prior to selecting post PRK/ LASIK candidates:-
- (i) PRK/ LASIK surgery should not have been carried out before the age of 20 years.
 - (ii) The axial length of the eye should not be more than 25.5 mm as measured by IOL master.
 - (iii) At least 12 months should have elapsed post uncomplicated stable PRK/ LASIK with no history or evidence of any complication.
 - (iv) The post PRK/ LASIK corneal thickness as measured by a corneal pachymeter should not be less than 450 microns.
 - (v) Individuals with high refractive errors (>6D) prior to PRK/ LASIK are to be excluded.
- (g) Radial Keratotomy (RK) surgery for correction of refractive errors is not permitted for any Air Force duties. Candidates having undergone cataract surgery with or without IOL implants will also be declared unfit.
- (h) Ocular Muscle Balance
- (i) Individuals with manifest squint are not acceptable for commissioning.
 - (ii) The assessment of latent squint or heterophoria in the case of aircrew will be mainly based on the assessment of the fusion capacity. A strong fusion sense ensures the maintenance of binocular vision in the face of stress and fatigue. Hence, it is the main criterion for acceptability.
 - (aa) Convergence.
 - (aaa) Objective Convergence. Average is from 6.5 to 8 cm. It is poor at 10 cm and above.
 - (aab) Subjective Convergence (SC). This indicates the end point of binocular vision under the stress of convergence. If the subjective convergence is more than 10 cm beyond the limit of objective convergence, the fusion capacity is poor. This is specially so when the objective convergence is 10 cm and above.
 - (ab) Accommodation. In the case of myopes, accommodation should be assessed with corrective glasses in position. The acceptable values for accommodation in various age groups are given in table below:-

Age in Years	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45
Accommodation (in cm)	10-11	11-12	12.5-13.5	14-16	16-18.5	18.5-27

- (j) Ocular muscle balance is dynamic and varies with concentration, anxiety, fatigue, hypoxia, drugs and alcohol. The above tests will be considered together for the final assessment. For example, cases just beyond the maximum limits of the Maddox Rod test, but who show a good binocular response, a good objective convergence with little difference from subjective convergence, and full and rapid recovery on the cover tests may be accepted. On the other hand, cases well within Maddox Rod test limits, but who show little or no fusion capacity, incomplete or no recovery on the cover tests, and poor subjective convergence will be rejected. Standards for assessment of Ocular Muscle Balance are mentioned in **Appendix- C** to the draft rules.

(k) Any clinical findings in the media (cornea, lens, vitreous) or fundus, which is of pathological nature and likely to progress will be a cause for rejection. This examination will be done by slit lamp and ophthalmoscopy under mydriasis.

23. Haemopoietic System

(a) All candidates will be examined for clinical evidence of pallor (anaemia), malnutrition, icterus, peripheral lymphadenopathy, purpura, petechiae/ ecchymoses and hepatosplenomegaly.

(b) In the event of laboratory confirmation of anaemia (<13g/dl in males), further evaluation to ascertain type of anaemia and aetiology will be carried out. This will include a complete haemogram (to include the PCV MCV, MCH, MCHC, TRBC, TWBC, DLC, Platelet count, reticulocyte count and ESR) and a peripheral blood smear. All the other tests to establish the aetiology will be carried out, as required. Ultrasonography of abdomen for gallstones, upper GI Endoscopy/ proctoscopy and hemoglobin electrophoresis etc. will be done, as indicated, and the fitness of the candidate, decided on the merit of each case.

(c) Candidates with mild microcytic hypochromic (Iron deficiency anaemia) or dimorphic anaemia (Hb< 11.5g/dl in males), in the first instance, will be made temporarily unfit for a period of 04 to 06 weeks followed by review thereafter. These candidates can be accepted, if the complete haemogram and PCV, peripheral smear results are within the normal range. Candidates with macrocytic/megaloblastic anaemia will be assessed unfit.

(d) All candidates with evidence of hereditary haemolytic anaemias (due to red cell membrane defect or due to red cell enzyme deficiencies) and haemoglobinopathies (Sickle cell disease, Beta Thalassaemia: Major, Intermedia, Minor, Trait and Alpha Thalassaemia etc.) will be considered unfit for service.

(e) In the presence of history of haemorrhage into the skin like ecchymosis/ petechiae, epistaxis, bleeding from gums and alimentary tract, persistent bleeding after minor trauma or lacerations / tooth extraction and any family history of haemophilia or other bleeding disorders a full evaluation will be carried out. These cases will not be acceptable for entry to service. All candidates with clinical evidence of purpura or evidence of thrombocytopenia will be considered unfit for service.

(f) Candidates with history of haemophilia, von Willebrand's disease, on evaluation, will be declared unfit for service at entry level.

Appendix A

[Refers to Para 12]

Male Ideal Nude Weights for Different Age Groups and Heights for

NDA (Flying & Ground Duty) Candidates on Entry

(10% variation on higher side of average acceptable)

Height (in cm)	Age Range (in Years) / Weight (in Kgs)			
	15-16	16-17	17-18	18-19
152	41	42.5	44	45
155	42	43.5	45.3	47
157	43	45	47	48
160	45	46.5	48	49
162	46	48	50	51
165	48	50	52	53
167	49	51	53	54
170	51	52.5	55	56
173	52.5	54.5	57	58
175	54.5	56	59	60
178	56	58	61	62
180	58.5	60	63	64.5

183	61	62.5	65	66.5
-----	----	------	----	------

Appendix B

[Refers to para 22 (b) (viii)]

Certificate Regarding Night Blindness

Name with Initials _____ Chest No _____

Batch No. _____

I hereby certify that to the best of my knowledge, there has not been any case of night blindness in our family, and I do not suffer from it.

Date:

(Signature of the candidate)

Countersigned by

(Name of Medical Officer)

Appendix C

[Refers to Para 22 (c)]

Visual Standards for NDA (Flying & Ground Duty)**Candidates on Entry**

Sl No	Branch	Maximum Limits of Refractive Error	Visual Acuity Errors	Colour Vision
1	F(P) including WSOs	Hypermetropia: + 2.0D Sph Manifest Myopia: Nil Retinoscopic myopia: - 0.5 in any meridian permitted Astigmatism: ± 0.75 D Cyl (within + 2.0D Max)	6/6 in one eye and 6/9 in other, correctable to 6/6 only for Hypermetropia	CP-I
2	Aircrew other than F(P)	Hypermetropia: +3.5D Sph Myopia: - 2.0D Sph Astigmatism: ± 0.75 D Cyl	6/24 in one eye and 6/36 in other, correctable to 6/6 and 6/9	CP-I
3	Adm/ Adm (ATC)/ Adm (FC)	Hypermetropia: + 3.5D Sph Myopia: - 3.5D Sph Astigmatism: ± 2.5 D Cyl in any meridian	Corrected visual acuity should be 6/9 in each eye.	CP-II
4	AE(M)/ AE(L)	Hypermetropia: + 3.5 D Sph Myopia: - 3.50 D Sph Astigmatism: ± 2.5 D Cyl in any meridian	Corrected visual acuity should be 6/9 in each eye. Wearing of glasses will be compulsory when advised	CP-II
5	Met	Hypermetropia: + 3.5 D Sph Myopia: - 3.50 D Sph Astigmatism: ± 2.50 D Cyl	Corrected visual acuity should be 6/6 in the better eye and 6/18 in the worse eye. Wearing of Glasses will be compulsory.	CP-II
6	Accts/ Lgs/Edn	Hypermetropia: + 3.5 D Sph Myopia: - 3.50 D Sph Astigmatism: ± 2.50 D Cyl	Corrected visual acuity should be 6/6 in the better eye and 6/18 in the worse eye. Wearing of Glasses will be compulsory.	CP-III

Note:

Ocular muscle balance for personnel covered in Sl. Nos. 1 and 2 should conform to the table given below:-

Standard of Ocular Muscle Balance for Flying Duties

Sl No	Test	Fit	Temporary Unfit	Permanently Unfit
1	Maddox Rod Test at 6 meters	Exo- 6 Prism D Eso- 6 Prism D Hyper- 1 Prism D Hypo- 1 Prism D	Exo- Greater than 6 prism D Eso- Greater than 6 prism D Hyper- Greater than 1 prism D Hypo- Greater than 1 prism D	Unocular suppression Hyper/Hypo more than 2 prism D
2	Maddox Rod Test at 33 cm	Exo-16 Prism D Eso- 6 Prism D Hyper- 1 Prism D Hypo- 1 Prism D	Exo- Greater than 16 prism D Eso- Greater than 6 prism D Hyper- Greater than 1 prism D Hypo- Greater than 1 prism D	Unocular suppression Hyper/Hypo more than 2 prism D
3	Hand held Stereoscope	All of BSV grades	Poor Fusional reserves	Absence of SMP, fusion Stereopsis
4	Convergence	Up to 10 cm	Up to 15 cm with effort	Greater than 15 cm with effort
5	Cover Test for Distance and Near	Latent divergence /convergence recovery rapid and complete	Compensated heterophoria/ trophia likely to improve with treatment /persisting even after treatment	Compensated heterophoria

Note 2. Visual standards of Air Wing Cadets at NDA and Flt Cds of F (P) at AFA should conform to A1G1 F (P) standard (Sl. No. 1)

Note 3. The Sph correction factors mentioned above will be inclusive of the specified astigmatic correction factor. A minimum correction factor upto the specified visual acuity standard can be accepted.

APPENDIX-III**(BRIEF PARTICULARS OF THE SERVICE ETC.)**

- Before a candidate joins the Academy, the parent or guardian will be required to sign :-
 - A certificate to the effect that he fully understands that he or his son or ward shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which his son or ward may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.
 - A bond to the effect that if, on account of his dismissal or discharge or withdrawal from National Defence Academy for knowingly furnishing false particulars or suppressing material information in his application for admission to the said National Defence Academy or in the event of his being dismissed or discharged or withdrawn on disciplinary grounds from the said, National Defence Academy or for any reason not beyond the control of the cadet, he does not complete the prescribed period of training, or he, the cadet, does not accept a Commission if offered as conventated above, then the Guarantors and the cadet shall jointly and severally be liable to pay forthwith to Government in cash sums as the Government shall fix but not exceeding such expenses as shall have been incurred by the Government on account of the Cadet on his training and all the money received by the Cadets as pay and allowance from the Government together with interest on the said money calculated at the rate in force for Government loans.
- The cost of training including accommodation, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by the Government. Parents or guardians of cadets, will, however, be required to meet their pocket and other private expenses. Normally these expenses are not likely to exceed Rs. 3000.00 p.m. If in any case a cadet's parents or guardian is unable to meet wholly or partly even this expenditure financial assistance of Rs. 1000.00 p.m. for the period of training may be granted by the Government whose parents income is less than Rs. 21,000/- per month. Cadet whose parent's or guardian's income exceeds Rs. 21,000/- per month will not be liable for the assistance. If more than one son/ward simultaneously undergoing training at NDA, IMA, OTA and corresponding training establishment in the Navy and Air Force, then BOTH would be eligible for the financial assistance.

The parent/guardian of a candidate desirous of having financial assistance from the Government should immediately after his son/ward having been finally selected for training at the National Defence Academy submit an application through the District Magistrate of his District who will forward the application with his recommendation to the Commandant, National Defence Academy, Khadakwasla, Pune-411023.

3. Candidates finally selected for training at the Academy will be required to deposit the following amount with the Commandant, National Defence Academy, on their arrival there :—

(a) Pocket allowance for five months @ Rs.3000.00 p.m.	Rs. 15000.00
(b) For items of clothing and equipment	Rs. 21831.00
(c) Army Group Insurance Fund	Rs. 7200.00
(d) Clothing items required at the time of joining	Rs. 8681.00
(e) Incidental Expenditure during 1st Semester	Rs. 7138.00
Total	Rs. 59850.00

Out of the amount mentioned above the following amount is refundable to the candidates in the event of financial aid being sanctioned to them:-

(a) Pocket allowance for five months @ Rs. 400.00 per month (Corresponding to Govt. Financial Assistance)	Rs. 2000.00
(b) For items of clothing and equipment approximately	Rs. 13935.00

4. The following Scholarships/Financial Assistance are tenable at the National Defence Academy.

(1) PARASHURAM BHAU PATWARDHAN SCHOLARSHIP—This Scholarship is granted to cadets overall first in Academics of Passing out Course. One time scholarship amount is Rs. 5000/-.

(2) COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL SCHOLARSHIP—This scholarship is of the value of Rs. 4800.00 per annum and awarded to a MARATHA cadet who should be the son of an ex-serviceman. The scholarship is in addition to any financial assistance from the Government.

(3) KAUR SINGH MEMORIAL SCHOLARSHIP—Two scholarships are awarded to cadets who obtain the highest position amongst candidates from BIHAR. The value of each scholarship is Rs. 37.00 per mensem tenable for a maximum period of 4 years during the training at the National Defence Academy, Khadakwasla and thereafter at the Indian Military Academy, Dehra Dun and the Air Force Flying College; and Indian Naval Academy, Ezhimala where the cadets may be sent for training on completion of their training at the National Defence Academy. The scholarship will, however, be continued subject to maintaining good progress at the above institution.

(4) ASSAM GOVERNMENT SCHOLARSHIP—Two scholarships will be awarded to the cadets from ASSAM. The value of each scholarship is Rs. 30.00 per mensem and is tenable for the duration of a cadet's stay at the National Defence Academy. The scholarships will be awarded to the two best cadets from ASSAM without any reference to the income of their parents. The cadets who are granted this scholarship will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(5) UTTAR PRADESH GOVERNMENT INCENTIVE SCHEME—Uttar Pradesh Sainik Punarvas Nidhi a Trust under Hon'ble Governor of Uttar Pradesh has started a incentive scheme for cadets joining NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/Women Entry who are dependents of ex servicemen upto JCO rank of Uttar Pradesh in which there is a provision of one time grant of Rs 25,000/- per candidate

(6) KERALA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS—All male/female cadets irrespective of gender and without any pre conditions to all Kerala state cadets who are admitted to OTA,NDA, IMA, Naval Academy, Air force Academy, Armed Forces Medical College, RIMC Schools, as a consolation shall be granted Rs 2,00,000/- only and those who get admission to Military, Naval and Air force Nursing Schools shall be granted as a consolation Rs 1,00,000/-.

(7) BIHARI LAL MANDAKINI PRIZE—This is cash prize of Rs. 500.00 available for the best BENGALI boy in each Course of the Academy. Application Forms are available with the Commandant, National Defence Academy.

(8) ORISSA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS—These scholarships, one for the Army, one for the Navy and the other for the Air Force of the value of Rs. 80.00 each per month will be awarded by the Government of Orissa to the cadets who are permanent residents of the State of ORISSA. Two of these scholarships will be awarded on the basis of merit-cum-means of the cadets whose parent's or guardian's income does not exceed Rs. 5,000/- per annum and the other one will be given to the best cadet irrespective of his parent's or guardian's income.

S.No.	State Government	Amount	Eligibility
(9)	West Bengal Initial Lump sum grant Scholarship per semester	Low Middle High 5000/- 3750/ 2500/- 1800/- 1350/- 900/-	(i) The cadet must be Indian Citizen and the cadet and/or his of/or permanently domiciled in the State of West Bengal. (ii) The Cadet is not in receipt of any other financial assistance/grant from the Govt. of India and/or the State Government or any other authority excepting scholarship or stipend received on merit.
	Table Income group Low - up to Rs. 9000/-pm Middle - Rs. 9001/- to Rs. 18000/-pm High - Above 18000/-pm		
(10)	Goa	Rs. 1000/- per month during the period of training (subject to a maximum of 24 months or duration of the course whichever is less) & one time outfit allowance of Rs. 12,000/-	(i) The income limit of the cadet's parent/guardian shall not exceed Rs. 15,000/- pm (Rs. 1,80,000/- per annum). (ii) The income limit of those belonging to SC/ST/OBC should not exceed Rs. 37,500/- per month (Rs. 4,50,000/- per annum). (iii) He should not be receiving financial assistance/ freeship from any other source.
(11)	Nagaland	Rs. 1,00,000/- onetime payment	Should be domicile of Nagaland State.
(12)	Manipur	Rs. 1,00,000/- onetime payment	Should be domicile of Manipur State.
(13)	Arunachal Pradesh	Scholarship Rs.1,000/- pm One time outfit Allowance Rs. 12,000/-	Should be domicile of Arunachal Pradesh State.
(14)	Gujarat	Scholarship Rs. 6,000/- per annum	To the ward of Serving/Ex-servicemen (including Ex/ Serving Officer) of Native/ Domicile of Gujarat.
(15)	<u>Uttarakhand</u> (a) Pocket Money Rs. 250/- pm for NDA Cadets of Uttarakhand domicile is paid to father/guardian of cadets (Ex-Servicemen/Widow, through respective Zilla Sainik Kalyan Officers.) (b) Cash Award of Rs. 50,000/- for NDA Cadets of Uttarakhand domicile is paid to father/guardian of cadets through Directorate of Higher Education, Haldwani.		
(16)	Punjab	Rs. 1,00,000/-(one time payment)	Should be domicile of Punjab State.
(17)	State Govt. Sikkim	Rs.1.5 lakhs for all Officers entry schemes	Award for successful candidates of Sikkim for all Officer'sentry schemes.
(18)	<u>Flag Officer Anuj Nanchal Memorial Scholarship.</u> Rs. 1500/- (One time payment) – Second best all round Air Force cadet of VI term		
(19)	<u>Pilot Officer Gurmeet Singh Bedi Memorial Scholarship.</u> Pilot Officer Gurmeet Singh Bedi Memorial Scholarship. Rs. 1500/- (One time payment). Best all round Air Force cadet at the time of Passing Out of VI term.		

(20) HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT SCHOLARSHIP—Four scholarships will be awarded to cadets from HIMACHAL PRADESH. The value of each scholarship is Rs. 30.00 per month during the first two years of training and Rs. 48.00 per month during the third year of training. These scholarships will be available to those cadets whose parent's income is below Rs. 500.00 per month. No cadet in receipt of financial assistance from the Government will be eligible for this scholarship.

(21) TAMIL NADU GOVERNMENT SCHOLARSHIP—The Government of Tamil Nadu has instituted at NDA one scholarship per course of the value of Rs. 30/- per month plus an outfit allowance of Rs. 400/- (one only during the entire period of cadet's training) to be awarded to a cadet belonging to the State of TAMIL NADU whose parent's/guardian's monthly income does not exceed Rs. 500/-. The application by an eligible cadet can be made to the Commandant, National Defence Academy on their arrival.

(22) KARNATAKA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS—The Govt. of Karnataka has awarded scholarships to cadets from Karnataka State who join the National Defence Academy. The value of the scholarship shall be Rs. 1000/- (Rupees One thousand) per month and outfit allowance of Rs. 12000/- in first term.

(23) ALBERT EKKA SCHOLARSHIP—The Government of Bihar has instituted at NDA 25 Merit Scholarships at Rs. 50/- per month for entire period of six terms at the NDA and Rs. 650/- one time towards clothing and equipment. The cadet awarded the above merit scholarship would not be eligible for any other scholarship or financial assistance from the Government. The application by an eligible cadet can be made to the Commandant, National Defence Academy on their arrival.

(24) FLAG OFFICER DV PINTOO MEMORIAL SCHOLARSHIP—Gp Capt. M Vashishta has instituted 3 scholarships of Rs. 125/- each per month at NDA for one term to be awarded to the first three cadets in the order of merit on completion of their first semester till end of second term. The cadets in receipt of Govt. Financial Assistance will not be eligible for the above scholarships. The application for eligible cadets can be made to the Commandant, NDA on arrival.

(25) FINANCIAL ASSISTANCE TO WARDS OF EX-SERVICEMEN—MAHARASHTRA STATE

The wards of Maharashtrian ex-service officers/men who are undergoing training as cadets at NDA will be given Rs. 50,000/- as one-time incentive.

The parents/guardians of the wards should submit their applications to their respective Zilla Sainik Welfare Office along with the certificates obtained from the Academy. Terms and conditions governing these scholarships are obtainable from the Commandant, National Defence Academy, Khadakwasla, Pune – 411 023.

(26) AWARD OF FINANCIAL ASSISTANCE TO CANDIDATES OF HARYANA DOMICILE UNDER TRAINING AT NDA.

The Haryana State Govt. has declared a cash award of Rs. 1,00,000/- (Rupees one lakh) to every individual who successfully completes the training at NDA/IMA/OTA and other Defence Academies of National Status and domicile of State of Haryana.

(27) INCENTIVE GRANT TO CADETS DOMICILE OF UT, CHANDIGARH UNDER TRAINING AT NDA.

Chandigarh Administration has introduced the scheme for grant of one time incentive of Rs. 1,00,000/- (Rupees one lakh) to the cadets who are resident of UT, Chandigarh and joined NDA.

(28) SCHOLARSHIP/GRANT FOR NCT DELHI.

The cadets undergoing training at NDA and who are bonafide residents of NCT Delhi will get a monthly grant of Rs 2000/-. A bonafide resident would mean those cadets whose permanent home address recorded in the documents at the time of joining NDA is that of National Capital Territory of Delhi (and does not include NCR). This would be needed to be supported with a copy of the residence proof (Aadhaar Card, Voter Identity Card, Service Records of their parent etc.)

5. Immediately after the selected candidates join the Academy, a preliminary examination will be held in the following subjects:

- (a) English;
- (b) Mathematics;
- (c) Science;
- (d) Hindi.

The standard of the examination in the subjects at (a), (b) and (c) will not be higher than that of the Higher Secondary Examination of an Indian University or Board of Higher Secondary Education. The paper in the subject at (d) is intended to test the standard attained by the candidate in Hindi at the time of joining the Academy. Candidates are, therefore, advised not to neglect their studies after the competitive examination.

TRAINING

6. The selected candidates for the three services viz, Army, Navy and Air Force are given preliminary training both academic and physical for a period of 3 years at the National Defence Academy which is an Inter-Service Institution. The training during the first two and half years is common to the cadets of three wings. All the cadets on passing out will be awarded degrees from Jawaharlal Nehru University Delhi as under:-

- | | | |
|-----|------------------|---|
| (a) | Army Cadets | - B.Sc/ B.Sc (Computer)/ B.A |
| (b) | Naval Cadets | - B. Tech Degree* |
| (c) | Air Force Cadets | - B. Tech Degree* /B.Sc/B.Sc (Computer) |

Note* : All the cadets undergoing B.Sc/B.SC(Computer)/BA Degree programme shall be awarded the degree on the successful completion of Academics, Physical and Service Training at NDA. All the cadets undergoing B Tech programme shall be awarded the B. Tech degree on the subsequent Pre Commissioning Training Academies/ Institutions/ Ships/ Air Craft.

The selected candidates of the Naval Academy will be given preliminary training both academic and physical, for a period of 04 years at Indian Naval Academy, Ezhimala. The cadets of 10+2 Cadet Entry Scheme will be awarded a

B. Tech Degree on successful completion of training.

7. On passing out from the National Defence Academy, Army Cadets go to the Indian Military Academy, Dehra Dun, Naval Cadets to Indian Naval Academy, Ezhimala and Air Force cadets and Ground Duty-Non Tech streams to Air Force Academy, Hyderabad and Air Force cadets of Ground Duty-Tech stream to Air Force Technical College, Bengaluru.

8. At the I.M.A, Army Cadets are known as Gentlemen Cadets and are given strenuous military training for a period of one year aimed at turning them into officer capable of leading infantry Sub-units. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Permanent Commission in the rank of Lt subject to being medically fit in "SHAPE" one.

9. (a) The Naval cadets are selected for the Executive Branch of the Navy, on passing out from the National Defence Academy and are given further training at Indian Naval Academy, Ezhimala for a period of one year on successful completion of which they are promoted to the rank of Sub Lieutenants.

(b) Selected candidates for the Naval Academy under (10+2 Cadet Entry Scheme) will be inducted as Cadets for four year B.Tech course in Applied Electronics & Communication Engineering (for Executive Branch), Mechanical Engineering (for Engineering Branch including Naval Architect specialization) or Electronics & Communication Engineering (for Electrical Branch) as per Naval requirements. On completion of the course, B. Tech Degree will be awarded by Jawaharlal Nehru University (JNU).

10. (a) Air Force Cadets receive flying training for a period of 1½ years. However, at the end of 1 year of training they are given provisional Commission in the rank of Flying Officer. After successful completion of further training of six months they are absorbed as permanent commissioned officers on probation for a period of one year.

(b) Air Force Ground Duties Branch Cadets receive stream wise specialist training for a period of one year. At the end of one year of training they are given provisional commission in the rank of Flying Officer. Subsequently, they are absorbed as permanent commissioned officers on probation of one year.

TERMS AND CONDITIONS OF SERVICES

11. Army Officers and equivalent ranks in Air Force and Navy

(a) Fixed Stipend for Cadet Training

Stipend to Gentlemen Cadets during the entire duration of training in Service academies i.e. during training period at IMA.	Rs 56,100/-p.m.* (Starting pay in Level 10)
---	--

*On successful commissioning, the pay in the Pay matrix of the Officer commissioned shall be fixed in first Cell of Level 10 and the period of training shall not be treated as commissioned service and

arrears on account of admissible allowances, as applicable, for the training period shall be paid to cadets.

(b) **Pay**

(i) Rank	Pay Level (in Rs.)
Lt to Maj	Lt - Level 10 (56,100 – 1,77,500)/- Capt - Level 10 B (61,300-1,93,900)/- Maj - Level 11 (69,400 – 2,07,200)/-
Lt Col to Maj Gen	Lt Col - Level 12A (1,21,200 – 2,12,400)/- Col - Level 13 (1,30,600 – 2,15,900)/- Brig - Level 13A (1,39,600 – 2,17,600)/- Maj Gen - Level 14 (1,44,200 – 2,18,200)/-
Lt Gen (HAG Scale)	Level 15 (1,82,200 – 2,24,100)/-
Lt Gen (HAG+Scale)	Level 16 (2,05,400 – 2,24,400)/-
VCOAS/Army Cdr/ Lt Gen (NFSG)	Level 17 (2,25,000/-) (fixed)
COAS	Level 18 (2,50,000/-) (fixed)

(ii) **MSP to the officer is as follows:-**

Military Service Pay(MSP) to the officers from the rank of Lt to Brig	Rs 15,500 p.m. fixed
---	----------------------

(iii) **Flying Allowance:** The Army Aviators (Pilots) serving in the Army Aviation Corps are entitled to flying allowance at Rs 25,000/- p.m.

(iv) **Other allowance:-**

Dearness Allowance	Admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the civilian personnel from time to time.
Para Allowance	Rs 10,500/- pm
Para Reserve Allowance	Rs 2,625/- pm
Para Jump Instructor Allowance	Rs 10,500/- pm
Project Allowance	Rs 3,400/- pm
Special Forces Allowance	Rs 25,000/- pm
Technical Allce (Tier-I)	Rs 3,000/- pm
Technical Allowance (Tier-II)	Rs 4,500/- pm

(v) Depending upon rank and area of posting, officer posted to Field Areas will be eligible for the following Field Area allowances:-

Level	Highly Active Field Area Allce	Field Area Allce	Modified Field Area Allce
Officers	Rs 16,900/- pm	Rs 10,500/- pm	Rs 6,300/- pm

High Altitude Allowance

Level	Category-I	Category-II	Category-III
Officers	Rs 3,400/- pm	Rs 5,300/- pm	Rs 25,000/- pm

Counter Insurgency Allowance

Level	Counter Insurgency Allowance in Peace Area	Counter Insurgency Allowance in Field Area	Counter Insurgency Allowance in Modified Field Area
Officers	Rs 10,500/- pm	Rs 16,900/- pm	Rs 13,013/- pm

- (vi) **Siachen Allowance** Rs 42,500/- per month.
- (vii) **Uniform allowance.** Rs 20,000/- per year.
- (viii) **Ration in Kind.** In peace and Field areas
- (ix) **Transport Allowance (TPTA)**

Pay Level	Higher TPTA Cities (Rs. Per month)	Other Places (Rs. Per month)
Officers	Rs. 7200+DA thereon	Rs. 3600+DA thereon

(x) **Children Education Allowance.** Rs. 2250/- per month per child for two eldest surviving only. CEA is admissible from Nursery to 12th Class.

(xi) **Hostel Subsidy.** Rs. 6,750/- per month per child for two eldest surviving only. CEA is admissible from Nursery to 12th Class.

(xii) The following monetary benefits are available to the Cadets (Direct)/NoKs in the event of invalidment on medical grounds/death of a Cadet (Direct) due to causes attributable to or aggravated by military training:

(I) **IN CASE OF DISABLEMENT**

- (i) Monthly Ex-gratia amount of Rs. 9,000/- per month.
- (ii) Ex-gratia disability award @ Rs. 16200/- per month shall be payable in addition for 100% of disability during period of disablement subject to prorate reduction in case the degree of disablement is less than 100%. No disability award shall be payable in cases where the degree of disablement is less than 20%.
- (iii) Constant Attendant Allowance (CCA) @ Rs 6750/- per month for 100% disabled on the recommendation of Invaliding Medical Board (IBM).

(II) **IN CASE OF DEATH**

- (i) Ex-gratia amount of Rs. 12.5 lakhs to the NoK.
- (ii) The Ex-gratia amount of Rs. 9000/- per month to the NoK.
- (iii) The Ex-gratia awards to Cadets (Direct) / NoK, shall be sanctioned purely on ex-gratia basis and the same shall not be treated as pension for any purpose. However, dearness relief at applicable rates shall be granted on monthly ex-gratia as well as ex-gratia disability award.

12. (a) Army Group Insurance Fund provides insurance cover of Rs. 15 lakh on payment of one time non-refundable premium of Rs. 7,200/- by cadets from the date of joining for pre-commission training i.e. for 3 years. If a cadet is relegated an additional premium of Rs. 1,355/- per relegated term will be paid. For those who are invalidated out by IMB on account of disability and not entitled to any pension will be provided Rs.15 lakh for 100 per cent disability. This will be proportionately reduced to Rs 3 lakh for 20 per cent. However, for less than 20 percent disability, only an Ex-Gratia Grant of Rs. 50,000/- for first two years of training and Rs. 1 lakh during the third year of training will be paid. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to the diseases of pre-enrolment origin will not qualify for disability benefit and Ex-Gratia Grant. In addition, cadets withdrawn on disciplinary grounds, expelled as undesirable or leaving the Academy voluntarily will not be eligible for disability benefits and Ex-Gratia. There is no saving component under the scheme.

(b) The Gentlemen Cadets at IMA when in receipt of stipend are insured for Rs. 75 lakh as applicable to officers of regular Army. For those who are invalidated out by IMB account of disability and not entitled to any pension will be provided Rs 25 lakh for 100 percent disability. This will be proportionately reduced to Rs 5 lakh for 20 percent disability. However, for less than 20% disability, an Ex-

Gratia Grant of Rs. 50,000/- will be paid. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to the diseases of pre-enrolment origin will not qualify for disability benefit and Ex-Gratia Grant. In addition, Gentleman Cadets withdrawn on disciplinary grounds, expelled as undesirable or leaving the Academy voluntarily will not be eligible for disability benefits and Ex-Gratia. Subscription at the rate of Rs. 5,000/- will have to be paid in advance on monthly basis by Gentlemen Cadets to become member under the main AGI Scheme as applicable to regular Army Officers. The subscription for the relegated period would also be recovered at the same rate.

13. PROMOTIONAL AVENUES:

Sl. No.	Army	Navy	Air Force	Minimum Reckonable Commissioned Service required for Substantive Promotion
(a)	Lieutenant	Sub Lieutenant	Flying Officer	On Commission
(b)	Captain	Lieutenant	Flight Lieutenant	02 Years
(c)	Major	Lt. Commander	Squadron Leader	06 years
(d)	Lieutenant Colonel	Commander	Wing Commander	13 years
(e)	Colonel (Selection)	Captain (Selection)	Group Captain (Selection)	On Selection
(f)	Colonel (Time Scale)	Captain (Time Scale)	Group Captain (Time Scale)	26 years
(g)	Brigadier	Commodore	Air Commodore	On Selection
(h)	Major General	Rear Admiral	Air Vice Marshal	On Selection
(i)	Lieutenant General	Vice Admiral	Air Marshal	On Selection
(j)	General	Admiral	Air Chief Marshal	On Selection

14. RETIREMENT BENEFITS

Pension, gratuity and casualty pensionary award will be admissible in accordance with the rules in force from time to time.

15. LEAVE

Leave will be admissible in accordance with the rules in force from time to time.